

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXXII, Fifteenth Session, 2018/1940 (Saka)
No. 1, Wednesday, July 18, 2018/Ashadha 27, 1940 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS OF SIXTEENTH LOK SABHA	10-38
OFFICERS OF LOK SABHA	39
COUNCIL OF MINISTERS	40-50
NATIONAL ANTHEM	51
MEMBERS SWORN	51
OBITUARY REFERENCES	52-54
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	
Provision of Wi-Fi facility inside the chamber	55
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 1 to 7	56-117
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 8 to 20	118-175
Unstarred Question Nos. 1 to 230	176-743

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

RESIGNATION BY MEMBERS

745

FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations to Ms. Hima Das for
winning Gold Medal

746

PAPERS LAID ON THE TABLE

747-748

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations
contained in the 198th Report of the Standing Committee
on Home Affairs on Disaster in Chennai caused by
Torrential Rainfall and consequent flooding, pertaining to
the Ministry of Home Affairs

Shri Kiren Rijju

749

**MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF
MINISTERS**

750-752

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re: Need to take action against elements affecting
pluralistic and democratic ethos of the country

762-764,767-770

(ii) Re: Problem arising out of natural calamities in
Kerala and demanded Central assistance

786-788,791

(iii) Re: Vacancy position for reserved posts in various
Universities

788-791

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Motion of no-confidence in council of
Ministers 798-799

GOVERNMENT BILLS- Introduced 800-806

- (i) Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 800
- (ii) Banning of unregulated Deposit Schemes Bill, 2018 801-804
- (iii) Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2018 805
- (iv) Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018 806

MATTERS UNDER RULE 377 807-838

- (i) Need to set up railway factory at vacant land owned by Railway Department near Bina railway station in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Laxmi Narayan Yadav 808

- (ii) Need to extend Metro Rail Service to Narela in Delhi under the proposed Phase-IV of Delhi Metro Rail Corporation

Dr. Udit Raj 809

- (iii) Regarding proposed Military station at Deoghar, Jharkhand

Shri Nishikant Dubey 810-811

- (iv) Need to relocate and rehabilitate people living in submerged area of Tehri Dam Project in Uttarakhand

Shrimati Mala Rajya Laxmi Shah 812

- (v) Need to establish a medical college in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 813

- (vi) Need to set up a Medical college and hospital in Ballia Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Bharat Singh 814

- (vii) Need to set up a Ekalavya Model Residential School in Dibrugarh Parliamentary Constituency of Assam

Shri Rameswar Teli 815

- (viii) Need to shift antique statue of Devi Rukmani from Archeological Museum at Vidisha to Damyanti Archeological Museum, Damoh district, Madhya Pradesh

Shri Prahlad Singh Patel 816

- (ix) Need to accord B-2 category status to Udaipur city, Rajasthan

Shri Arjun Lal Meena 817

- (x) Need to include 'Alha Khand'- epic poetic works in Hindi in UNESCO's Intangible Cultural Heritage

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 818

- (xi) Need to include Kanu, Badhai, Prajapati Kumhar and Tanti Castes of Bihar in the list of Scheduled Castes

Shrimati Rama Devi 819

- (xii) Need to widen the hammir bridge in Sawai Madhopur in Rajasthan

Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 820

- (xiii) Need to provide employment to displaced people in Korba parliamentary constituency, Chhattisgarh in South Eastern Coal Fields Limited

Dr. Banshilal Mahato 821

- (xiv) Need to frame a policy for the welfare of people employed in outsourced contractual jobs

Shri Rodmal Nagar 822

- (xv) Regarding waiver of farmers' loan

Shri S.P. Muddahanume Gowda 823

- (xvi) Need to ensure benefits to reach farmers under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Hingoli Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Rajeev Satav 824

- (xvii) Need to call a meeting of Chief Ministers of States affected by communal tension

Shri M. I. Shanavas 825

- (xviii) Regarding problems faced by Powerloom sector in Tamil Nadu

Shrimati V. Sathyabama

826-827

- (xix) Need to address railway related issues of Arakkonam Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

Shri G. Hari

828-829

- (xx) Need to waive loans of farmers and ensure remunerative price of their produce

Prof. Saugata Roy

829-830

- (xxi) Need to improve facilities at fertilizers rake points in Odisha

Shri Rabindra Kumar Jena

831

- (xxii) Need to check drug peddling in Punjab and ensure strong action against the culprits

Shri Arvind Sawant

832

- (xxiii) Need to establish steel plant at Kadapa, Andhra Pradesh

Shri Jayadev Galla

833

- (xxiv) Need to expedite construction of permanent campus of IIT Palakkad, Kerala

Shri M. B. Rajesh

834

(xxv) Need to address problems faced by dairy farmers of Maharashtra

Shrimati Supriya Sadanand Sule 834-835

(xxvi) Need to accord special category status to Bihar

Shri Kaushalendra Kumar 836

(xxvii) Need to hand over the acquired land after the completion of mining projects to the original land-owners

Shri Vijay Kumar Hansdak 837

(xxviii) Need to provide ESI benefits to LIC Agents

Shri N. K. Pramachandran 838

**RIGHT TO CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY
EDUCATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2017**

839-966

Motion to consider

839-841

Shri Prakash Javadekar

839-841,

958-966

Shri K.C. Venugopal

848-857

Shri Sumedhanand Saraswati

858-861

Shri C. Gopalakrishnan

862-863

Shri Bhartruhari Mahtab

864-873

Shri Arvind Sawant

874-880

Prof. Saugata Roy

881-886

Shri A.P. Jithender Reddy	887-894
Shrimati Supriya Sadanand Sule	895-901
Shri Md. Badruddozza Khan	902-906
Dr. Sanjay Jaiswal	907-912
Shri Prem Singh Chandumajra	913-916
Shri Suresh C. Angadi	917-921
Shri K.V. Thomas	922-926
Shri Bhagwant Mann	927-930
Shri Lakhan Lal Sahu	931-934
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	935-937
Dr. Manoj Rajoria	938-940
Shri Dushyant Chautala	941-943
Shri Bhairon Prasad Mishra	944-946
Shri Ram Kumar Sharma	947-948
Shri E.T. Mohammad Basheer	949-951
Shri Kaushalendra Kumar	952-953
Shri Prem Das Rai	954-955
Shri N.K. Premachandran	956-957
Clauses 2,3 and 1	965
Motion to Pass	966

**STATUTORY RESOLUTION RE:
DISAPPROVAL OF FUGITIVE ECONOMIC
OFFENDERS ORDINANCE, 2018
AND
FUGITIVE ECONOMIC OFFENDERS BILL, 2018**

Motion to Consider	967-968
Shri N.K. Premachandran	967-972

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	973
Member-wise Index to Unstarred Questions	974-977

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	978
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	979

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS OF SIXTEENTH LOK SABHA

Abdullah, Dr. Farooq (Srinagar)

Adhikari, Shri Deepak (Dev) (Ghatal)

Adhikari, Shri Dibyendu (Tamluk),

Adhikari, Shri Sisir Kumar (Kanthi)

Adsul, Shri Anandrao (Amravati)

Advani, Shri L.K. (Gandhinagar)

Agrawal, Shri Rajendra (Meerut)

Ahir, Shri Hansraj Gangaram (Chandrapur)

Ahlawat, Shrimati Santosh (Jhunjhunu)

Ahluwalia, Shri S.S. (Darjeeling)

Ahmed, Shrimati Sajda (Uluberia)

Ajmal, Shri Badruddin (Dhubri)

Ajmal, Shri Sirajuddin (Barpeta)

Alam, Shri Sarfraz (Arariya)

Ali, Shri Idris (Basirhat)

Amarappa , Shri Karadi Sanganna (Koppal)

Ananthkumar, Shri (Bangalore South)

Angadi, Shri Suresh C. (Belagavi)

Antony, Shri Anto (Pathanamthitta)

Anwar, Shri Tariq (Katihar)

Arunmozhithevan, Shri A. (Cuddalore)

Aujla, Shri Gurjeet Singh (Amritsar)

Azad, Shri Kirti (Darbhanga)

Babu, Dr. Ravindra (Amalapuram)

Badal, Shrimati Harsimrat Kaur (Bhatinda)

Baheria, Shri Subhash Chandra (Bhilwara)

Baig, Shri Muzaffar Hussain (Baramulla)

Bais, Shri Ramesh (Raipur)

Baite, Shri Thangso (Outer Manipur)

Baker, Shri George (Nominated)

Bakshi, Shri Subrata (Kolkata Dakshin)

Bala, Shrimati Anju (Misrikh)

Balyan, Dr. Sanjeev (Muzaffarnagar)

Bandyopadhyay, Shri Sudip (Kolkata Uttar)

Banerjee, Shri Abhishek (Diamond Harbour)

Banerjee, Shri Kalyan (Sreerampur)

Banerjee, Shri Prasun (Howrah)

Bansode, Adv. Sharadkumar Maruti (Solapur)

Barman, Shri Bijoy Chandra (Jalpaiguri)

Barne, Shri Shrirang Appa (Maval)

Baruah, Shri Pradan (Lakhimpur)

Basheer, Shri E. T. Mohammad (Ponnani)

Begum, Shrimati. Tabassum (Kairana)

Bhabhor, Shri Jasvantsinh Sumanbhai (Dahod)

Bhagat, Shri Bodh Singh (Balaghat)

Bhagat, Shri Sudarshan (Lohardaga)

Bhamre, Dr. Subhash Ramrao (Dhule)

Bharathi Mohan, Shri R.K. (Mayiladuthurai)

Bharti, Sushri Uma (Jhansi)

Bhatt, Shrimati Ranjanben (Vadodara)

Bhole, Shri Devendra Singh (Akbarpur)

Bhonsale, Shri Chh. Udayanraje (Satara)

Bhuria, Shri Kanti Lal (Ratlam)

Bidhuri, Shri Ramesh (South Delhi)

Biju, Dr. P. K. (Alathur)

Birla, Shri Om (Kota)

Biswas, Shri Radheshyam (Karimganj)

Bohra, Shri Ramcharan (Jaipur City)

Bose, Prof. Sugata (Jadavpur)

Brahmpura, Shri Ranjit Singh (Khadoor Sahib)

Chakravarty, Shrimati Bijoya (Guwahati)

Chand, Shri Nihal (Ganganagar)

Chandel, Kunwar Pushpendra Singh (Hamirpur)

Chandrakasi, Shri M. (Chidambaram)

Chandrappa, Shri B. N. (Chitradurga)

Chandumajra, Shri Prem Singh (Anandpur Sahib)

Chaudhary, Shri C. R. (Nagaur)

Chaudhary, Shri Haribhai (Banaskantha)

Chaudhary, Shri P.P. (Pali)

Chaudhary, Shri Pankaj (Maharajganj)

Chaudhary, Shri Ram Tahal (Ranchi)

Chaudhary, Shri Santokh Singh (Jalandhar)

Chaudhury, Shri Jitendra (Tripura East)

Chauhan, Shri Devusinh (Kheda)

Chauhan, Shri P. P. (Panchmahal)

Chautala, Shri Dushyant (Hisar)

Chavan, Shri Ashok Shankarrao (Nanded)

Chavan, Shri Harishchandra (Dindori)

Chavda, Shri Vinod Lakhmashi (Kachchh)

Chhewang, Shri Thupstan (Ladakh)

Chhotelal, Shri (Robertsganj)

Chinnaiyan, Shri S. Selvakumara (Erode)

Choubey, Shri Ashwini Kumar (Buxar)

Choudhary(Retd.), Col. Sonaram (Barmer)

Choudhary, Shri Babulal (Fatehpur Sikri)

Choudhary, Shri Birendra Kumar (Jhanjharpur)

Chouhan, Shri Nand Kumar (Khandwa)

Chowdhury, Shri A. H. Khan (Maldaha Dakshin)

Chowdhury, Shri Adhir Ranjan (Baharampur)

Chudasama, Shri Rajeshbhai (Junagadh)

Danve, Shri Raosaheb Patil (Jalna)

Dastidar, Dr. Kakoli Ghosh (Barasat)

Datta, Shri Sankar Prasad (Tripura West)

Dattatreya, Shri Bandaru (Secunderabad)

De (Nag), Dr. Ratna (Hooghly)

Deka, Shri Ramen (Mangaldai)

Deo, Shri Arka Keshari (Kalahandi)

Deo, Shri Kalikesh N. Singh (Bolangir)

Dev, Kumari Sushmita (Silchar)

Devegowda, Shri H.D. (Hassan)

Devi, Shrimati Rama (Sheohar)

Devi, Shrimati Veena (Munger)

Dharambir, Shri (Bhiwani-Mahendragarh)

Dhotre, Shri Sanjay (Akola)

Dhruvanarayana, Shri R. (Chamarajanagar)

Dhurve, Shrimati Jyoti (Betul)

Diwakar, Shri Rajesh Kumar (Hathras)

Dohre, Shri Ashok Kumar (Etawah)

Dubey, Shri Nishikant (Godda)

Dubey, Shri Satish Chandra (Valmiki Nagar)

Dwivedi, Shri Harishchandra alias Harish (Basti)

Elumalai, Shri V. (Arani)

Engti, Shri Biren Singh (Autonomous District)

Ering, Shri Ninong (Arunachal East)

Faizal, Mohammed (Lakshadweep)

Fatepara, Shri Devjibhai G. (Surendranagar)

Gaddigoudar, Shri P.C. (Bagalkot)

Gadkari, Shri Nitin (Nagpur)

Gaikwad, Dr. Sunil Baliram (Latur)

Gaikwad, Prof. Ravindra Vishwanath (Osmanabad)

Galla, Shri Jayadev (Guntur)

Gandhi, Shri Dharam Vira (Patiala)

Gandhi, Shri Dilipkumar Mansukhlal (Ahmadnagar)

Gandhi, Shri Feroze Varun (Sultanpur)

Gandhi, Shri Rahul (Amethi)

Gandhi, Shrimati Maneka Sanjay (Pilibhit)

Gandhi, Shrimati Sonia (Raibareilly)

Gangwar, Shri Santosh Kumar (Bareilly)

Gautam, Shri Satish Kumar (Aligarh)

Gavit, Dr. Heena Vijaykumar (Nandurbar)

Gavit, Shri Rajendra Dhedya (Palghar)

Gawali (Patil), Shrimati Bhavana

(Yavatmal-Washim)

Geete, Shri Anant Gangaram (Raigad)

Geetha, Shrimati Kothapalli (Araku)

George, Adv. Joice (Idukki)

Ghosh, Shrimati Arpita (Balurghat)

Ghubaya, Shri Sher Singh (Ferozepur)

Giluwa, Shri Laxman (Singhbhum)

Girri, Shri Maheish (East Delhi)

Godse, Shri Hemant Tukaram (Nashik)

Gogoi, Shri Gaurav (Kaliabor)

Gohain, Shri Rajen (Nowgong)

Gopal, Dr. K. (Nagapattinam)

Gopalakrishnan, Shri C. (Nilgiris)

Gopalakrishnan, Shri R. (Madurai)

Goud, Dr. Boora Narsaiah (Bhongir)

Gowda, Shri D.V. Sadananda (Bangalore North)

Gowda, Shri S.P. Muddahanume (Tumkur)

Gupta, Shri Shyama Charan (Allahabad)

Gupta, Shri Sudheer (Mandsaur)

Gurjar, Shri Krishanpal (Faridabad)

Hansdah, Shri Ramchandra (Mayurbhanj)

Hansdak, Shri Vijay Kumar (Rajmahal)

Haque, Shri Mohd. Asrarul (Kishanganj)

Hari, Shri G. (Arakkonam)

Haribabu, Dr. Kambhampati (Visakhapatnam)

Hay, Prof. Richard (Nominated)

Hazra, Dr. Anupam (Bolpur)

Hegde, Shri Anantkumar (Uttara Kannada)

Hemamalini, Shrimati (Mathura)

Hikaka, Shri Jhina (Koraput)

Hooda, Shri Deepender Singh (Rohtak)

Hukkeri, Shri Prakash B. (Chikkodi)

Innocent, Shri (Chalakkudy)

Jadhav, Shri Prataprao (Buldhana)

Jadhav, Shri Sanjay Haribhau (Parbhani)

Jaiswal, Dr. Sanjay (Paschim Champaran)

Jakhar, Shri Sunil Kumar (Gurdaspur)

Jardosh, Shrimati Darshana Vikram (Surat)

Jatua, Shri Choudhury Mohan (Mathurapur)

Jaunapuria, Shri Sukhbir Singh (Tonk-Sawai Madhopur)

Jayadevan, Shri C. N. (Thrissur)

Jayavardhan, Dr. J. (Chennai South)

Jena, Shri Rabindra Kumar (Balasore)

Jigajinagi, Shri Ramesh (Bijapur)

Joshi, Dr. Murli Manohar (Kanpur)

Joshi, Shri Chandra Prakash (Chittorgarh)

Joshi, Shri Pralhad (Dharwad)

Jyoti, Sadhvi Niranjana (Fatehpur)

Kachhadia, Shri Naranbhai (Amreli)

Kaiser, Choudhary Mehboob Ali (Khagaria)

Kalvakuntla, Shrimati Kavitha (Nizamabad)

Kamaraj, Dr. K. (Kallakurichi)

Karandlaje, Kumari Shobha (Udupi Chikmagalur)

Karunakaran, Shri P. (Kasargod)

Kashyap, Shri Dinesh (Bastar)

Kashyap, Shri Virender (Shimla)

Kaswan, Shri Rahul (Churu)

Kataria, Shri Rattan Lal (Ambala)

Kateel, Shri Nalin Kumar (Dakshina Kannada)

Katheria, Dr. Ramshankar (Agra)

Kaushik, Shri Ramesh Chander (Sonepat)

Khadse, Shrimati Rakshatai (Raver)

Khaire, Shri Chandrakant (Aurangabad)

Khalsa, Shri Harinder Singh (Fatehgarh Sahib)

Khan, Shri Md. Badaruddoza (Murshidabad)

Khan, Shri Saumitra (Bishanpur)

Khanduri AVSM (Retd.), Maj. Gen. B.C. (Garhwal)

Kharge, Shri Mallikarjun (Gulbarga)

Kher, Shrimati Kirron (Chandigarh)

Khuba, Shri Bhagwanth (Bidar)

Kinjarapu, Shri Ram Mohan Naidu (Srikakulam)

Kishore, Shri Jugal (Jammu)

Kishore, Shri Kaushal (Mohanlalganj)

Kirtikar, Shri Gajanan (Mumbai North West)

Koli, Shri Bahadur Singh (Bharatpur)

Koshyari, Shri Bhagat Singh (Nainital-U.S.N.)

Kristappa, Shri N. (Hindupur)

Kukade, Shri Madhukarrao Yashwantrao

Kulaste, Shri Faggan Singh (Mandla)

Kumar, Dr. Arun (Jahanabad)

Kumar, Dr. Virendra (Tikamgarh)

Kumar, Kunwar Sarvesh (Moradabad)

Kumar, Shri Ashwini (Karnal)

Kumar, Shri B. Vinod (Karimnagar)

Kumar, Shri Dharmendra (Aonla)

Kumar, Shri K. Ashok (Krishnagiri)

Kumar, Shri Kaushalendra (Nalanda)

Kumar, Shri P. (Tiruchirappalli)

Kumar, Shri Santosh (Purnea)

Kumar, Shri Shailesh (Bhagalpur)

Kumar, Shri Shanta (Kangra)

Kundariya, Shri Mohanbhai Kalyanjibhai (Rajkot)

Kunhalikutty, Shri P.K. (Malappuram)

Kushawaha, Shri Ravinder (Salempur)

Kushwaha, Shri Upendra (Karakat)

Laguri, Shrimati Sakuntala (Keonjhar)

Lakhanpal, Shri Raghav (Saharanpur)

Lekhi, Shrimati Meenakashi (New Delhi)

Lokhande, Shri Sadashiv (Shirdi)

Maadam, Shrimati Poonamben (Jamnagar)

Mahadik, Shri Dhananjay (Kolhapur)

Mahajan, Shrimati Poonam (North Central Mumbai)

Mahajan, Shrimati Sumitra (Indore)

Maharaj, Dr. Swami Sakshiji (Unnao)

Mahato, Dr. Banshilal (Korba)

Mahato, Dr. Mriganka (Purulia)

Mahato, Shri Bidyut Baran (Jamshedpur)

Mahtab, Shri Bhartruhari (Cuttack)

Mahendran, Shri C. (Pollachi)

Majhi, Shri Balbhadra (Nabarangpur)

Malviya, Prof. Chintamani (Ujjain)

Mandal, Dr. Tapas (Ranaghat)

Manjhi, Shri Hari (Gaya)

Mann, Shri Bhagwant (Sangrur)

Marabi, Shri Kamal Bhan Singh (Sarguja)

Maragatham, Shrimati K. (Kancheepuram)

Marutharajaa, Shri R. P. (Perambalur)

Meena, Shri Arjun Lal (Udaipur)

Meena, Shri Harish (Dausa)

Meghwal, Shri Arjun Ram (Bikaner)

Meinya, Dr. Thokchom (Inner Manipur)

Mishra, Shri Anoop (Morena)

Mishra, Shri Bhairon Prasad (Banda)

Mishra, Shri Daddan (Shrawasti)

Mishra, Shri Janardan (Rewa)

Mishra, Shri Kalraj (Deoria)

Misra, Shri Pinaki (Puri)

Modi, Shri Narendra (Varanasi)

Mohan, Shri M. Murli (Rajahmundry)

Mohan, Shri P.C. (Bangalore Central)

Mohapatra, Dr. Sidhant (Berhampur)

Moily, Shri M. Veerappa (Chikkaballapur)

Mondal, Shri Sunil Kumar (Bardhaman Purba)

Mondal, Shrimati Pratima (Jayanagar)

Mukherjee, Shri Abhijit (Jangipur)

Munda, Shri Karia (Khunti)

Munde, Dr. Pritam Gopinath (Beed)

Muniyappa, Shri K.H. (Kolar)

Nagar, Shri Rodmal (Rajgarh)

Nagarajan, Shri P. (Coimbatore)

Nagesh, Shri Godam (Adilabad)

Naik, Prof. A.S.R. (Mahabubabad)

Naik, Shri B.V. (Raichur)

Naik, Shri Shripad Yesso (North Goa)

Narasimham, Shri Thota (Kakinada)

Nath, Shri Kamal (Chhindwara)

Natterjee, Shri J.J.T. (Thoothukudi)

Nete, Shri Ashok Mahadeorao (Gadchiroli-chimur)

Ninama, Shri Manshankar (Banswara)

Nishad, Shri Ajay (Muzaffarpur)

Nishad, Shri Praveen Kumar (Gorakhpur)

Nishad, Shri Ram Charitra (Machhlisahar)

Nishank, Dr. Ramesh Pokhriyal (Haridwar)

Noor, Shrimati Mausam (Maldaha)

Oram, Shri Jual (Sundargarh)

Owaisi, Shri Asaduddin (Hyderabad)

Paatile, Shrimati Kamla (Janjgir-Champa)

Pal, Shri Jagdambika (Domariyaganj)

Pala, Shri Vincent H. (Shillong)

Pandey, Dr. Mahendra Nath (Chandauli)

Pandey, Shri Hari Om (Ambedkar Nagar)

Pandey, Shri Rajesh (Kushinagar)

Pandey, Shri Ravindra Kumar (Giridih)

Panneerselvam, Shri V. (Salem)

Parasuraman, Shri K. (Thanjavur)

Parthipan, Shri R. (Theni)

Pasunoori, Shri Dayakar (Warangal)

Paswan, Shri Chhedi (Sasaram)

Paswan, Shri Chirag (Jamui)

Paswan, Shri Kamlesh (Basgaon)

Paswan, Shri Ram Chandra (Samastipur)

Paswan, Shri Ramvilas (Hajipur)

Patasani, Shri Prasanna Kumar (Bhubaneswar)

Patel, Dr. K. C. (Valsad)

Patel, Shri Devji M. (Jalore)

Patel, Shri Dilip (Anand)

Patel, Shri Lalubhai Babubhai (Daman & Diu)

Patel, Shri Nagendra Pratap Singh (Phulpur)

Patel, Shri Natubhai Gomanbhai (Dadra & Nagar Haveli)

Patel, Shri Prahlad Singh (Damoh)

Patel, Shri Subhash (Khargone)

Patel, Shrimati Anupriya (Mirzapur)

Patel, Shrimati Jayshreeben (Mahesana)

Pathak, Shrimati Riti (Sidhi)

Patil, Shri A.T. Nana (Jalgaon)

Patil, Shri Bheemrao B. (Zaheerabad)

Patil, Shri C. R. (Navsari)

Patil, Shri Kapil Moreshwar (Bhiwandi)

Patil, Shri Sanjay Kaka (Sangli)

Paul, Shri Tapas (Krishnanagar)

Phule, Sadhvi Savitri Bai (Bahraich)

Poddar, Shrimati Aparupa (Arambag)

Prabakaran, Shri K. R. P. (Tirunelveli)

Pradhan, Shri Nagendra Kumar (Sambalpur)

Prasad, Dr. Bhagirath (Bhind)

Pratap, Shri Krishan (Jaunpur)

Premachandran, Shri N.K. (Kollam)

Radadiya, Shri Vithalbhai Hansrajbhai (Porbandar)

Radhakrishnan, Shri Pon (Kanyakumari)

Radhakrishnan, Shri R. (Puducherry)

Radhakrishnan, Shri T. (Virudhunagar)

Raghavan, Shri M.K. (Kozhikode)

Rai, Shri Nityanand (Ujiarpur)

Rai, Shri Prem Das (Sikkim)

Raj, Dr. Udit (North West Delhi)

Raj, Shrimati Krishna (Shahjahanpur)

Raajhaa, Shri A. Anwhar (Ramanathapuram)

Rajbhar, Shri Harinarayan (Ghosi)

Rajendran, Shri S. (Viluppuram)

Rajesh, Shri M. B. (Palakkad)

Rajoria, Dr. Manoj (Karauli-Dholpur)

Rajput, Shri Mukesh (Farrukhabad)

Raju, Shri Ashok Gajapathi (Vizianagaram)

Raju, Shri Gokaraju Ganga (Narsapuram)

Ram, Shri Janak (Gopalganj)

Ram, Shri Vishnu Dayal (Palamu)

Ramachandran, Shri K. N. (Sriperumbudur)

Ramachandran, Shri Mullappally (Vadakara)

Ramadoss, Dr. Anbumani (Dharmapuri)

Ranjan, Shri Rajesh (Madhepura)

Ranjan, Shrimati Ranjeet (Supaul)

Rao, Shri Konakalla Narayana (Machhilipatnam)

Rao, Shri M. Venkateswara (Eluru)

Rao (Avanthi), Shri Muthamsetti Srinivasa (Anakapalli)

Rao, Shri Rayapati Sambasiva (Narasaraopet)

Rathod, Shri D.S. (Sabarkantha)

Rathore (Retd.), Col. Rajyavardhan (Jaipur Rural)

Rathore, Shri Hariom Singh (Rajsamand)

Rathwa, Shri Ramsinh (Chhota Udaipur)

Raut, Shri Vinayak Bhaurao (Ratnagiri-Sindhudurg)

Raval, Shri Paresh (Ahmedabad-East)

Rawat, Shrimati Priyanka Singh (Barabanki)

Ray, Shri Bishnu Pada (Andaman and Nicobar Islands)

Ray, Shri Partha Pratim (Coochbehar)

Ray, Shri Ravindra Kumar (Kodarma)

Reddy, Shri A.P. Jithender (Mahabubnagar)

Reddy, Shri Ch. Malla (Malkajgiri)

Reddy, Shri Gutha Sukender (Nalgonda)

Reddy, Shri J.C. Divakar (Anantapur)

Reddy, Shri Konda Vishweshwar (Chevella)

Reddy, Shri Kotha Prabhakar (Medak)

Reddy, Shri P. Srinivasa (Khammam)

Reddy, Shri S. P.Y. (Nandyal)

Renuka, Shrimati Butta (Kurnool)

Rijju, Shri Kiren (Arunachal West)

Rori, Shri Charanjeet Singh (Sirsa)

Roy, Prof. Saugata (Dum Dum)

Roy, Shrimati Sandhya (Medinipur)

Roy, Shrimati Satabdi (Birbhum)

Ruala, Shri C.L. (Mizoram)

Rudy, Shri Rajiv Pratap (Saran)

Sahu, Shri Chandulal (Mahasamund)

Sahu, Shri Lakhan Lal (Bilaspur)

Sahu, Shri Tamradhwaj (Durg)

Sai, Shri Vishnu Dev (Raigarh)

Saini, Shri Rajkumar (Kurukshetra)

Salim, Shri Mohammad (Raiganj)

Samal, Dr. Kulmani (Jagatsinghpur)

Sampla, Shri Vijay (Hoshiarpur)

Sampath, Dr. A. (Attingal)

Sanghamita, Dr. Mamta (Bardhaman Durgapur)

Sangma, Shri C.K. (Tura)

Sanjar, Shri Alok (Bhopal)

Saren, Dr. Uma (Jhargram)

Sarmah, Shri Ram Prasad (Tezpur)

Sarnia, Shri Naba Kumar (Kokrajhar)

Sarswati, Shri Sumedhanand (Sikar)

Satav, Shri Rajeev (Hingoli)

Sathyabama, Shrimati V. (Tiruppur)

Satpathy, Shri Tathagata (Dhenkanal)

Sawaikar, Adv. Narendra Keshav (South Goa)

Sawant, Shri Arvind (Mumbai South)

Scindia, Shri Jyotiraditya M. (Guna)

Senguttuvan, Shri B. (Vellore)

Senthilnathan, Shri P. R. (Sivaganga)

Sethi, Shri Arjun Charan (Bhadrak)

Shah, Shrimati Mala Rajyalakshmi (Tehri Garhwal)

Shanavas, Shri M.I. (Wayanad)

Shankarrao, Shri Mohite Patil Vijaysinh (Madha)

Sharma, Dr. Mahesh (Gautam Buddha Nagar)

Sharma, Dr. Raghu (Ajmer)

Sharma, Shri Ram Kumar (Sitamarhi)

Sharma, Shri Ram Swaroop (Mandi)

Shekhawat, Shri Gajendra Singh (Jodhpur)

Shetty, Shri Gopal (Mumbai North)

Shetty, Shri Raju (Hatkanangle)

Shewale, Shri Rahul (Mumbai South Central)

Shinde, Dr. Shrikant Eknath (Kalyan)

Shirole, Shri Anil (Pune)

Shivajirao, Shri Adhalrao Patil (Shirur)

Shyal, Dr. Bhartiben D. (Bhavnagar)

Siddeshwara, Shri G. M. (Davangere)

Sigriwal, Shri Janardan Singh (Maharajganj)

Simha, Shri Pratap (Mysore)

Singh, Dr. Bholu (Begusarai)

Singh, Dr. Jitendra (Udhampur)

Singh, Dr. Nepal (Rampur)

Singh, Dr. Prabhas Kumar (Bargarh)

Singh, Dr. Satya Pal (Baghpat)

Singh, Dr. Yashwant (Nagina)

Singh (Retd), Gen. Vijay Kumar (Ghaziabad)

Singh, Kunwar Bharatendra (Bijnor)

Singh, Kunwar Haribansh (Pratapgarh)

Singh, Prof. Sadhu (Faridkot)

Singh, Rao Inderjit (Gurgaon)

Singh, Shri Abhishek (Rajnandgaon)

Singh, Shri Bharat (Ballia)

Singh, Shri Bhola (Bulandshahr)

Singh, Shri Brijbhushan Sharan (Kaiserganj)

Singh, Shri Dushyant (Jhalawar-Baran)

Singh, Shri Ganesh (Satna)

Singh, Shri Giriraj (Nawada)

Singh, Shri Gyan (Shahdol)

Singh, Shri Kirti Vardhan (Gonda)

Singh, Shri Lallu (Faizabad)

Singh, Shri Nagendra (Khajuraho)

Singh, Shri Pashupati Nath (Dhanbad)

Singh, Shri R. K. (Arrah)

Singh, Shri Radha Mohan (East Champaran)

Singh, Shri Rajnath (Lucknow)

Singh (Raju Bhaiya), Shri Rajveer (Etah)

Singh, Shri Rakesh (Jabalpur)

Singh, Shri Rama Kishore (Vaishali)

Singh, Shri Ravneet (Ludhiana)

Singh, Shri Satyapal (Sambhal)

Singh, Shri Sunil Kumar (Chatra)

Singh, Shri Sushil Kumar (Aurangabad)

Singh, Shri Uday Pratap (Hoshangabad)

Singh, Shri Virendra (Bhadohi)

Singh, Shrimati Pratyusha Rajeshwari (Kandhamal)

Sinha, Shri Jayant (Hazaribagh)

Sinha, Shri Manoj (Ghazipur)

Sinha, Shri Shatrughan (Patna Sahib)

Sivaprasad, Shri Naramalli (Chittoor)

Solanki, Dr. Kirit P. (Ahmedabad)

Somaiya, Dr. Kirit (Mumbai North East)

Sonkar, Shri Vinod Kumar (Kaushambi)

Sonker, Shrimati Neelam (Lalganj)

Soren, Shri Shibu (Dumka)

Srinivas, Shri Kesineni (Vijayawada)

Sriram, Shri Malyadri (Bapatla)

Sule, Shrimati Supriya Sadanand (Baramati)

Suman, Shri Balka (Peddapalli)

Sundaram, Shri P. R. (Namakkal)

Supriyo, Shri Babul (Asansol)

Suresh, Shri D.K. (Bangalore Rural)

Suresh, Shri Kodikunnil (Mavelikkara)

Swain, Shri Ladu Kishore (Aska)

Swaraj, Shrimati Sushma (Vidisha)

Tadas, Shri Ramdas C. (Wardha)

Tamta, Shri Ajay (Almora)

Tanwar, Shri Kanwar Singh (Amroha)

Tarai, Shrimati Rita (Jajpur)

Tasa, Shri Kamakhya Prasad (Jorhat)

Teacher, Shrimati P.K. Shreemathi (Kannur)

Teli, Shri Rameshwar (Dibrugarh)

Teni, Shri Ajay Misra (Kheri)

Thakur, Shri Anurag Singh (Hamirpur)

Thakur, Shrimati Mamata (Bangaon)

Thakur, Shrimati Savitri (Dhar)

Thambidurai, Dr. M. (Karur)

Tharoor, Dr. Shashi (Thiruvananthapuram)

Thomas, Prof. K.V. (Ernakulam)

Tirkey, Shri Dasrath (Alipurduars)

Tiwari, Shri Manoj (North East Delhi)

Tokheho, Shri (Nagaland)

Tomar, Shri Narendra Singh (Gwalior)

Tripathi, Shri Sharad (Sant Kabir Nagar)

Trivedi, Shri Dinesh (Barrackpur)

Tumane, Shri Krupal Balaji (Ramtek)

Udasi, Shri Shivkumar (Haveri)

Udhayakumar, Shri M. (Dindigul)

Usendi, Shri Vikram (Kanker)

Utawal, Shri Manohar (Devas)

Vaghela, Shri L. K. (Patan)

Vanaroja, Shrimati R. (Tiruvannamalai)

Vardhan, Dr. Harsh (Chandni Chowk)

Varma, Shrimati Dev (Bankura)

Vasanthi, Shrimati M. (Tenkasi)

Vasava, Shri Manshukhbhai Dhanjibhai (Bharuch)

Vasava, Shri Parbhubhai Nagarbhai (Bardoli)

Venkatesh Babu, Shri T. G. (Chennai North)

Venugopal, Dr. P. (Tiruvallur)

Venugopal, Shri K. C. (Alappuzha)

Verma, Dr. Anshul (Hardoi)

Verma, Shri Bhanu Pratap Singh (Jalaun)

Verma, Shri Parvesh Sahib Singh (West Delhi)

Verma, Shri Rajesh (Sitapur)

Verma, Shrimati Rekha (Dhaurahra)

Vichare, Shri Rajan (Thane)

Vijaya Kumar, Shri S. R. (Chennai Central)

Yadav, Shri Akshay (Firozabad)

Yadav, Shri Dharmendra (Badaun)

Yadav, Shri Hukmdeo Narayan (Madhubani)

Yadav, Shri Jai Prakash Narayan (Banka)

Yadav, Dr Karan Singh (Alwar)

Yadav, Shri Laxmi Narayan (Sagar)

Yadav, Shri Mulayam Singh (Azamgarh)

Yadav, Shri Om Prakash (Siwan)

Yadav, Shri Ram Kripal (Pataliputra)

Yadav, Shri Tej Pratap Singh (Mainpuri)

Yadav, Shrimati Dimple (Kannauj)

Yellaiah, Shri Nandi (Nagar Kurnool)

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Dr. Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

COUNCIL OF MINISTERS**CABINET MINISTERS**

Shri Narendra Modi	The Prime Minister and also in-charge of: (i) Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions; (ii) Department of Atomic Energy; (iii) Department of Space; and All important Policy issues and all other portfolios not allocated to any Minister
Shri Rajnath Singh	The Minister of Home Affairs
Shrimati Sushma Swaraj	The Minister of External Affairs
Shri Arun Jaitley	The Minister without portfolio
Shri Nitin Gadkari	The Minister of Road Transport and Highways, Minister of Shipping and Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation

Shri Suresh Prabhu	The Minister of Commerce and Industry and Minister of Civil Aviation
Shri D.V. Sadananda Gowda	The Minister of Statistics and Programme Implementation
Sushri Uma Bharti	The Minister of Drinking Water and Sanitation
Shri Ramvilas Paswan	The Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
Shrimati Maneka Sanjay Gandhi	The Minister of Women and Child Development
Shri Ananthkumar	The Minister of Chemicals and Fertilizers; and Minister of Parliamentary Affairs
Shri Ravi Shankar Prasad	The Minister of Law and Justice and Minister of Electronics and Information Technology
Shri Jagat Prakash Nadda	The Minister of Health and Family Welfare
Shri Anant Gangaram Geete	The Minister of Heavy Industries and Public Enterprises

Shrimati Harsimrat Kaur Badal	The Minister of Food Processing Industries
Shri Narendra Singh Tomar	The Minister of Rural Development, Minister of Panchayati Raj and Minister of Mines
Shri Chaudhary Birender Singh	The Minister of Steel
Shri Jual Oram	The Minister of Tribal Affairs
Shri Radha Mohan Singh	The Minister of Agriculture and Farmers Welfare
Shri Thaawar Chand Gehlot	The Minister of Social Justice and Empowerment
Shrimati Smriti Zubin Irani	The Minister of Textiles
Dr. Harsh Vardhan	The Minister of Science and Technology, Minister of Earth Sciences and Minister of Environment, Forest and Climate Change

Shri Prakash Javadekar	The Minister of Human Resource Development
Shri Dharmendra Pradhan	The Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Skill Development and Entrepreneurship
Shri Piyush Goyal	The Minister of Railways, Minister of Coal, Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs.
Shrimati Nirmala Sitharaman	The Minister of Defence
Shri Mukhtar Abbas Naqvi	The Minister of Minority Affairs

MINISTERS OF STATE (INDEPENDENT CHARGE)

Rao Inderjit Singh	The Minister of State of the Ministry of Planning and Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers
Shri Santosh Kumar Gangwar	The Minister of State of the Ministry of Labour and Employment
Shri Shripad Yesso Naik	The Minister of State of the Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)
Dr. Jitendra Singh	The Minister of State of the Ministry of Development of North Eastern Region, Minister of State in the Prime Minister's Office, Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Minister of State in the Department of Atomic Energy and Minister of State in the Department of Space
Dr. Mahesh Sharma	The Minister of State of the Ministry of Culture and Minister of State in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Shri Giriraj Singh

The Minister of State of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

Shri Manoj Sinha

The Minister of State of the Ministry of Communications and Minister of State in the Ministry of Railways

Col. Rajyavardhan Rathore (Retd.)

The Minister of State of the Ministry of Youth Affairs and Sports and Minister of state in the Ministry of Information and Broadcasting

Shri R. K. Singh

The Minister of State of the Ministry of Power and Minister of state of the Ministry of New and Renewable Energy

Shri Hardeep Singh Puri

The Minister of State of the Ministry Housing and Urban Affairs

Shri Alphons Kannanthanam

The Minister of State of the Ministry of Tourism

MINISTERS OF STATE

Shri Vijay Goel	The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Statistics and Programme Implementation
Shri Pon Radhakrishnan	The Minister of State in the Ministry of Finance and Minister of State in the Ministry of Shipping
Shri S.S. Ahluwalia	The Minister of State in the Ministry of Electronics and Information Technology
Shri Ramesh Jigajinagi	The Minister of State in the Ministry of Drinking water and Sanitation
Shri Ramdas Athawale	The Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment
Shri Vishnu Dev Sai	The Minister of State in the Ministry of Steel
Shri Ram Kripal Yadav	The Minister of State in the Ministry of Rural Development

Shri Hansraj Gangaram Ahir	The Minister of State in the Ministry of Home Affairs
Shri Haribhai Chaudhary	The Minister of State in the Ministry of Mines and Minister of State in the Ministry of Coal
Shri Rajen Gohain	The Minister of State in the Ministry of Railways
Gen. Vijay Kumar Singh (Retd.)	The Minister of State in the Ministry of External Affairs
Shri Parshottam Rupala	The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and Minister of State in the Ministry of Panchayati Raj
Shri Krishanpal Gurjar	The Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment
Shri Jaswantsinh Sumanbhai Bhabhor	The Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs

Shri Shiv Pratap Shukla	The Minister of State in the Ministry of Finance
Shri Ashwini Kumar Choubey	The Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare
Shri Sudarshan Bhagat	The Minister of State in the Ministry of Tribal Affairs
Shri Upendra Kushwaha	The Minister of State in the Ministry of Human Resource Development
Shri Kiren Rijju	The Minister of State in the Ministry of Home Affairs
Dr. Virendra Kumar	The Minister of State in the Ministry of Women and Child Development and Minister of State in the Ministry of Minority Affairs
Shri Anantkumar Hegde	The Minister of State in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
Shri M. J. Akbar	The Minister of State in the Ministry of External Affairs
Sadhvi Niranjana Jyoti	The Minister of State in the Ministry of Food Processing Industries

Shri Jayant Sinha	The Minister of State in the Ministry of Civil Aviation
Shri Babul Supriyo	The Minister of State in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises
Shri Vijay Sampla	The Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment
Shri Arjun Ram Meghwal	The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
Shri Ajay Tamta	The Minister of State in the Ministry of Textiles
Shrimati Krishna Raj	The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Shri Mansukh L. Mandaviya	The Minister of State in the Ministry of Road Transport and Highways, Minister of State in the Ministry of Shipping and Minister of State in the Ministry of Chemicals and Fertilizers

Shrimati Anupriya Patel

The Minister of State in the Ministry of
Health and Family Welfare

Shri C. R. Chaudhary

The Minister of State in the Ministry of
Consumer Affairs, Food and Public
Distribution and Minister of State in the
Ministry of Commerce and Industries

Shri P.P. Chaudhary

The Minister of State in the Ministry of Law
and Justice and Minister of State in the
Ministry of Corporate Affairs

Dr. Subhash Ramrao
Bhamre

The Minister of State in the Ministry
of Defence

Shri Gajendra Singh
Shekhawat

The Minister of State in the Ministry
of Agriculture and Farmers

Dr. Satya Pal Singh

The Minister of State in the Ministry of
Human Resource Development and
Minister of State in the Ministry of Water
Resources, River Development and Ganga
Rejuvenation

LOK SABHA DEBATES

Vol. XXXII

First day of Fifteenth Session of Sixteenth Lok Sabha

No.1

LOK SABHA

Wednesday, July 18, 2018/ Ashadha 27, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

NATIONAL ANTHEM

The National Anthem was played

1103 hrs

MEMBERS SWORN

माननीय अध्यक्ष : अब महासचिव शपथ ग्रहण हेतु उप-चुनाव में निर्वाचित माननीय सदस्यों के नाम पुकारेंगी।

महासचिव: श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे ।

श्री कुकडे मधुकरराव यशवंतराव (भंडारा-गोंदिया)	-	शपथ	-	हिन्दी
श्री गावित राजेन्द्र धेड्या (पालघर)	-	शपथ	-	मराठी
श्री तोखेहो (नागालैंड)	-	शपथ	-	अंग्रेजी
श्रीमती तबस्सुम बेगम (कैराना)	-	प्रतिज्ञान	-	हिन्दी

11 07 hrs

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे तीन पूर्व सदस्यों श्री बहादुर सिंह, श्री सनत कुमार मंडल और श्री कंडाला सुब्रह्मण्यम के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री बहादुर सिंह पंजाब के लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री बहादुर सिंह ने अनुसूचित जातियों के उत्थान और लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अथक कार्य किया।

श्री बहादुर सिंह का निधन 25 अक्तूबर, 2017 को 92 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ।

श्री सनत कुमार मंडल पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सातवीं से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

अपने लंबे संसदीय जीवन के दौरान श्री मंडल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में सेवा की।

सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री मंडल पश्चिम बंगाल में वंचितों और गरीब किसानों के कल्याण हेतु सदैव कार्यरत रहे।

श्री सनत कुमार मंडल का निधन 19 अप्रैल, 2018 को 76 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ।

श्री कंडाला सुब्रह्मण्यम तत्कालीन मद्रास राज्य, जो अब आंध्र प्रदेश का विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, से पहली लोक सभा के सदस्य थे।

श्री कंडाला सुब्रह्मण्यम का निधन 8 जून, 2018 को 97 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ।

हम अपने तीन पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

माननीय सदस्यगण, उत्तराखण्ड के पौड़ी-गढ़वाल के जिले में 1 जुलाई, 2018 को एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 48 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

सभा इस दुःखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करती है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

माननीय सदस्यगण, अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 16 और 17 जून, 2018 को ईद-उल-फितर उत्सव के दौरान हुए दो आतंकी बम धमाकों में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

एक अन्य आत्मघाती आतंकी हमले में, अफगानिस्तान के जलालाबाद में 1 जुलाई, 2018 को अफगानिस्तान के सिख और हिन्दु समुदाय के 13 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है।

यह सभा इन कायरतापूर्ण आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में एक स्वर से निंदा करती है और इन आतंकी हमलों में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त करती है। यह सभा अफगानिस्तान के

लोगों, संसद और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करती है तथा ऐसे जघन्य हमलों के षडयंत्रकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11 10 hrs

The Members then stood in silence for a short while

11 11 hrs**ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER****Provision of wi-fi facility inside the chamber**

माननीय अध्यक्ष: सदस्यगण, मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगी। आप में से बहुत से सदस्यों ने यह मांग की थी कि हमें हाऊस के अंदर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए, ताकि हम आपने डिवाइस पर पेपरलैस की तरफ आगे बढ़ें। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद और विशेष तौर पर हमारे राज्य मंत्री श्री अहलूवालिया जी ने इस कार्य में काफी सहयोग दिया है। मैं इन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगी। इनसे चर्चा कर के आज यह सुविधा लोक सभा के अंदर उपलब्ध हो गई है। अब आप अपने पोर्टल पर सर्च कर सकते हैं और इंटरनेट पर भी कर सकते हैं। आपके साथ अगर आपका डिवाइस है, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, जो भी डिवाइस आपके पास हो तो आप इसमें विभिन्न वेबसाइट, भारत सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स प्लस लोक सभा की लाइब्रेरी और जो भी आप चाहें वह इंटरनेट के माध्यम से इस वाई-फाई सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उसकी सुविधा के लिए आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। जिन्होंने नहीं किया है, वे कर लें और इसका उपयोग आप लोग जो भी करना चाहें, कर सकते हैं।

11 12 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now, Question Hour. Question No. 1 – Shri Ashok Shankarrao Chavan.

(Q. 1)

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow everybody after Question Hour, not now.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Everything can be taken up after Question Hour, not before that.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Ashok Chavan.

... (*Interruptions*)

11 14 hrs

(At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. I will not allow all these things.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please go back; otherwise, I will not allow you to speak on any subject.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please take your seats. I will allow you after Question Hour, not now. Do not disturb Question Hour.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I will allow you after that; please take your seats.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Ashok Chavan, do you not want to ask your supplementary question?

... (*Interruptions*)

SHRI ASHOK SHANKARRAO CHAVAN : Madam, I cannot hear anything. ... (*Interruptions*) I am unable to hear anything.

HON. SPEAKER: Shri Sudheer Gupta.

... (*Interruptions*)

श्री सुधीर गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले भारत सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उनकी बेहतरीन कार्य योजना के तहत मौसम विभाग सन् 2014-15 के दौरान मानसून की अल्प वर्षा का सही पूर्वानुमान लगाने में समर्थ रहा है। ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: अभी नहीं, मैं बाद में सब देखूंगी।

...(व्यवधान)

श्री सुधीर गुप्ता : मैं इसके लिए सरकार की सराहना करूंगा कि एलपीए, दीर्घावधि औसत अनुमान 5.9 प्रतिशत रहा है, जो शुरू में 8.5 प्रतिशत था।... (व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मौसम विभाग प्रत्येक ग्राम पंचायतों को मौसम पूर्वानुमान की सूचना प्रेषित करने का कोई कार्यक्रम बनाएगा, ताकि प्रत्येक कृषक भाई मौसम का पूर्वानुमान लगा सकें एवं अपनी फसल और बीजों का निर्णय मौसम विभाग की सूचनाओं के अनुरूप ले सकें।...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद हमारी कैबिनेट ने नेशनल मानसून मिशन को एप्रूव करके लांच किया है।...(व्यवधान) नेशनल मानसून मिशन को लांच करने के बाद अभी हम सारे देश में ब्लॉक लेवल पर 12 किलोमीटर इन टू 12 किलोमीटर के एरिया के अंदर वेदर फोरकास्टिंग करते हैं।...(व्यवधान) इस महीने के अंत तक हम लगभग 39 मिलियन, यानी 3.9 करोड़ किसानों को मौसम की जानकारी देंगे, जिसके आधार पर वे अपनी खेती को प्लान कर सकते हैं। यह सारी सूचना हम उनको देने वाले हैं। अभी हम 24 मिलियन को जानकारी दे रहे हैं और इस महीने के अंत तक यह आंकड़ा करीब 39 मिलियन हो जाएगा। इसकी सारी तैयारी हो चुकी है।...(व्यवधान)

11 16 hrs

At this stage Shri Dharmendra Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please go to your seats. I have already told you that I will take it up after Question Hour.

... (Interruptions)

डॉ. हर्ष वर्धन : मुझे यह जानकारी बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले समय में नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसके बारे में अध्ययन किया और वर्ष 2015 में रिपोर्ट देकर उन्होंने बताया कि हम जिन चार फसलों के संबंध में किसानों को मौसम की जानकारी देते हैं, उसके आधार पर सारे देश को करीब 50 हजार करोड़ रुपये का जीडीपी में फायदा होता है...(व्यवधान) यह जानकारी जब हम 22 फसलों में संबंध में किसानों को देना प्रारम्भ करेंगे तो इसके कारण देश की जीडीपी को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का फायदा होने वाला है...(व्यवधान) नेशनल मानसून मिशन लांच होने के बाद, जो हमारा पहले स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल मॉडल था, उसके साथ-साथ अभी डाइनैमिक मॉडल को भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है...(व्यवधान) मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया के अंदर हाई परफॉर्मिंग कम्प्यूटिंग में हम चौथे स्थान पर पहुँच गए हैं...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में केवल अमेरिका, इंग्लैंड और जापान को छोड़कर हम दुनिया में वेदर फोरकास्टिंग में चौथे नम्बर पर पहुँच चुके हैं...(व्यवधान) इस समय हमारी कम्प्यूटिंग की टोटल कैपेसिटी दस पेटाफ्लॉप्स की हो चुकी है...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए इस सदन को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि इस दिशा के अंदर हम निरन्तर प्रगति कर रहे हैं...(व्यवधान) इसके साथ जुड़े हुए जितने भी आयाम हैं, चाहे वह साइक्लोन की फोरकास्टिंग के बारे में हो, चाहे वह हीट वेब्स की फोरकास्टिंग के बारे में हो, चाहे वह अर्ली सुनामी वार्निंग्स के बारे में हो, सभी में हमारा स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो चुका है...(व्यवधान)

DR. KULMANI SAMAL : Hon. Speaker, thank you very much for giving me this opportunity. I have gone through the reply given by the hon. Minister regarding the preparedness of the Central Government for normal as well as not-so-normal monsoon. The reply is very unsatisfactory. My question is whether the Central Government would like to clearly state and demonstrate its preparedness on a pilot basis at the micro level at Paradip, a port town in the State of Odisha with adequate manpower and technology. ... (*Interruptions*)

DR. HARSH VARDHAN: I have already replied this in response to an earlier question that right now we are doing it at the block level in the whole country. At the block level also, we would be computing the results of 50 cases. We have already made all the preparations, all the scientific studies and given advisories also. This will further be expanded to all the districts. In terms of equipment, facilities or manpower we are well equipped and I think we are now at the international level.

HON. SPEAKER: Now, Question No. 2, Shri Rahul Shewale.

(Q.2)

SHRI RAHUL SHEWALE : Thank you, Madam Speaker. ... (*Interruptions*)

My first supplementary question is this. The local skilled workforce is the biggest problem in setting up of nuclear power plants across the world. India is not an exception to it. So, I would like to ask the hon. Minister as to what steps have been taken by his Ministry to address the problem of local skilled workforce from the ground-breaking level until the commissioning of proposed nuclear plants in the country.

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, the concern of the hon. Member is well taken. As a policy and as per the guidelines also, preference is always given to the local skilled and unskilled workers. We have a category which is known as PAP category, that is, the Project Affected Population. Not only they are given preference, but also they are given certain relaxations in comparison to their counterparts who do not hail locally. For example, there is an age relaxation of ten years in respect of this Project Affected local population. It means that even in general category they would be eligible to apply for a job up to the age of 45 years compared to 35 years in case of other general population.

Similarly, in respect of qualification also, the minimum qualification required in respect of general population is 50 per cent after graduation. But, in the case of

the local population, it has been reduced to a mere pass percentage which in other words means 33 per cent.

Thirdly, whereas for the entrance or for the examination purpose in cases where it is required, normally the medium of language is English and Hindi, but in this case, we have also included the local language. The hon. Member would be interested to know that there are other provisions also available. For example, in case of Jaitapur, there is a provision of providing Rs. 5 lakh per person in lieu of the job. He would be interested to know that so far around Rs. 226 crore has already been dispensed with in addition to Rs. 50 crore which was purely meant for the job compensation.

SHRI RAHUL SHEWALE : My second supplementary question is this. An Environmental Survey Laboratory (ESL) is set up at each of the nuclear power plant sites to analyse changes in environmental matrices like air, water, vegetation, crops, milk, fish, etc., around the nuclear plant site.

I would like to ask the hon. Minister as to how many such laboratories have been set up so far in Maharashtra and across the country.

DR. JITENDRA SINGH: I have tried to include the names of the States in the tabular form in the answer itself. But, as far as the environmental concerns are concerned, we immediately follow the guidelines which are internationally known. Even at the outset, before the construction is taken up and during the

construction, there is a three-month appraisal and after the construction is complete, it is six-monthly and then after every five years, the licence is renewed. Therefore, a due consideration is taken of the environment not only before launching of the project and not only at the time of planning and construction, but also even after the project has been made functional. The appraisal of the environmental concerns is mandatory every five years. Besides that, we have teams of the International Atomic Energy Bodies which periodically visit India and also give their own inputs and views.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, there are two mistakes in the reply given by the hon. Minister.

Firstly, at page no.1, 'Gorakhpur' is mentioned as a part of Haryana, which is not correct. The same should be corrected. At page no. 2, it has been mentioned that in Haripur in West Bengal an in-principle approval has been given for building a nuclear plant. The State Government has neither cleared the project nor it has promised any land. I do not know from where the hon. Minister has got the figures that Haripur Nuclear Plant will be set up. The hon. Minister should correct this. These are the mistakes which need to be corrected.

My question is this. The main problem in setting up of new nuclear plants is the problem of civil liability for nuclear damage and the insurance. The hon. Minister has stated in his reply that they have resolved the issue. The

Government has not yet brought any Bill or legislation for Civil Liability for Nuclear Damage. We also do not know as to what insurance would be paid to those who will be affected by nuclear disasters. I would like the hon. Minister to clarify the position of the Government with regard to the Civil Liability for Nuclear Damage and with regard to Insurance Pool.

DR. JITENDRA SINGH: Madam Speaker, Prof. Saugata Roy is much more learned and informed so I hate to point out that the mistake which he has pointed out is actually a mistake on his part. There is a place called 'Gorakhpur' in Haryana which is being referred to. It is not the Gorakhpur which he has taken ... *(Interruptions)*.

On the contrary, I think the Modi Government deserves due credit because this project had been stalled for several years but immediately after taking over by his Government in the year 2014, the work has started. It is just a few kilometres away from Delhi and it might become functional in the next 2-3 years. Its production will be cost effective also. By bringing in this project, we have, in fact, made a huge contribution to India's nuclear programme which was earlier confined to 3-4 States, namely, Andhra Pradesh, Tamil Nadu in South India and Maharashtra and Gujarat in the West. Now the nuclear programme has also moved over to North India ... *(Interruptions)*.

Secondly, as far as the Haripur Project is concerned, I would like to inform the learned hon. Member that in-principle approval has been done. It is being brought up in collaboration with Russia ... (*Interruptions*). I am putting myself on record to say that this is a project with Russian collaboration and in-principle approval has been done. It is moving ahead ... (*Interruptions*).

The third concern which he described in his question was about civil liability for nuclear damage. I think it is the Act of 2010 which he is referring to. I think this has been sorted out in the last two years. Earlier there were some concerns particularly on the part of the suppliers. I will not go through the entire Act because it has about ten pages. Broadly speaking, four main things have been kept in mind to address all the issues that raise concern. Firstly, there is no amendment. There is a section of media reporting that India has sought to amend this Act. But there is no amendment. Secondly, the victim's right will be fully protected... (*Interruptions*). There was again an apprehension that in case of any mishap, the victim may be at a disadvantage. Thirdly, the concern was regarding the right of recourse against the supplier. The third apprehension which was raised about two years back was that the supplier may go scot-free. Fourthly, this Act was more oriented towards the domestic suppliers and it was not against foreign suppliers. This was another major concern which was raised even in the international media particularly in respect of the projects which were coming up with the American collaboration ... (*Interruptions*).

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में परमाणु विद्युत ऊर्जा का काम तेज गति से चल रहा है...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न है कि चुटका वन वर्ड टू जो मध्य प्रदेश के मंडला में है उसको लेकर है...(व्यवधान) भाविनी ने नई तकनीकी बड़े अच्छे तरीके से देश को दी है...(व्यवधान) भाविनी में जिस प्रकार प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनन रिएक्टर की बात होती है...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो परियोजनाएं दो-तीन साल के बाद पूरी होनी हैं या शुरू होनी हैं उनमें चुटका भी एक है। ... (व्यवधान) यह वर्षों से लंबित रहा है; इस सरकार के रहते हुए कम से कम भूमि अधिग्रहण से पूरा होकर उसका काम शुरू होने वाला है...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में भाविनी ने जो रिएक्टर अभी प्रयोग के तौर पर रखा है, जो हमारी परियोजनाएँ हैं उनमें उन्हीं रिएक्टरों का उपयोग होगा? हमारे देश में जो रॉ मैटेरियल उपलब्ध है, क्या हम उसका उपयोग कर पाएँगे? ... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्य महोदय ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है...(व्यवधान) निश्चय ही पिछले तीन-चार वर्षों में, विशेषकर प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि के परिणामस्वरूप काफी प्रगति हुई है...(व्यवधान) उन्होंने विडियो कांफ्रेंसेस में बार-बार जब उन्होंने इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स की ओर संकेत किया तो इन्होंने गति पाई है...(व्यवधान) इसमें चुटका का प्रोजेक्ट भी शामिल है जिसमें दो रिएक्टर रहेंगे। 1400 मेगावाट (700x2), एक-एक में सात-सात सौ मेगावाट रहेगा। अभी तक इसकी कीमत कुल मिलाकर एक करोड़ पाँच हजार रुपये तक रखी गई है...(व्यवधान)

इसके अतिरिक्त , जैसा कि आदरणीय सदस्य ने कहा कि पिछले तीन-चार वर्षों में इस न्युक्लियर प्रोग्राम को गति बढ़ाते हुए और नए प्रोजेक्ट्स की योजनाएँ लाते हुए, एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि 10 इंडिजिनियस रिएक्टर एक ही साथ मंजूर किए गए। उसमें से दो इंटरनेशनल

कोलाब्रेशन के साथ हैं...(व्यवधान) यही नहीं, चूंकि जो थोड़ी-सी आर्थिक दिक्कत आ रही थी, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लेते हुए मंत्रिमंडल में ज्वाइंट वेंचर्स का एक प्रस्ताव पारित करवाया है...(व्यवधान)

इसके परिणामस्वरूप पीएसयूज इसमें आर्थिक भागीदारी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय इसी दिशा में हुए हैं। इंश्योरेंस पूल में वृद्धि कर दी गई है। लगभग वर्ष 2024-25 तक 9 नए न्यूक्लियर प्लांट्स मुकम्मल हो जाएंगे। अभी हाल ही में जून के महीने में 2017 में इसके 12 अतिरिक्त प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई और 5 अतिरिक्त साइट्स की शिनाख्त की गई है। इसमें पूर्वोत्तर भी था, मेघालय था। चूंकि सीस्मिक जोन के हम थर्ड और फोर्थ जोन में जाते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि इसको गति देने के लिए कई नए प्रयोग भी हुए हैं। ऐसी लोकेशंस, ऐसे स्थान जो अनएक्सप्लोर्ड थे, वहां पर भी जाने का प्रयास हुआ है। चुटका का यह जो प्रोजेक्ट है, जिसकी ओर आपने इशारा किया, यह भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Question No. 03.

Shri Kesineni Srinivas

... (Interruptions)

(Q. 3)

डॉ. किरीट सोमैया : पोस्ट सैक्टर में नॉन ट्रेडीशनल सैक्टर में सरकार, पोस्ट विभाग ने काफी प्रगति की है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पर जो पासपोर्ट सेवा केन्द्र हैं, उनका बीते दो साल से बहुत उपयोग हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसी प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर सिस्टम के अधिक उपयोग के बारे में सरकार क्या सोच रही है? 'आयुष्मान भारत' प्रधान मंत्री जी ने एक नई योजना रखी है। 'आयुष्मान भारत' का प्रचार और प्रसार करने में पोस्ट आफिस सेवा क्या कुछ लाभ दे पाएगी?

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने एक निर्णय लिया था। देश में पासपोर्ट बनाने के लिए देश के नागरिकों को अधिक लंबी दूरी की यात्रा तय करनी पड़ती है। देश के किसी नागरिक को 50 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय न करनी पड़े, इसी उद्देश्य से विदेश मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने मिलकर यह निर्णय लिया कि देश में जितने लोक सभा क्षेत्र हैं, हर जगह कम से कम एक, जहां पहले से पासपोर्ट आफिस नहीं है, वहां एक पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र बनाएंगे। अब तक 215 पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केन्द्र हम देश में बना चुके हैं, और भी अतिरिक्त नागरिक केन्द्रित सेवाएं, चाहे आधार अपडेशन का, आधार इनरोलमेंट का काम हो या रेलवे की टिकट की बिक्री का काम हो, ऐसी अनेक सेवाएं पोस्ट आफिस दे रहा है और 'आयुष्मान भारत' जब लांच होगा, जरूरत पड़ेगी तो सरकार नागरिकों के हित में इस तरह का फैसला समय-समय पर लेती रहेगी। उचित समय पर उचित फैसला किया जाएगा। ... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, it appears as if India Post has been making much of its growth in recent years through e-commerce. The figures I have show that 900 per cent revenue increase in 'Cash on Delivery' consignments for e-commerce is mainly through Amazon deliveries. The question

that I am asking is whether the revenue deficit of India Post has only reduced because of its engagement with e-companies and e-commerce. If so, whether the hon. Minister has any plans to make India Post a profit-making entity by using its strong rural penetration. Delivering Amazon parcels to the cities is one thing but reaching out to our villages where the majority of our people live and rendering services to them can also be a revenue opportunity. I would welcome the views of the hon. Minister on this.

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक, जो इस महीने में 650 ब्रांचेज पूरे देश में शुरू कर रहे हैं। इसके करीब 3,200 से ज्यादा एक्सेस प्वाइंट्स एक साथ इस महीने में लांच करेंगे। आने वाले दिसम्बर तक देश भर के डेढ़ लाख से ज्यादा ग्रामीण पोस्ट आफिसों में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक्सेस प्वाइंट प्रारम्भ हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल इनक्लूजन इस सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी रही है और उस दिशा में पोस्ट पेमेंट बैंक आने वाले समय में बहुत काम करने वाला है।

जहां तक पार्सल बिजनेस या ई-कामर्स का सवाल है, हमने अलग से एक पार्सल डायरेक्टरेट भी बनाया है। देश में पार्सल बिजनेस भी पन्द्रह-सोलह परसेंट पर-एनम के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। ... (व्यवधान) उसमें इंडिया पोस्ट का शेयर अभी तक 3 परसेंट रहा है। हमने एक लक्ष्य रखा है कि आने वाले दिनों में हम इस शेयर को बढ़ाएंगे। हम अनेक काम इस तरह के ले रहे हैं। ... (व्यवधान) नागरिक आधारित सेवाओं को अधिक से अधिक बल दिया जाए, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने अनेक पार्सल हब सेंटर्स बनाए हैं। ... (व्यवधान) स्पीड पोस्ट और बाकी जो हमारा मूल बिजनेस है उसको भी तेज गति से आगे बढ़ाने के लिये हम काम कर रहे हैं।

DR. A. SAMPATH : Madam Speaker, we all know that the Department of Posts is sitting on a gold mine. Under the Ministry of Communications, before the BSNL was formed, it was called the Department of Posts and Telecommunications. In all the States, quite a lot of land belonging to the Department of Posts is lying vacant. In our State of Kerala and even in my own Constituency Attingal also, the Department of Posts own landed property worth crores of rupees. In many places, those lands are being encroached upon by various people. So, I would like to know from the hon. Minister whether he will take the initiative to utilize the vacant land which is now being encroached upon by various interested people. This can be utilized for the construction of BSNL buildings and other public sector undertakings can also become a part and parcel of the developmental activities undertaken by the Department of Posts.

Hence, through you, I would like to know whether the Minister of Communications will take up the issue with other concerned departments. If they want land to construct some building, they can engage in PPP mode with other departments and PSUs. I want to know whether the Minister will take up this new initiative. This is my humble question.

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। माननीय सदस्य के राज्य में नगरपालिका की एक सड़क नहीं बन रही थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से

हमारी सरकार ने जमीन देकर सड़क बनाने का काम काम केरल में किया है। ...(व्यवधान) और मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास लैंड है उसका हमारे पास रिकार्ड है। जहां सरकार को जरूरत होगी और खासतौर पर ...(व्यवधान) सामान्य नागरिक के हितों का जब सवाल खड़ा होगा तो हमारी सरकार उचित निर्णय करेगी।

(Q. 4)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न सरकार और आदरणीय प्रधान मंत्री जी से है। सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने के कगार कर दिया... *

HON. SPEAKER: You please ask the question.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: I am sorry. This will not go on record.

...(Interruptions) ...*

HON. SPEAKER: This will not go on record.

...(Interruptions) ...*

HON. SPEAKER: You are a senior Member. I asked you to ask a supplementary question. This is not proper. Nothing will go on record.

...(Interruptions) ...*

माननीय अध्यक्ष : श्री गजनान कीर्तिकर – उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : अध्यक्ष महोदया, इससे बेहतर सवाल मानसून सेशन में नहीं हो सकता था। देश में खासकर पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में थंडर स्टार्म होता है। किसानों के ऊपर आफत आई हुई है,

* Not recorded

उसके बाद ओला पड़े या बिजली गिरे। मैं सिमांचल क्षेत्र से आता हूँ, दक्षिण बंगाल, बिहार और नार्थ ईस्ट में यह प्रत्येक वर्ष का मामला है, जानें जाती रहती हैं।...(व्यवधान) मंत्री मंत्री खुद इस बात को माने हैं। दूसरे देशों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वहां साइंटिस्ट रिसर्च करके उसका कारण ढूंढते हैं...(व्यवधान) लेकिन हम किसान की किसी भी समस्या का कारण ढूंढने के लिए तैयार नहीं है, समस्या ही नहीं मानते, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या आर्थिक या फसल की कीमत का मामला हो या बाढ़ का मामला हो। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इस तरह से काम करेगी...(व्यवधान)

मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, किसान सरकार पर से आस्था खो रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भाषण बाद में करना, प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : किसानों की जानें जा रही हैं।...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि सिर्फ मंत्री जी इसका कारण नहीं बता पाएंगे।...(व्यवधान) अगर संसद इस बारे में चर्चा नहीं करेगी तो कारण कैसे निकलेगा? ...(व्यवधान) हम जनता के प्रतिनिधि हैं, देश के हित में, किसानों के हित में हैं।...(व्यवधान) क्या सरकार उनको आश्वासन देगी? ...(व्यवधान)

आप हमारा अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ले रही हैं।...(व्यवधान), सरकार कैसे किसानों के हितों के बारे में सोचेगी? ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri K. Vishweshwar Reddy, you have to ask only a supplementary question on this.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Madam, for any thunderstorm studies or research, we need data and data in India primarily comes from weather stations which are used for crop insurance and agricultural purposes ...

(Interruptions)

HON. SPEAKER: You will get it. You go back to your seat. This is not the way.

... *(Interruptions)*

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY : Is the Ministry of Earth Sciences using the same data? the Ministry of Agriculture has recommended a particular accreditation standard and the standard is IS 15243. ... *(Interruptions)*. Now, this IS 15243 is not suitable for hilly areas, North Eastern States and many places where thunderstorms occur. ... *(Interruptions)*. Now, also the Ministry of Agriculture recommended 40,000 weather stations for the country. So far less than 4000 are working in the country. ... *(Interruptions)*. My question to the Minister is, is the Government considering modifying the standard IS 15243, so that it is suitable for hilly areas, because according to this standard, you cannot put weather stations on hilly slopes and hillocks. Secondly, does the Government want to use the same data for thunderstorm research, which is used for agriculture crop insurance?

DR. HARSH VARDHAN: Madam, I would like to inform the hon. Member that under the National Monsoon Mission, we have made everything most modern and

now we are using the most important dynamic model also along with the ensembled-statistical model.

Regarding the research for the thunderstorm, we are living with the times. Our research standard is comparable with any standard at the global level.... (*Interruptions*). This is number one. Further, to take the research forward, as I have replied in the answer to the question that we have already issued a call for proposals.... (*Interruptions*). We are involving all the universities; we are involving the academic institutions; we are involving all the academic bodies of our Ministry and we are already in the process of doing the research for the thunderstorm forecasting also.... (*Interruptions*). Right now, anywhere in the world, there is no mechanism whereby you can, in fact, forecast them for the lightening to the extent.... (*Interruptions*). You mentioned about agriculture also, I think that with the type of services that we are providing in collaboration with Ministry of Agriculture to our farmers, it has already been established and it is on record; the National Council for Applied Economic Research has said that it is already having a positive impact on the GDP of India to the extent of Rs. 50,000 crore. ... (*Interruptions*). I have already mentioned that our research and our outcome of weather/climate forecasting, ocean forecasting etc. stands at fourth position in the whole world right now. We have a capacity of almost 10 Petaflops now. ... (*Interruptions*). We are ensuring that whatever is modern, whatever needs to be

improved, we are already doing that. We are in touch with all the best facilities all over the world. ... (*Interruptions*).

HON. SPEAKER: Please go back to your seats, otherwise I will have to name you.

... (*Interruptions*)

श्री भैरों प्रसाद मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, देश में सूखा, मानसून और जलवायु परिवर्तन के कारण विषम स्थितियां पैदा होती रहती हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यहां असमय तूफान के शोध के लिए वैज्ञानिकों की बहुत कमी है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तूफान के शोध के लिए वैज्ञानिकों की व्यवस्था के लिए क्या किया गया है? इस समय उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में सूखा पड़ रहा है। विशेष तौर से मानसून के लिए बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों के लिए माननीय मंत्री जी वैज्ञानिक शोध को कारगर बनाने का काम कर रहे हैं या करेंगे?

डॉ. हर्ष वर्धन: मैडम, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बहुत स्पष्ट कहा है कि इस विषय पर रिसर्च पिछले बीस साल से पुणे के अन्दर हो रही है, लेकिन इसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने अभी एक्सपर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए हैं। उन एक्सपर्ट्स ग्रुप्स में, जितनी भी संबंधित संस्थाएं एवं स्टीट्यूशन्स हैं, उनके बड़े-बड़े वैज्ञानिक इन्वाल्ड हैं...(व्यवधान) इस रिसर्च में यूनिवर्सिटीज एवं आईआईटीज को इन्वाल्ड करने के लिए हमने प्रपोजल्स कॉल किए हैं। जिस प्रकार की रिसर्च विश्व में हो रही है, हम किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं, ...(व्यवधान) लेकिन अभी तक इस सन्दर्भ में फोरकास्टिंग की दिशा में, ...(व्यवधान) इसमें कोई शक की बात नहीं है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेदर प्रेडिक्शन के बारे में जितनी प्रकार की सुविधाएं पूरे वर्ल्ड में विकसित हो चुकी हैं, वे थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के प्रेडिक्शन के बारे में नहीं हुई हैं...(व्यवधान) इस सन्दर्भ में जो कुछ भी मैक्सिमम करना संभव है, वह सब कुछ सरकार द्वारा किया जा रहा है। ...(व्यवधान) आपने रेनफाल सिनैरियो में बारे में कहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में कहा है, इस बारे में मुझे यही कहना है कि दस-पन्द्रह दिनों के अंदर, हमारे विभाग की प्रेडिक्शन्स के आधार पर यह बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव होने वाला है...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी जी, बोलिए।

आज आपका जन्मदिन है, इसके लिए आपको बहुत बधाई, मगर सन्दर्भित प्रश्न ही पूछना।
...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : पहले से मौसम का पूर्वानुमान करके सूचना दी जाती है कि इतने मिनट बाद बारिश होगी, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य उसका पालन नहीं करते हैं, नाले वगैरह की सफाई नहीं कराते हैं...(व्यवधान) दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में एक बस डूब गई थी और मौसम पूर्वानुमान अखबारों में घोषित हो गया था। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार को चेतावनी देकर दण्डित करने का भी प्रावधान है या नहीं?

...(व्यवधान) मैडम, दिल्ली में मिंटो ब्रिज के पास बस डूब गई थी, कुछ लोग उसमें मर भी सकते थे। मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: मैडम, मेरा कहना है कि हम सभी सरकारों को उचित समय रहते, अपने विभाग से संबंधित सभी एलर्ट्स देते हैं और हम उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि वे उन एलर्ट्स को समझकर, उनके अनुसार जो प्रिकॉशन्स लेनी हैं, उनको लें। ... (व्यवधान) अधिकांश स्थानों पर यह लिया भी जाता है और जहां पर ऐसा किया जाता है, वहां के लोगों को निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। ... (व्यवधान) मैं इस सदन के माध्यम से, सभी राज्य सरकारों से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी जानकारीयां हमारे विभाग की तरफ से पहुंचाई जाती हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाने के लिए वे निश्चित रूप से सहायता करें। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से एक कॉमन एलर्ट प्रोटोकॉल (CAP) सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ... (व्यवधान) हम करीब सात राज्यों में इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं। इसके आधार पर, जहां कहीं भी बड़ा डिजास्टर होगा, देश के उस हिस्से में हम बिना मोबाइल नम्बर्स के सीधे टावर्स के साथ कनेक्ट करके, हम सभी मोबाइल फोन्स पर एलर्ट देने में सक्षम होंगे। ... (व्यवधान) इसके ऊपर बहुत एडवांस्ड लेवल पर रिसर्च हो रही है और बहुत जल्द ही यह कॉमन एलर्ट सिस्टम देश में लागू होगा। ... (व्यवधान)

(Q.5)

SHRI M. UDHAYAKUMAR : Respected Madam Speaker, in his reply, the hon. Minister has stated that no such proposal is under consideration in the TRAI to amend the interconnection charges. But the true fact is that the TRAI has sought views from the service providers regarding usage of interconnection services such as SMS, etc.

I would, therefore, like to know from the hon. Minister as to what are the views expressed by the service providers on interconnection charges?

श्री मनोज सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज वर्ष 2003 में वाजपेयी जी की सरकार के समय लागू किया गया था और समय-समय पर इसका पुनरीक्षण किया गया। ...(व्यवधान) अभी हाल ही में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सन्दर्भ में निर्णय लिया है। ...(व्यवधान) इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसे फिर से रिव्यू करने की अभी कोई जरूरत है। ...(व्यवधान) जो यूसेज चार्जेज डोमेस्टिक कॉल्स के लिए थे, वह 14 पैसे हुआ करता था, उसे कम करके 6 पैसे प्रति कॉल कर दिया गया है।...(व्यवधान)

वर्ष 2019 के बाद वर्ष 2020 से ज़ीरो पैसा कर दिया जाएगा। उसी तरह से जो इंटरनेशनल कॉल रेट्स थे, वह 53 पैसे प्रति कॉल था, जिसे कम करके 30 पैसे कर दिया गया है। हमने जो उत्तर दिया है, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। 1 जनवरी 2018 को ही इंटरनेशनल कॉल के बारे में ट्राई ने फैसला लिया है, उसके तीन-चार महीने पहले लोकल कॉल्स पर फैसला लिया है।

SHRI M. UDHAYAKUMAR : Respected Madam Speaker, the interconnection charges, due to which the service providers are suffering from heavy losses, is the major issue. The major players are gaining from these interconnection usage charges.

Therefore, I would like to know whether there is any proposal with the TRAI to make interconnection usage charges according to the subscriber base of each service provider.

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो सर्विस प्रोवाइडर्स के फाइनेंशियल स्ट्रैस की बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक इंटर मिनिस्ट्रीयल ग्रुप का गठन किया गया था और उसमें सरकार ने कैबिनेट में दो निर्णय किये हैं। मैं कह सकता हूं कि टेलीकॉम सैक्टर की एक सक्सैजफुल स्टोरी रही है और वह सक्सैजफुल स्टोरी बनी रहे, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

SHRI K.H. MUNIYAPPA : This is one of the most important things. Last Saturday, we had a meeting.

HON. SPEAKER: Hon. Member, you have to ask only a supplementary question.

SHRI K.H. MUNIYAPPA : Madam, I am asking a supplementary question.

Last Saturday, we had a District level meeting on telecommunications. The range of Wi-Fi connection in the State of Karnataka is limited to 100 metres or 200 metres. A huge amount of money is being spent. But it has not been connected to the rural part or even the cities or even the panchayat headquarters. It cannot work beyond 200 metres. What is the fun in providing this Wi-Fi connection? What kind of communications are we giving to the country or the rural masses? This is the most important area of concern. I would like to know about it from the hon. Minister.

श्री मनोज सिन्हा : माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न से इनके सप्लीमेंट्री का कोई संबंध नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य का सम्मान करते हुए जवाब देता हूँ और उनको मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जो हम भारत नैट परियोजना इस देश में लागू कर रहे हैं और जिसका पहला चरण हमने दिसम्बर 2017 में पूरा किया था और जिसका हमने लक्ष्य ढाई लाख ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड ब्रॉड बैंड सुविधा पहुंचाने का रखा है, यानी 6 लाख ग्राम सभाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 1 लाख ग्राम पंचायतों तक हम वह सुविधा पहुंचा चुके हैं और वाई-फाई हॉट स्पॉट 100-200 मीटर तक ही मिलता है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यदि कोई ऑल्टरनेट या नयी तकनीक आएगी तो

उसका भी प्रयोग सरकार पूरी तरह से करेगी। लेकिन मैं एक बात खास तौर से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी देश ने इतने बड़े स्केल की कोई परियोजना ब्रॉड बैंड के क्षेत्र में नहीं की है और आज़ादी के बाद यह पहली परियोजना है, जिसमें पूरी तरह से देशी तकनीक और देशी उपकरणों का प्रयोग हुआ है। हम चाहते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वे सारी सुविधाएं पहुंचे जो शहरों में हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है।

(Q. 6)

श्री अरविंद सावंत : माननीय अध्यक्ष जी, हम वहां ऊंटी गये थे और हमने देखा कि जो नीलगिरी माउंटेन रेल है, अंग्रेजों के जमाने से आई हुई है, बहुत खूबसूरत है। यूनेस्को का उसे स्थान मिला है और ऐसी स्थिति में इस ट्रेन को चलाते समय जो घाटा हो रहा है, अगर हम वह घाटा देखें तो वह घाटा रेल पर आ जाता है। मेरा मंत्री जी से एक सवाल यह है कि आपने कहा कि पर्यटन पैकेज के बारे में हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, कोई स्कीम नहीं बनाई है, लेकिन आईआर सिटी से आप यह पैकेज करते हैं। जो हमारे यातायात करने वाले लोग हैं, हमारे देश में इतने धार्मिक स्थल हैं, इतने खूबसूरत स्थल हैं, अगर ऐसी जगह जाना है तो उसमें कोई कंपनी की बात नहीं है, लेकिन अगर हम 50 या 100 लोग एक साथ जाना चाहते हैं तो सबको रेल में एक साथ बुकिंग नहीं मिलती। लोग अलग-अलग डिब्बे में जाते हैं। क्या रेल मंत्रालय इस बारे में कोई निर्णय ले रही है कि जो पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जहां लोगों को इकट्ठा जाना है, उसके बारे में आज रेल मंत्रालय की जो सोच है, वह आईआरसीटीसी के ऊपर अवलंबित है। क्या रेल मंत्रालय उसे छोड़ कर अपनी कोई नीति बनाएगी?... (व्यवधान)

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं कि अभी वह रेल से यात्रा करके आए हैं और उन्होंने नीलगिरी का खूबसूरत दर्शन भी किया है। वास्तव में इको-टूरिज्म, टूरिज्म मंत्रालय देखता है लेकिन वे धार्मिक स्थल हों, पर्यटन स्थल हों या कुछ आस्था के केन्द्र जहां लोग जाना चाहते हैं तो भारतीय रेल उसका इंतजाम करती रही है। हम पहले से अच्छी गाड़ियां, कुछ राजस्थान टूरिज्म के सहयोग से, महाराष्ट्र टूरिज्म के सहयोग से और कर्नाटक टूरिज्म के सहयोग से

चला रहे हैं। हम 'आस्था सर्किट' और कई नई ट्रेनें 'भारत दर्शन' जैसी इस उद्देश्य से चलाते हैं।
...(व्यवधान)

माननीय सदस्य कुछ सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। ...(व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : हमारी जो नीलगिरी माउंटेन रेल है, वह घाटे में चल रही है। उसकी आय एक करोड़, 82 लाख रुपए है और खर्चा 28 करोड़ रुपए है। यह सारा खर्चा रेलवे पर आता है, अगर रेल मंत्रालय अर्थमंत्री जी से इस तरह की प्रार्थना करेगा कि यह घाटा भारत सरकार की तरफ से उठाए जाए तो रेल मंत्रालय से उतना बोझ कम होगा और रेल मंत्रालय विकास के लिए वह पैसा अन्य जगह खर्च कर सकता है। क्या ऐसा प्रस्ताव आपके मन में है?

श्री मनोज सिन्हा : यूनेस्को ने इस रेल खंड को हेरिटेज रेल का दर्जा दिया था और कुछ मानक तय किए हुए हैं कि यह-यह काम हमें करना है। जिसे जोनल रेलवे करती है। यूनेस्को हमारी कोई आर्थिक सहायता नहीं करती है। जोनल रेलवे ही इस खर्च को वहन करती है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव अर्थमंत्री जी के लिए दिया है, तो वर्तमान में अर्थमंत्रालय भी रेल मंत्री जी ही देख रहे हैं। जो उचित निर्णय होगा, वह करेंगे।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Thank you, Madam Speaker. In the answer, it is specifically stated that there is no separate plan regarding Rail Eco-tourism on Indian Railways. But, at the same time, the hon. Minister admits that there are certain eco-tourism destinations like Munnar, Thekkady, Thenmala, Courtallam and such and such other places through which train service is also there.

There is a proposal to introduce vistadome coaches. Vistadome coach means all the three sides of the wagon or the coach will be glass-covered and it is fully air-conditioned and rotational chair is also there. I would like to know whether the Government will consider the proposal to introduce vistadome coaches in trains covering eco-tourism.

श्री मनोज सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, इस तरह की एक रेल भारतीय रेल के पास है जो मुंबई-गोवा चलती है। माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न पूछा है, तो ऐसा कोई विचार भारतीय रेल में नहीं बना है कि ऐसे और कोचेज बना कर उस रेल खंड पर भी चलाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर -7, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Shri Ravindra Kumar Pandey – not present.

Shri Nishikant Dubey

...(व्यवधान)

(Q. 7)

श्री निशिकान्त दुबे : माननीय अध्यक्ष महोदया, जब से यूपीए की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हम ने माइनोंरिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और सच्चर कमेटी ने यह बात कही है कि यदि सबसे बुरा हाल है और कांग्रेस के कारण यदि बुरा हाल है तो वह मुसलमानों का है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह बड़ा अलार्मिंग है। मैं यह समझ नहीं पाया, इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 81 हजार लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई, जो वर्ष 2016-17 में घट कर 65 हजार हो गई। वर्ष 2017-18 में वह 61 हजार हो गई। हमारे राज्य झारखंड में यह 1,806 से बढ़ कर 10,232 हो गई और उसके बाद 23,526 हो गई। उसी तरह से यदि जम्मू-कश्मीर की बात करें तो आप यह समझें कि जम्मू-कश्मीर में उनकी संख्या लगातार घट रही है।

12 00 hrs

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण बिहार, झारखंड और बंगाल में जनसंख्या बढ़ रही है या किसी और कारण से यहां लड़कियों की संख्या बढ़ रही है?... (व्यवधान)

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी स्कॉलरशिप डीबीटी मोड में हुई है। इसमें किसी तरह से भी बिचौलिए का रोल नहीं रहा है और लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है।... (व्यवधान) पिछले चार सालों में 2 करोड़ 52 लाख अल्पसंख्यक समाज के लड़के और लड़कियों को स्कॉलरशिप दी है, जिसमें 50 परसेंट लड़कियां हैं। यह बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन में 2 लाख 50 हजार लड़कियों को स्कॉलरशिप दी गई। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कहीं संख्या कम हो रही है और कहीं संख्या बढ़ रही है।... (व्यवधान) इसका मुख्य कारण यह है कि हमने पूरी तरह से स्कॉलरशिप की व्यवस्था को

डीबीटी मोड में किया है, इस वजह से लीकेज खत्म हुआ है। लीकेज के साथ-साथ डुप्लीकेशन भी खत्म हुआ है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है और उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। ऑनलाइन के आधार पर ही स्कॉलरशिप दी जाती है।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे : महोदया, यह बहुत अलार्मिंग स्थिति है कि डुप्लीकेशन ऐसे राज्यों में हुआ है, जहां यूपीए या हमारे विरोध की सरकारें हैं। मेरा कहना है कि जब हम स्कॉलरशिप देते हैं तो हम यह तय नहीं कर पाते हैं कि उसका फायदा लड़कियों तक पहुंचा है या नहीं, उन्हें रोजगार मिला है या नहीं।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितना डुप्लीकेशन हुआ है और कितनी लड़कियों को रोजगार मिला है? इसका यदि कोई डेटा सरकार के पास है, तो सरकार को बताना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : महोदया, माननीय सदस्य को मैं पूरी तरह से आश्चस्त करना चाहता हूं कि इसमें एक भी बिचौलिए का रोल नहीं है। डीबीटी की वजह से डुप्लीकेसी और बिचौलिए पूरी तरह से आइसोलेट हुए हैं और लाभार्थी बच्चे-बच्चियों को सीधे तौर पर लाभ मिला है।... (व्यवधान) 2 करोड़ 52 लाख अल्पसंख्यक समाज के बच्चे-बच्चियों को हमने स्कॉलरशिप दी है। आजादी के बाद लाभार्थियों की इतनी संख्या सबसे बड़ा नम्बर है, जिसमें कि 50 परसेंट से ज्यादा बच्चियां हैं। मैंने सभा पटल पर रखा है कि कितनी बच्चियों को स्कॉलरशिप दी गई, कितने लड़कों को स्कॉलरशिप दी गई और नौकरियों की डिटेल् भी हमारे पास है। हमारा विकास समावेशी है, साम्प्रदायिक नहीं है।...(व्यवधान)

12 01 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये मामले महत्वपूर्ण हैं, मगर इन्हें अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है इसलिए मैंने किसी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।...(व्यवधान)

12 02 hrs

RESIGNATION BY MEMBERS

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को लोक सभा के निम्नलिखित आठ सदस्यों द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बारे में सूचित करना है।

1. श्री बी. एस. येदियुरप्पा (शिमोगा, कर्नाटक)
2. श्री बी. श्रीरामुलु (बेल्लारी, कर्नाटक)
3. श्री सी. एस. पुट्टा राजू (मांड्या, कर्नाटक)
4. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी (नेल्लोर, आंध्र प्रदेश)
5. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी (कडापा, आंध्र प्रदेश)
6. श्री पी. वी. मिदून रेड्डी (राजमपेट, आंध्र प्रदेश)
7. डॉ. वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली (तिरुपति, आंध्र प्रदेश)
8. श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले, आंध्र प्रदेश)

मैंने इनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं।

12 04 hrs

FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations to Ms. Hima Das for winning Gold Medal

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम एक अच्छी बात भी करें।

यह सभा सुश्री हिमा दास को 12 जुलाई, 2018 को फिनलैंड के ताम्पेरे में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक फेडरेशन संघ (आईएएफ) विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 51.46 सेकेण्ड के समय के साथ 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई देती है।

सुश्री हिमा दास की उपलब्धि उल्लेखनीय है क्योंकि वह असम के नौगांव जिले के छोटे-से गांव कांधुलीमरी के किसान की बेटी है और अपने कठिन अभ्यास, दृढ़-संकल्प एवं जीवटता से उन्होंने देश के लिए गौरव अर्जित किया है। लड़कियों की मेहनत दिखती है। उनकी स्वर्णिम सफलता हमारे सभी उदीयमान खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी।

यह सभा सुश्री हिमा दास को उनके भावी प्रयासों के लिए सफलता की कामना भी करती है।

12 05 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा अंतरिक्ष विभाग के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 9220/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM
MEGHWAL):

I beg to lay on the Table a copy each of the following Ordinances (Hindi and English versions) under article 123 (2) (a) of the Constitution: -

- (1) The Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018)
promulgated by the President on 21st April, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9221/16/18]

- (2) The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 2 of 2018) promulgated by the President on 21st April, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9222/16/18]

- (3) The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 3 of 2018) promulgated by the President on 3rd May, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9223/16/18]

- (4) The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 4 of 2018) promulgated by the President on 18th May, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9224/16/18]

- (5) The National Sports University Ordinance, 2018 (No. 5 of 2018) promulgated by the President on 31st May, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9225/16/18]

- (6) The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018 (No. 6 of 2018) promulgated by the President on 6th June, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 9226/16/18]

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): The rule says, immediately after the Question Hour, it has to be taken.

माननीय अध्यक्ष : लेकिन पेपर्स लेड तो होना चाहिए ।

...(व्यवधान)

12 05½ hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 198th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Disaster in Chennai caused by Torrential Rainfall and consequent flooding, pertaining to the Ministry of Home Affairs*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 198th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Disaster in Chennai caused by Torrential Rainfall and consequent flooding, pertaining to the Ministry of Home Affairs.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You please go to your seat. Otherwise, it will not be accepted. I am sorry. Nothing I can do. The same thing will happen again.

12 06 hrs

(At this stage, Shri Srinivas Kesineni and some other hon. Members went back to their seats.)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 9227/16/18

12 07 hrs

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS

HON. SPEAKER: Now, hon. Members, I have received notices of motion of no-confidence in the Council of Ministers from Shri Kesineni Srinivas, Shri Konakalla Narayana Rao, Shri Thota Narasimham, Shri Tariq Anwar, Shri Mohammad Salim, Shri Mallikarjun Kharge, Shri N.K. Premachandran and Shri K.C. Venugopal. I am duty bound to bring the notices before the House.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am taking it.

As the notice from Shri Kesineni Srinivas is first in point of time, I ask Shri Kesineni Srinivas to seek leave of the House. Only you have to take the leave.

SHRI KESINENI SRINIVAS (VIJAYAWADA): I seek the leave of the House to move the following motion:

“That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers.”

HON. SPEAKER: May I request those Members who are in favour of leave being granted to this motion to rise in their places?

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

HON. SPEAKER: So, more than 50 Members have risen in support of the motion.

So, the leave is granted.

I will inform the House about the date of discussion because I will have to see the whole business. Definitely, we will take it up for discussion. We will have to allot time also. We will have to see how much time is needed.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, you allot the time within 10 days.

HON. SPEAKER: I will give the time. Regarding date and time, I know within 10 days it will be taken up. I will go according to the rules. Do not worry. Otherwise, I will take your help also. I am sure.

Yes, Ananthkumar, do you want to say anything?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, विपक्ष की कई पार्टियाँ द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ...(व्यवधान) उसे आप स्वीकार कर लीजिए। हम उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ...(व्यवधान) पूरे देश में श्री नरेन्द्र मोदी जी को कांफिडेंस है और हाउस में भी दो-तिहाई बहुमत है। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I have done it. It is okay.

... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: Now, let me take up 'Zero Hour'.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I will let you know the time for discussion in one or two days. We will have to think about it. Please take your seat.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have accepted your request. I will allow all of you to speak on it. Please sit down.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Jugal Kishore ji.

श्री जुगल किशोर (जम्मू): अध्यक्ष महोदया जी, आपने मुझे इस सत्र में पहले ही दिन अपने क्षेत्र की एक विशेष समस्या की ओर ध्यान दिलाने का मौका दिया है। ...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से नरेन्द्रभाई मोदी, जो देश के प्रधान मंत्री हैं और गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और पूरी सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इन्होंने जम्मू एवं कश्मीर के बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए वहाँ के बहुत सारे पेंडिंग काम पूरे किए हैं, उनकी बहुत सारी डिमांड्स पूरी की हैं। अब उन लोगों की एक डिमांड रहती है। बॉर्डर क्षेत्र में रहने वाले लोग सांबा और कठुआ से लेकर राजौरी और पुंछ तक बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वे बॉर्डर पर ही रहते हैं। अब समस्या यह आती है कि बॉर्डर पर जो फेंसिंग, काँटेदार तार लगी हुई है, उसके उस पार पाकिस्तान वाली साइड की हजारों एकड़ जमीन किसानों की है। अब किसान वहाँ खेती-बाड़ी के लिए नहीं जा सकते हैं। वह जमीन बंजर बन गई है और जंगल बन चुकी है।

अध्यक्ष महोदया जी, मेरी और पूरे जम्मू एवं कश्मीर के लोगों की आपसे यह डिमांड है कि सरकार उस जमीन की फसल का मुआवजा उन किसानों को दे। ...(व्यवधान) वही तो उनकी जमीन है। उनके पास और कोई रोजी-रोटी का साधन नहीं है। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि उस क्षेत्र के लिए कुछ धनराशि आबंटित की जाए, ताकि वे किसान जो काँटेदार तार के उस पार की जमीन पर फसल नहीं उगा पा रहे हैं, उनको जल्द से जल्द उस जमीन का मुआवजा मिले, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

खड़गे जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब किस बात पर सब लोग एक साथ उठकर खड़े हो रहे हैं? क्या हो गया? मैं खड़गे जी को बोल तो रही हूँ क्या कर रहे हो?

खड़गे जी, आप सलाह-मश्विरा ही करते रहोगे?

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Hon. Madam, please refer to Rule 198(b), Chapter XVII of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. मैंने इस रूल के अंडर नोटिस दिया था। आपको इसे लार्जर पार्टी को मूव करने के लिए देना था, क्योंकि हम उनके साथ थे। हमने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था, आपने हमको उसका अवकाश नहीं दिया।

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैंने पूरा दिया है। ऐसा नहीं होता है। मैंने नियम के अनुसार ही काम किया है। उसमें लिखा हुआ है। एक्चुअली पहले उन्होंने दिया था।

...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Everyone should get an opportunity to read it out. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप प्लीज़ मेरी बात सुनिए। उसमें बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी, ये सब नहीं होता है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, उसे पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। ... (व्यवधान)
हमने भी उसे मूव किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनका नाम लिया तो है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मैडम, पढ़ने के लिए मौका भी दीजिए...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्लीज बैठो। I am sorry. आप सब नहीं समझ रहे हैं। मैंने आप सब के नाम लिए हैं। आप चाहें तो मैं फिर एक बार आपको नाम बता दूँ। आप देख लो, यह रिकॉर्ड में भी आ गया है। जिन-जिन लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया था, उन सब के नाम मैंने पढ़कर सब को सुनाए हैं कि इनकी तरफ से भी आया है, लेकिन समय के अनुसार मुझे उसे देखना होता है और उसमें भी जिसका नाम पहले आता है, I have to give him accordingly. इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे किसी ने भी दिया, यह हो गया कि इसे आप सब ने ही दिया है।

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, you have admitted it. But that should be decided within 10 days.

माननीय अध्यक्ष : इसे भी जब उन्होंने उठाया, तो मैंने उनसे within 10 days कहा।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : You can allot the days, whether one, two or three, for this discussion. That is the rule.

HON. SPEAKER: The hon. Member, Prof. Saugata Roy, said the same thing and I told him that I will work according to the rule. I know that I have to take it up within 10 days. I also assured him that if anything is required, I will discuss it with him. I know it and I will allot the time for discussion accordingly.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, my only request is that while taking it, you should have taken all No Confidence Motions at a time.

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am requesting this because we, six or seven Members, have put the notices for No Confidence Motion.

माननीय अध्यक्ष : मैंने कहा है। Khargeji, now, you again go through the record and come to me. I am sorry. आप उसमें देख लेना। आप इस प्रकार से मुझ से बात मत कीजिए। I am sorry.

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : जब आपने अविश्वास प्रस्ताव पर लीव मांगा तो कांग्रेस के सब सदस्य खड़े हो गए। के०सी० वेणुगोपाल जी का अविश्वास प्रस्ताव अक्सेप्ट हो गया है।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। इसकी चर्चा नहीं होती है। I am sorry. Whatever Speaker has done, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करने दूंगी। क्योंकि मैंने नियम के अनुसार ही सब कुछ किया है। आप रिकार्ड में जाकर देखिए। मैंने सभी के नाम लिए हैं। बात केवल वहां आती है कि according to time and you know it better. उसके अनुसार उनकी पार्टी के दो-तीन लोगों ने दिया था, इसलिए उनका नंबर पहले आया। मैंने उनका नाम केवल रेज करने के लिए लिया था। ऐसे नहीं होता है, मैंने सभी का नाम लिया था। I have gone according to the rule. I am sorry.

Shri Mohanbhai Kundariyaji. Is he there?

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान सौराष्ट्र क्षेत्र बांधों (धरणी) स्थित नहरों की ओर दिलाना चाहता हूं। ये नहरें बहुत पुरानी हो गयी हैं और इन नहरों

की जलप्रवाह क्षमता भी काफी धीमी हो गयी है। इसीलिए इन नहरों को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सीमेंट कंक्रीट करके लिफ्ट ईरिगेशन के लिए रूपांतरित किया जाए ताकि इन नहरों की जलप्रवाह की क्षमता में सुधार आ जाए। इससे जल बचत और जलवहन में भी वृद्धि होगी। सौराष्ट्र क्षेत्र स्थित बांधों की नहरों को प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सीमेंट कंक्रीट करके लिफ्ट ईरिगेशन में रूपांतरित करने से किसानों को पानी जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सकता है। पानी की समस्या खत्म होने के साथ-साथ किसानों को अधिक से अधिक फसल लेने में मदद होगी। इससे किसानों की आय दुगुना होने में भी मदद होगी। आप से अनुरोध है कि इस मामले पर निजी तौर पर ध्यान दें एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को समुचित निर्देश दें ताकि जनहित की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Mohanbhai Kalyanjibhai Kundariya.

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Madam Speaker, I would like to draw your kind attention to a railway station on Harbour Line. ...

(Interruptions)

12 18 hrs

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

Hon. Deputy Speaker, Sir, I would like to draw your kind attention to a railway station on Harbour Line in my parliamentary constituency Mumbai South Central which is named as Kings Circle since British era. This station lies between Wadala Station and Mahim Station on Harbour Line. By road connectivity, it comes in-between Sion and Matunga. Being a Mumbaikar, I am aware that Sion and Matunga have a sizeable Jain community. So, on behalf of the residents of

Sion and Matunga, I request the hon. Railway Minister and hon. Home Minister that the said station should be named as Parshwadham, considering the sentiments of the local people of my constituency.

Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Gopal Shetty are permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिल्ली में कई रेलवे फाटक हैं, जो अक्सर बंद मिलते हैं, जिस वजह से अक्सर जाम रहता है। इसका हल निकालने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, नॉर्थ-एमसीडी और रेलवे से मिलकर इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाया। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से पैसे का आवंटन भी करवाया। लेकिन नॉर्थ-एमसीडी में इतनी शिथिलता है और अधिकारी इतने ज्यादा निकम्मे हैं कि ड्राइंग में ही इनको ढाई-तीन साल लग गए। अब उन्होंने उसे डीडीए की टेक्निकल कमेटी के पास भेजा है। ड्राइंग में इतना ज्यादा समय लगाने के बाद अब डीडीए को सर्वे के लिए भेजा है। इसमें कितना समय लग रहा है, इस बारे में मैं होम मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख चुका हूँ। मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ।

इसके अलावा जो एम.सी.डी. के कमिश्नर हैं, मैं उनसे भी कह चुका हूँ कि हमारे लोक सभा क्षेत्र में यह समस्या है, वहां घेवरा, किराड़ी और नरेला इन तीन जगहों पर फाटक हमेशा जाम रहता है। वहां के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाना बहुत जरूरी है।

इसके अतिरिक्त भलस्वा में जो गार्बेज का माउंट बना हुआ है, उससे वहां के लोगों का पूरा जीवन तबाह हो रहा है। हम उसे वहां से हटाने की मांग करते आ रहे हैं और किराड़ी में एक सूखी नहर

है, हमने उसके लिए भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अप्रोच किया है कि वहां अक्सर जाम रहता है, इसलिए वहां से कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय और शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्दी कम्पलीट किया जाए और यदि अधिकारी इस काम को नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the matter raised by Dr. Udit Raj.

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Hon. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity.

I wish to raise a very serious issue pertaining to the demand for re-instatement of operation of wide-bodied aircraft and also restore the Haj Embarkation Point at Calicut Airport. This is a burning issue and it has affected the people especially of Malabar region.

Till the closure of the airport for re-carpeting in May 2015, wide-bodied aircraft were operating from this airport. With these type of aircraft, people were travelling to the Gulf at cheaper air fares. The ban has hit the 18 million strong Indian diaspora from the Malabar region of the State, who use this gateway in all spheres, including air travel, commercial exports, health care, tourism, etc.

Similarly, 85 per cent of Haj pilgrims use this airport for Haj pilgrimage. The Haj house constructed at exorbitant cost is now lying locked and idle.

The operations have been shifted to the Kochi International Airport which has affected the people of Malabar region very adversely. What I understand is that many of the air operators are willing to operate these types of aircraft. The Airport Authority also has no objections. But unfortunately the DGCA has put its foot down.

So, my humble request and my humble submission to the hon. Minister, through you, is to direct the authorities to accept the demand immediately.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Mamta Sanghamita – not present.

12 19 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS

- (i) Re: Need to take action against elements affecting pluralistic and democratic ethos of the country**

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Mr. Deputy-Speaker, thank you. I am sorry to raise before this House the attack on my constituency office in Thiruvananthapuram and the death threats that I received from members of the ruling party in response to my criticism of far right extremism. This is not just an attack on constitutionally-sanctioned MP's office but also a larger attempt by incendiary elements and their digital equivalents to destroy the idea of India as a pluralistic and accepting democracy. Their victims, in recent months, have included intellectuals, minorities, and various citizens of the country. Yesterday, even Swami Agvinessh was attacked. These are people who have expressed dissent against rising intolerance in today's India and they are being attacked physically.

In doing so, they are disregarding the singular principle of our historic democratic consensus which is that in a diverse democracy like ours, you do not need to agree all the time, so long as you will agree on the ground rules of how you will disagree. That is what we have seen today with the No Confidence Motion. But it is not what we are seeing in the streets where the ground rules of

our democracy are being betrayed by those who have been elected by the people of India as a ruling party and they are betraying this basic ground rule.

I want to say Mr. Deputy-Speaker, we cannot and should not stand by as communal violence, mob-lynching and hooliganism replace rule of law and rights guaranteed by our Constitution.

I strongly urge the Prime Minister to break his silence on the behaviour of his own party men and take action against these anti-national elements and anti-Indian elements who seek to abridge the freedom of speech in our democracy. Thank you Mr. Deputy-Speaker. ... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, Dr. Kulamani Samal, Dr. A. Sampath, Shri P. Karunakaran, Shri P.K. Biju, Shri Md. Badaruddoza Khan, Shri Sankar Prasad Datta and Shri M.B.Rajesh are allowed to associate with the matter raised by Dr. Shashi Tharoor.

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): The Government should respond. ... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY-SPEAKER: You cannot force the Government to respond.

... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I cannot force them for it.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Sir, there has been lynching in Kerala. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Laxman Giluwa – not present.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Shailesh Kumar – not present.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Kirron Kher.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Thank you, Deputy-Speaker, Sir. ... (*Interruptions*) There are 10,000 Short Service Commissioned Officers in the Army, and they do not receive medical benefits from the Government. ... (*Interruptions*) These Officers are commissioned to serve in the prime years of their life for 10 to 14 years and then released without medical benefits. ... (*Interruptions*)

In 2008, the Armed Forces Tribunal, Chandigarh had asked for the Ex-servicemen Contributory Health Scheme to be extended to these Officers, and in 2009 the then Prime Minister had given an assurance in this very

House that this Scheme will be extended to them. ... (*Interruptions*) However, nine years later, there has been no constructive action in this regard, and in 2011 the Government of that day filed an appeal in the Supreme Court against giving these medical benefits. ... (*Interruptions*)

This reluctance to extend medical benefits is very demoralizing for our Officers who spend the prime years of their life in service to the nation. The most affected, as a result of this, are our women Officers, since the armed forces rarely ever make permanent recruitment of women, and 76 per cent of women in the Army are on Short Service Commission. ... (*Interruptions*)

The Expert Committee on Defence in 2015, and the Standing Committee on Defence in 2018 have both recommended that the Contributory Health Scheme should be extended to the Short Service Commissioned Officers. ... (*Interruptions*)

I would request the Government to take expedited cognizance of this matter and extend medical benefits to those Officers with immediate effect. ... (*Interruptions*) This will go a long way in boosting their morale towards joining the service and staying in service for a longer number of years. Thank you, Sir. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr. Kulmani Samal are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Kirron Kher.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, the hon. Minister of Parliamentary Affairs is here and he should respond on behalf of the Government on this very serious issue raised here. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is going to respond.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wait for a minute.

... (*Interruptions*)

12 21 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS...Contd

(i) Re: Need to take action against elements affecting pluralistic and democratic ethos of the country

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, it is very unfortunate. A very senior Member like Dr. Shashi Tharoor cannot make unfounded and baseless allegation on political party workers and Leaders of Parties like the ... *

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He is a very senior Member of this House. ... *(Interruptions)* He has been insulted like this. ... *(Interruptions)* There was an attack on his office. ... *(Interruptions)*

SHRI ANANTHKUMAR : If something has happened in Kerala, then he should go for investigation. The whole of Kerala knows as to who has done it. ... *(Interruptions)*

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): There is videographic evidence of the attack. ... *(Interruptions)*

* Not recorded

SHRI ANANTHKUMAR : There is a State-organised terror by ... * in Kerala, and for whatever ... * does, Dr. Shashi Tharoor should not put the blame on the ... * and other political parties. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : No, those were the ... * workers only. ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR : Therefore, let him say that it is from ... * My only request to you, Sir, is to expunge the mention of ... * workers and men in the case of lynching, which is totally baseless and it is far from the truth. ... (*Interruptions*)

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, why is he mentioning about ... * here? ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, he is the hon. Minister. They have got Intelligence; they have got IB; and they have got so many other agencies. They are already investigating or following the case. Why is he not giving correct information as to who has done it? ... (*Interruptions*) Why is he misleading the House? ... (*Interruptions*)

SHRI ANANTHKUMAR: There is no question of misleading the House. Shri Mallikarjun Kharge is a very senior leader of the Congress Party. He is the Leader of the Opposition. He should know that 'law and order' is the subject matter of

* Not recorded

Kerala. A dastardly incident has happened in Kerala. Dr. Shashi Tharoor very well knows that it has been done by ... * not by *

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, the House should condemn it. ...
(Interruptions)

12 31 hrs

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, please go back to your seats.

... (Interruptions)

12 33 hrs

(At this stage, Shri K.C. Venugopal and some other hon. Members went back to their seats.)

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, I am very sorry to hear as to what has happened to the hon. Member, Dr. Shashi Tharoor. It is very unfortunate. His rights have to be protected. There has been a mention of the names of the political parties, either ... *. Those names would be expunged.

... (Interruptions)

* Not recorded

HON. DEPUTY SPEAKER: I am making a request to the hon. Parliamentary Affairs Minister. It is the duty of the House to protect the rights of the hon. Members. Investigations would find out as to what has happened. Whatever has happened is unfortunate. I am accepting that. At the same time, whatever names have been mentioned by both the parties are expunged.

... (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Sir, I have no objection to your ruling. We don't need to mention the parties. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The whole House is concerned about what has happened about the rights of the hon. Members.

... (*Interruptions*)

DR. SHASHI THAROOR : The reason why there is a threat to freedom of express is because freedom of express has led to violence and they are defending their acts of violence. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, Shrimati Supriya Sule and Prof. Saugata Roy are allowed to associate with the issue raised by Dr. Shashi Tharoor.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : महोदय, मैं महाराष्ट्र में किसानों को बैंकों के द्वारा दिये जाने वाले ऋण के बारे में हो रही समस्या की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ...(व्यवधान) महाराष्ट्र में वित्तीय संस्थाओं की विफलता के कारण किसानों को नई फसल बोने के लिए ऋण नहीं मिल रहा है। ... (व्यवधान) पिछले साल महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा की थी। एक साल बीत गया है, लेकिन दो प्रतिशत लोगों को भी इस कर्ज माफी का कोई लाभ नहीं मिला है। कर्ज माफी तो मिली नहीं, लेकिन अब जब किसान बैंक में लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो नया लोन भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इस साल अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ आठ या नौ प्रतिशत किसानों को ही कर्ज मिला है। जिस प्रकार से बैंक के अधिकारियों की एप्रोच है, वे एडॉप्टेड विलेज का कारण बता रहे हैं और इसी कारण से किसानों को लोन नहीं मिल रहा है। वे स्टाफ की कमी की बात भी कर रहे हैं। हमने अभी तक 11 आन्दोलन अपने संसदीय क्षेत्र में इस विषय पर किए हैं। यह मिडलमैन की दिक्कत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई हो और ज्यादा से ज्यादा कर्ज किसानों को मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Supriya Sule, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the issue raised by Shri Rajeev Satav.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Thank you hon. Deputy Speaker, Sir.

My State Kerala has been experiencing very severe havoc due to the severe monsoon since May 29, 2018. All the 14 districts of the State of Kerala starting in the North from Kasargod to the South to my district Thiruvananthapuram have

been affected since 29th of May, 2018. As per the latest information that we have received on this occasion when this august House has started this Monsoon Session today, more than 90 people have died due to the flood, severe rain and the havoc caused by the monsoon. More than 300 people have suffered injuries. Many of the injuries are of grievous nature. About 329 *pucca* built houses are fully destroyed in the floods and rains. More than 9000 houses have been partially destroyed during the havoc caused by the severe monsoon.

You very well know the sad plight of our farmers. More than 12,000 hectares of the agricultural land have been submerged in the rain water and nothing could be done during the last two months. The Disaster Management Authority is trying its best to save the people and to protect the life and property of the people. It is estimated that there has been a loss of more than Rs.2,000 crore. Buildings have been washed away; bridges have been washed away; roads have been washed away; and the *pucca* built dwelling houses have also been washed away. In many of the districts, schools have been closed; people cannot move out; and rail traffic has been affected. Many of the trains starting from Chennai cannot come to the Southern districts of Kerala. It cannot pass through Kottayam, Ernakulam etc. Even some of the temples have been submerged in the rain water.

This is a matter concerning the life and death of the people of all the 14 districts of Kerala. My humble request is this. Our hon. Parliamentary Affairs

Minister is here. This is not a part of any political game. He can term me as
...(Interruptions)... *

HON. DEPUTY SPEAKER: That word is already expunged. Do not use that word.

... (Interruptions)

DR. A. SAMPATH : I am a representative of the people. I am speaking nothing
but truth in this august House. Kindly provide urgent help.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher,
Adv. Joice George, Shri E.T. Mohammad Basheer, Shri M.B. Rajesh and Shri P.
Karunakaran are permitted to associate with the issue raised by Dr. A. Sampath.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Thank you Deputy Speaker, Sir.

I wish to bring to your notice the important all-India strike announced by the
Motor Transport Association regarding various demands from the Union
Government including:

1. diesel under GST with a tax slab of 18 per cent;
2. reduction in diesel price and uniform national pricing policy;
3. fuel prices must be revised once in three months and not daily;
4. reduction in insurance premium; and
5. cancellation of toll gate fees and so many other demands.

* Not recorded

This strike will badly affect the common man, as essential items like vegetables and milk supply will be affected. If the strike continues, vegetable prices will increase highly. Diesel price has been increased by 10.3 per cent a litre in June 2018. More than 75 lakh vehicles all over India and 13 lakhs vehicles in every State will not be working. Around four lakh goods transport vehicles will not run in Tamil Nadu alone.

My Namakkal Constituency is well known for huge number of transportation vehicles. Items like sago, turmeric are cultivated in large volumes and transported all over India and worldwide. This lorry strike has badly affected these farmers.

Considering these above facts, I would request the Union Government to take immediate steps to put an end to the nation-wide strike by All India Motor Transport Association for the welfare of the people of this country.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena and Shrimati V. Sathyabama are permitted to associate with the issue raised by Shri P.R. Sundaram.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल कुछ विज्ञापनों में खासतौर से टू-व्हीलर के जो विज्ञापन होते हैं, उनमें स्टंट्स दिखाए जाते हैं। स्टंट को रोकने के लिए पुलिस भी कोशिश करती है, क्योंकि मोटरसाइकिल पर स्टंट करने से बच्चों की जान खतरे में रहती है। इस

प्रकार के जो स्टंट्स दिखाए जाते हैं, उनसे मोटरसाइकिल चलाने वालों में स्टंट करने की इच्छा पैदा होती है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है।

इसी प्रकार से बनियान के जो विज्ञापन होते हैं उनमें भी स्टंट्स दिखाए जाते हैं। कोई एक बच्चा बनियान निकालता है या हाथ से छूता है तो बनियान पहनने वाला व्यक्ति स्टंट करता है। बनियान पहनने से हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्मार्ट हो जाए, हीरो भी जो जाए; इसमें हमको कोई एतराज नहीं है।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस प्रकार की जो वस्तुएँ हैं उनके विज्ञापन के अंदर स्टंट को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। क्योंकि स्टंट के कारण जो नौजवान बच्चे हैं, वे मिसगाइड होकर उसी प्रकार की कोशिश करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr. Kulmani Samal are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajendra Agrawal.

DR. P. K. BIJU (ALATHUR): I would like to raise an important issue before this august House. In my State of Kerala, the majority of the workers in Gulf Countries do not have any insurance coverage. They are low-income workers. It is difficult for them to send their corpus to Kerala or anywhere in India. The Air India, our national carrier, is charging them a huge amount of money for sending their corpus from the Gulf Countries or any other country to our country whereas countries like Philippines, Pakistan and any other country do not charge a single penny to send the corpus to their respective countries.

Therefore, I request the Central Government to look into this matter and take immediate measures to withdraw the charges charged by the Air India for sending the corpus to their respective countries.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Adv. Joice George, Dr. A. Sampath, Shrimati P. K. Shreemathi Teacher, Shri P. Karunakaran and Shri M. B. Rajesh are permitted to associate with the issue raised by Dr. P. K. Biju.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I draw the kind attention of this august House to the problems faced by the rubber growers in the country. The growers of natural rubber in the country are facing acute financial crisis due to the declining returns from their produce owing to large scale import. Although the rubber sector is a lucrative business for the industries, the prices of raw material are declining and the profits are spiralling. The Government is also collecting a large amount of money as tax from the rubber sector. The alarming fact is that the growers of rubber are in a state of financial crisis.

Therefore, I request the Government to support the rubber growers in the country by regulating the import of rubber and allocating 10 per cent of the tax amount collected from the rubber sector for the welfare of the rubber growers and for the revival of the rubber cultivation in the country.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. P. K. Biju, Shrimati P. K. Shreemathi Teacher, Adv. Joice George and Shri M. B. Rajesh are permitted to associate with the issue raised by Shri Anto Antony.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोकहित के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। महोदय, हम सभी जानते हैं कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का लाभ वर्ष 2011 की आर्थिक, सामाजिक एवं जाति आधारित जनगणना सूची के आधार पर ही गरीब लोगों को दिया जा रहा है। परन्तु, दुःख के साथ कहना है कि मेरे संसदीय क्षेत्रांतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की पूरी राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। पंचायतों में 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत बनने वाले आवास के लाभुकों की सूची में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के आवास निर्माण की प्राथमिकता तय की जाती है। परन्तु, यह देखा जा रहा है कि अधिकतर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को या तो पूर्व में ही इस योजना का लाभ मिल चुका है, जो बहुत कम पैसा मिलता था, उस समय वह मिला है अथवा उनका नाम वर्ष 2011 के आर्थिक जनगणना की सूची में दर्ज नहीं है।

उन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नाम पर पंचायतों में जो राशि भेजी जाती है, वह बिना उपयोग के वापस हो जाती है। सरकार को इस विसंगति को दूर करने की आवश्यकता है, जिससे माननीय प्रधान मंत्री जी का वर्ष 2022 तक 'सबको आवास' का लक्ष्य पूरा हो सके।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पंचायतों में 2011 की आर्थिक जनगणना के अनुसार जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीब लोग वंचित हैं, उन्हें प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित

कराई जाए, जिससे सरकार द्वारा पंचायतों को भेजी जा रही राशि से गरीबों का कल्याण हो सके, उनका घर बन सके। मेरी यही प्रार्थना है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Rama Devi.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इन दिनों देखा जा रहा है कि देश में कैंसर के रोगी बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। उनमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक प्रकार का कैंसर, ब्लड कैंसर होता है। अक्सर यह माना जाता है कि ब्लड कैंसर के रोगी का जीवन बहुत कम है। इसके लिए जो आवश्यक थेरेपी है, जिसे हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, उसकी इस देश में बहुत बड़ी कमी है। थैलीसीमिया के लोगों को भी इस थेरेपी की आवश्यकता है। देश में तीन लाख से ऊपर मरीज हैं। वर्तमान में लगभग दो हजार लोगों को ही हर साल यह थेरेपी मिल पाती है।

मेरी सरकार से मांग है कि वह इस बारे में एक व्यवस्था करे और लोगों को अवेयर करने के लिहाज से काम करे। सरकारी अस्पतालों में जहां प्रसूतियां होती हैं, वहां गर्भ-नाल को संरक्षित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था करे, क्योंकि उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल सकता है, गरीबों को इससे फायदा हो सकता है। स्टेम सेल मैचिंग भी बहुत ही खर्चीला मामला है। अतः सरकार को चाहिए कि इस दिशा में प्रयास करके उसे सस्ता बनाने के लिए तमाम सारी लैबोरेट्रीज के साथ टाई-

अप करे। इससे नौजवानों में अवेयरनेस आ सकेगी। सरकार इस प्रकार से नौजवानों में अवेयरनेस लाकर इस समस्या का निदान खोज सकती है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra and Dr. Kulmani Samal are permitted to associate with the issue raised by Shri Laxmi Narayan Yadav.

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा): महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा में निर्माणाधीन मध्य गंगा नहर की ओर दिलाना चाहता हूं। जिला बिजनौर, अमरोहा, सम्भल तथा बदायूं क्षेत्र में जल स्तर बहुत नीचे तक पहुंच जाने के कारण सरकार द्वारा मध्य गंगा नहर द्वितीय बनाने का निर्णय लिया गया था। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। तब से इसका निर्माण रुक-रुक कर धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

उपरोक्त जिलों के कई विकास खण्डों को सरकार ने डार्क जोन घोषित कर रखा है, जिसके कारण वहां पर खेत में बोरिंग का विद्युत कनेक्शन भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में यहां खेती करना बहुत मुश्किल हो रहा है तथा खेती में किसानों को लगातार घाटा हो रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए मध्य गंगा नहर द्वितीय के निर्माण कार्य को तेजी से कराकर जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा करें, जिससे इन जिलों के किसान अपने खेतों की सिंचाई निश्चित समय पर कर सकें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra and Shri Dharmendra Yadav are permitted to associate with the issue raised by Shri Kanwar Singh Tanwar.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to urge upon the Government to release various funds of Centrally aided schemes pending due to Tamil Nadu. Tamil Nadu Education Department has not received Rs.4,474 crore from the Centre under various schemes in the last few years. Many education schemes, including post-matric scholarship for SC/ST students had suffered as the State was denied Central funds on the ground of exhausting the budgetary allocations. A sum of Rs.1,547 crore has been pending towards the post-matric scholarship scheme for Scheduled Castes and Rs.27 crore for Scheduled Tribes for over a year. The annual allocation is grossly inadequate. I would request that this amount may at least be doubled this year.

The Union Government has to pay arrears of Rs. 1,312 crore for the *Sarva Shiksha Abhiyan*, the 'education for all' scheme to Tamil Nadu. *Sarva Shiksha Abhiyan* aims at providing basic education to children upto the age of 14 and any delay in the release of funds will hit basic education in spite of Tamil Nadu Government's best effort. Under the *Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan* scheme, which is implemented to provide secondary education, an amount of Rs. 1,558 crore is due to be given to the State. Funds under SSA and RMSA schemes have not been allotted to the State though these projects have been approved by the Project Approval Board. As education is pivotal to the task of nation building, I appeal to the Government to release all the funds due for Tamil Nadu without further delay.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati V. Sathyabama is permitted to associate with the issue raised by Shri V. Elumalai.

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): उपाध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्र और विशेष रूप से झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में गरीबी है और वहां रोजगार का अभाव है। यहां की भोली-भाली लड़कियों को बहला-फुसलाकर नौकरी दिलाने के बहाने महानगरों में लाया जाता है और यहां लाकर उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। इस कार्य में प्लेसमेंट एजेंसियां सक्रिय और संलिप्त हैं। देश में करीब पन्द्रह सौ प्लेसमेंट एजेंसियां पंजीकृत हैं किन्तु करीब पन्द्रह हजार प्लेसमेंट एजेंसियां अवैध रूप से काम कर रही हैं। यही एजेंसियां दूरदराज इलाकों में जाकर बहला-फुसला कर महानगरों में लाते हैं और देह व्यापार में धकेल देते हैं। इस तरह से देश में प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर मानव तस्करी की जा रही है और गरीब लोगों के बच्चों को बेचा जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुप्तचरों द्वारा मानव तस्करी, बच्चों के खरीदने-बेचने एवं दूरदराज की लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोह और प्लेसमेंट एजेंसियों का पता लगाया जाए, उसमें सहायता करने वाले तत्वों का पता लगा कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, यही आग्रह है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Nishikant Dubey and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Laxman Giluwa.

Hon. Members, the House will run up to 1300 hours because we have a meeting of Business Advisory Committee. Therefore, I request the hon. Members whose names I am calling to speak for only one minute each. Otherwise, I will not be able to call other Members.

SHRI K.H. MUNIYAPPA (KOLAR): Hon. Deputy-Speaker, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and West Bengal are the largest producers of silk with Karnataka contributing about 60 per cent. Most of the silk is being exported. Because of the reduction in duty by the BJP Government, farmers and silk reelers are suffering. When the UPA Government was there, the duty was increased from 10 to 15 per cent. I urge upon the Government to come forward to protect the farmers and silk reelers by way of MSP and incentive. Farmers and silk reelers are committing suicide. They are facing serious problems, especially in Ramanagaram, Sidlaghatta, Channapatna, Tumkur and entire south Karnataka. So, this is a very important issue. Only three days ago, farmers committed suicide. ... (*Interruptions*) I urge upon the Government to take necessary steps.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri R. Dhruvanarayana, Shri S.P. Muddahanume Gowda and Shri D.K. Suresh are permitted to associate with the issue raised by Shri K.H. Muniyappa.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Deputy-Speaker, the Prime Minister's security is the concern of the nation. The Prime Minister addressed a *kisan kalyan* rally in Midnapur in West Bengal on 16th July, 120 kilometres from Kolkata. People were brought to the rally from Jharkhand, Odisha and also from within the State.... (*Interruptions*) During the rally, one tent collapsed. It injured 90 people including 50 women.

The rally was organised by BJP. They must take the blame for the shabby arrangement in the Prime Minister's meeting where there could have been several deaths. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please sit down now.

... (*Interruptions*)

श्री ओम बिरला (कोटा): माननीय उपाध्यक्ष जी, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत देश में सबसे ज्यादा यानी 90,000 मैट्रिक टन लहसुन खरीदा गया। अभी 50,000 मैट्रिक टन के टोकन दिए गए हैं। मेरी सरकार से मांग है कि जिन किसानों को टोकन दिए गए हैं, उनकी लहसुन की खरीद पूरी की जाए।

इसी के साथ राजस्थान के सरसों और चना का 2248 करोड़ रुपये बकाया है, मेरी सरकार से मांग है कि किसानों का बकाया पैसा तुरंत दिया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri C.P. Joshi, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Dushyant, Shri Dushyant Singh and Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Om Birla.

12 55 hrs

SUBMISSIONS BY MEMBERS.... Contd

**(ii) Re: Problem arising out of natural calamities in Kerala and demanded
Central assistance**

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Deputy-Speaker Sir,
In Kerala, the monsoon has severely affected the State. I am not going into the
details of that. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay, come to your point; what do you want?

SHRI KODIKUNNIL SURESH : My constituency Kuttanad taluk in Alleppey district
is below sea level. The entire area of Kuttanad is paddy cultivation area. Severe
flood has badly affected Kuttanad and people are stranded there.

HON. DEPUTY SPEAKER: What relief do you want?

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The rescue operation is not being done by the
district administration. We need the Army and Navy support for rescue operations
in Kuttanad.

HON. DEPUTY SPEAKER: That is all right.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The district administration is not able to carry out
the rescue operation. People are in various islands. We need support from Army
and Navy.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already said that.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I would like to request the Government to send a Navy team and Army team to rescue the people of Kuttanad. This is a very serious issue.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Dharam Vira Gandhi.

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Deputy-Speaker Sir, the entire State of Kerala has been hit by monsoon. Everybody is in trouble. The hon. Home Minister is here. I think, he should say something on this.

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot call him.

SHRI K.C. VENUGOPAL : The entire State of Kerala is affected. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot compel him. Please take you seat.

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला): माननीय उपाध्यक्ष जी, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाबी भाषा को तीसरे नंबर पर लाया गया है। अंग्रेजी भाषा, अधिसूचित भाषा भी नहीं है, इसे पहला दर्जा दिया गया है.... (व्यवधान)

मैं आपसे विनती करता हूं कि चंडीगढ़ में पंजाबी भाषा को पहला दर्जा दिया जाए। पंजाब के गांवों को उजाड़कर चंडीगढ़ शहर बनाया गया था। चंडीगढ़ में पंजाबी ही पहली भाषा होनी चाहिए, मेरी आपसे यही विनती है.... (व्यवधान)

12 58 hrs**SUBMISSIONS BY MEMBERS.... Contd****(ii) Re: Vacancy position for reserved posts in various Universities**

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार का ध्यान यूजीसी के 5 मार्च के सर्कुलर की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस सर्कुलर के माध्यम से देश के करीब 60 फीसदी पिछड़े, 22 फीसदी दलित और 7.5 फीसदी अनुसूचित जनजाति यानी देश के 85 फीसदी लोगों के साथ विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है।

वर्ष 1997 में एससी लोगों को रिजर्वेशन मिला और वर्ष 2007 में ओबीसी लोगों को रिजर्वेशन मिला। 2018 आते-आते यूपीएससी और एचआरडी मिनिस्ट्री को इन वर्गों का रिजर्वेशन बर्दाश्त नहीं हुआ और एक नया सर्कुलर जारी कर दिया। इस सर्कुलर के माध्यम से पहले 200 पदों का रोस्टर बना। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को सामान्य मानकर, एक युनिट मानकर जो रिजर्वेशन मिला था, अब उसे खत्म किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी तमाम विश्वविद्यालयों में विज्ञापन आए हैं, हम पंजाब विश्वविद्यालय की बात करें तो 58 पदों में से केवल दो पद, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में केवल 63 में केवल पांच पद, कानपुर विश्वविद्यालय में 15 में जीरो पद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 113 में केवल 37 पद, काशी विश्वविद्यालय में 52 में आठ पद हैं, बीएचयू में 99 में केवल 20 पद हैं। इस तरह से अन्याय हो रहा है, उपेक्षा हो रही है, अत्याचार हो रहा है।

HON. DEPUTY SPEAKER: All right, please sit down.

... (Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rajeev Satav and Shrimati Supriya Sule are permitted to associate with the issue raised by Shri Dharmendra Yadav.

13 00 hrs

देश के दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्गों के साथ ...(व्यवधान) यह सरकार जो दावा ठोकती है कि हम दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ है, वह एक ढकोसला है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister will reply to both the issues.

... (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव : उपाध्यक्ष जी, हमारे विषय पर सरकार जवाब दे, गृह मंत्री जी जवाब दें।
...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is going to speak on both the issues. He is giving reply to you also. Since Kerala issue has also been raised, he is going to reply to that also.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एससी, एसटी अथवा ओबीसी, किसी भी कम्युनिटी के रिजर्वेशन को न इस देश का कोई व्यक्ति छीन सकता है, न कोई संस्था छीन सकती है। ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : एचआरडी मिनिस्ट्री छीन रही है।...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: इस संबंध में एक एसएलपी भी कोर्ट में फाइल की गई है और कल इस संबंध में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करके...(व्यवधान) एचआरडी मिनिस्टर इसके बारे में बयान देंगे...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव : गृह मंत्री जी, इस बारे में ऑर्डिनेंस लाइए।

HON. DEPUTY SPEAKER: You may please continue.

श्री राजनाथ सिंह: मैंने एक सेंटेंस में कह दिया है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKARA) : What about flood, Sir?...
(Interruptions)

HON. DEPUTY SPEAKER: He will reply to that also. Members are asking about floods in Kerala and Karnataka.

... (Interruptions)

SHRI MALIKARJUN KHARGE (GULBARGA) : Sir, the Minister is also dealing with the natural disaster management. Not only Kerala and other coastal areas but in fact the entire South is affected. I would, therefore, request the Minister to let us know how he is going to give the relief.

श्री राजनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जिन राज्यों में फ्लड अथवा किसी नेचुरल कैलामिटी की जानकारी प्राप्त होती है, मैं संबंधित मुख्यमंत्रियों से बात करता हूं। इसके पहले भी, केरल में हुआ अथवा कर्नाटक में भी जब इस प्रकार की कोई कैलामिटी हुई है या फ्लड की सिचुएशन वहां पैदा हुई है, तब वहां के संबंधित मिनिस्टर्स से बात करके, उस चैलेंज को मीट-आउट करने के लिए

एनडीआरएफ या अन्य जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं, वे बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई हैं।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : You should send the Central team....

(Interruptions)

श्री राजनाथ सिंह: मैं माननीय सदस्यों को आश्चस्त करना चाहता हूं कि यदि आपकी स्टेट गवर्नमेंट की यह डिमाण्ड होती है कि हमें एनडीआरएफ चाहिए या अन्य कोई एसिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए तो हम वे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे।

जहां तक सेंट्रल टीम भेजने का प्रश्न है, पहले एक मेमोरेंडम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा केन्द्र सरकार को प्राप्त होगा। उसके बाद वहां जो लॉसेस या डैमेजेज हुए हैं, उनको एसेस करने के लिए एक सेंट्रल टीम हम यहां से भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद हाई लेवल कमेटी में बैठकर हम उस पर डिस्सीजन लेंगे।...(व्यवधान)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): For the last four years we have been requesting the Railway Minister for the stoppage of Express Trains at Bhuvanagiri, Alair and Jangaon stations. My constituency is the constituency of the Gods having a lot of temples like Jain Mandir, Yadadri temple, etc. A big Church was built long back along with other temples at a cost of almost Rs.2000 crore. If you pray the God, he will respond but in spite of our making hundreds of requests, the hon. Minister has not yielded to the request of the people of my constituency. I would like to take this opportunity to request the Railway Minister to make a halt of the Padmavati Express at Bhuvanagiri and Alair stations and a halt of Satavahana Express at Jangaon Station.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य झारखण्ड में एक मिशनरीज ऑफ चैरिटीज का बहुत बड़ा मसला आजकल चल रहा है। किस तरह से हेल्थ के नाम पर, सोशल सर्विस के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कन्वर्जन हो रहा है और बच्चों को दिया जा रहा है। एडॉप्शन का धन्धा चल रहा है। कौन मां है, कौन पिता है, बच्चा किसके पास चला गया, यह कुछ भी पता नहीं है। चर्च वहां एक सिंडीकेट क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है। ...(व्यवधान) इसी तरह से कन्वर्जन होता है। पूरा नॉर्थ-ईस्ट कन्वर्ट हो गया, पूरे झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का यही हाल है। अभी एक बड़ा मामला सामने आया है। ...(व्यवधान) मिशनरीज ऑफ चैरिटीज, जिसका नाम बड़ा और दर्शन छोटा है, जिसको नोबल प्राइज मिल गया, उसने एक इल्लिगल एक्टिविटी की है। मां का पता नहीं, बाप का पता नहीं, किसको दत्तक पुत्र दिया गया।...(व्यवधान)

किसको दत्तक पुत्र दिया गया या बेटी दी गई, यह नहीं पता। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और कंवर्जन पर सरकार एक बड़ा लॉ लेकर आए जिससे कि इस तरह की एक्टिविटीज इस देश में न हों।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Kirit P. Solanki, Shri Devji M. Patel and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Thank you very much, hon. Deputy Speaker Sir.

The newly introduced Tambaram – Tirunelveli Antyodaya Express is connecting Tambaram and Tirunelveli Junction in Tamil Nadu. It is operated daily from Tambaram to Tirunelveli Junction as Train No. 16191 and from Tirunelveli Junction to Tambaram as Train No. 16192. Announced in 2017, the train started its operations from 9th June, 2018. Unfortunately, this important Antyodaya train service is being denied to the entire Cuddalore district. Cuddalore Town is the District Headquarters and is a very big business commercial centre in Tamil Nadu. There are several thousand workers working in many big and small industries in and around Cuddalore. The NLC is also there. There are several Chemical and Petro Chemical Industries in SIPCOT region near Cuddalore. Besides, there are thousands of fishermen living in this District. What is required is that this important train needs to be stopped at Cuddalore. The people of

Cuddalore are very angry and are doing agitations every now and then. The situation is very volatile and the people need to be pacified at the earliest.

I request you to take necessary steps to provide a stoppage for the new Antyodaya Train at Cuddalore Railway Station.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : माननीय उपाध्यक्ष जी, गत तीन दिन से महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसान आंदोलन कर रहे हैं जबकि जो दूध उत्पादक किसान हैं, उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे परिवार हैं जो दूध व्यवसाय पर निर्भर हैं। महाराष्ट्र की सरकार और केन्द्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूँ कि महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर सरकार ध्यान दे। इसके साथ ही मैं किसानों का दुग्ध मूल्य बढ़ाने की मांग करता हूँ।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Dr. Shrikant Eknath Shinde and Shri Rahul Shewale are permitted to associate with the issue raised by Shri Shrirang Appa Barne.

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Thank you, Deputy Speaker Sir. I would like to bring to your kind notice that the hand woven Jamakkalam blanket is a unique product produced by the traditional handloom weavers at Bhavani, which comes under my Tiruppur Parliamentary Constituency in Tamil Nadu.

During the pre-GST time, Bhavani Jamakkalam was exempted from all taxes. But, in the GST regime, it was not included in the list of products under the

GST-exempted category. There is an utter confusion with regard to this unique product – whether it belongs to carpet category or not.

Therefore, I request the hon. Minister to look into this issue and include the handloom Bhavani Jamakkalam product in the GST-exempted list. Thank you, Sir.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Thank you very much hon. Deputy Speaker Sir.

Today's newspapers are full of judgement by the hon. Supreme Court which is about 'mobocracy' all over. Unfortunate part of this country is that a man named Manik Roy, who was a migrant labourer, gets killed through lynching by mob in Kerala; Mohd. Azam, a techie, gets killed on false notion of child theft in Karnataka; Madhu gets killed in Attappadi for stealing two rotis. So, all over we see that most of these cases are battle over economic issues. ... (*Interruptions*) These are issues of economic disparity. So far as courts are concerned, they are above politics. Politics is meant for the Parliament. (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Kirit P. Solanki and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakshi Lekhi.

DR. J. JAYAVARDHAN (CHENNAI SOUTH): Mr. Deputy Speaker, Sir, the proposed Dam Safety Bill, 2018 contains clauses which violate the rights of Tamil

Nadu, especially, with respect to the dams constructed by the Government of Tamil Nadu and by the neighbouring States and cause various problems in their maintenance and operation.

I urge the Central Government to take up the legislation on dam safety only after consultation with the States and after arriving at a consensus. Till then, keep in abeyance the process of legislation on Dam Safety Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.10 p.m.

1311 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Ten Minutes past
Fourteen of the Clock.*

14 13 hrs

*The Lok Sabha reassembled after Lunch at Thirteenth
Minutes Past Fourteen of the Clock*

(Hon. Speaker *in the Chair*)

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Motion of No Confidence in the Council of Ministers

माननीय अध्यक्ष: मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। आज सुबह निर्णय हुआ है कि हमें 'नो कांफिडेंस मोशन' लेना है। मैंने आपसे कहा था कि दिन और समय मैं तय करूंगी। आपने कहा था कि दस दिन के अंदर ही इसे लिया जाए। From morning to evening on Friday, the 20th July, 2018 we will have a discussion on the 'No-confidence Motion'. We will take it up for the whole day. So, we will take it up on Friday. इसी दिन चर्चा पूरी की जाएगी और वोटिंग भी की जाएगी। यह महत्वपूर्ण चर्चा है इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि उस दिन प्रश्न काल नहीं होगा और प्राइवेट मैम्बर बिल भी नहीं लिया जाएगा। उस दिन हम केवल 'नो कांफिडेंस मोशन' लेंगे।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, would it be just for one day? Everybody has given notices.

HON. SPEAKER: One day means 7 hours. The whole day we are going to discuss it. That is why I have suspended the Question Hour on that day. शुक्रवार अच्छा दिन है।

14 15 hrs

GOVERNMENT BILLS- Introduced
Trafficking of Persons (Prevention, Protection and
Rehabilitation) Bill, 2018*

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to prevent trafficking of persons, especially women and children and to provide care, protection and rehabilitation to the victims of trafficking, to persecute offenders and to create a legal, economic and social environment for the victims and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to prevent trafficking of persons, especially women and children and to provide care, protection and rehabilitation to the victims of trafficking, to persecute offenders and to create a legal, economic and social environment for the victims and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2 dated 18.07.2018

1416 hrs

(ii) Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN):

Madam, on behalf of Shri Shiv Pratap Shukla, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, on this Bill, do you want to say something now?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, is he moving this Bill on behalf of Shri Shiv Pratap Shukla?

HON. SPEAKER: Yes, he is moving it on behalf of Shri Shiv Pratap Shukla.

प्रो. सौगत राय : अरे बाबा! He is in Finance Ministry now! कब क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता।

माननीय अध्यक्ष: श्री सौगत राय जी, आप जानकारी नहीं रखते हैं। क्या पूरा समय केवल पश्चिम बंगाल में ही लगाएंगे, थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दें।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-2 dated 18.07.2018

Motion moved:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto.”

PROF. SAUGATA ROY : Madam, under Rule 72 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I have given a notice to oppose the introduction of the Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interests of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto.

Madam, I am opposing the introduction of this Bill not because I feel that there is no need to regulate and control unregulated deposit taking companies. But I may inform you that there are already Non-Banking Financial Companies controlled by the Reserve Bank of India. There are Collective Investments Schemes regulated by the Securities and Exchange Board of India. There are Chit Funds which are regulated by State Governments. When our Standing Committee on Finance, of which Shri Nishikant Dubey and Shri Shivkumar Udasi are Members, gave its 16th Report, it asked for a comprehensive legislation on all such irregular deposit taking activities, in view of the various scams that have happened in Odisha, Punjab, West Bengal, Jharkhand etc. Now, this is a

piecemeal legislation. This touches only a fringe of the total problem of irregular deposits. That is why, I am demanding that this Bill be withdrawn because there is already the Chit Fund Bill which is pending before the Standing Committee on Finance. Let it be withdrawn, let there be a comprehensive Bill taking into account all sorts of irregular deposit taking activities which is playing havoc with the life and savings of many people in this country and let the Government come forward with a comprehensive legislation to control these activities so that scams which destroy lives of people do not happen. All this has happened during the course of the present Government. From 2014 to 2018, many scams have been exposed.

So, this Bill is not sufficient. That is why, I oppose the introduction of this Bill.

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Hon. Finance Minister during his Budget Speech in 2016-17 had announced that a Comprehensive Central Legislation would be brought in to deal with the menace of illicit deposit schemes. ... (*Interruptions*). The worst victims of these schemes are poor and illiterate people. So, because of these things, we are bringing this Bill. The Parliament's competence to enact the proposed law is under the Entries of 43, 44, 45 and 93 of List I and the 8 of List III respectively under the Seventh Schedule of the Constitution of India.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to provide for a comprehensive mechanism to ban the unregulated deposit schemes and to protect the interest of depositors and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

SHRI PON RADHAKRISHNAN: Madam, I introduce the Bill.

14 21 hrs

**(iii) Airports Economic Regulatory Authority of India
(Amendment) Bill, 2018***

HON. SPEAKER: Now, Shri Jayant Sinha on behalf of Shri Suresh Prabhu.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): On behalf of Shri Suresh Prabhu, I rise to move for leave to introduce a Bill to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to move for leave to introduce a Bill to amend the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008.”

The motion was adopted.

SHRI JAYANT SINHA: Madam, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-2, dated 18.07.2018

14 22 hrs

(iv) Arbitration And Conciliation (Amendment) Bill, 2018*

HON. SPEAKER: Now, Shri P.P. Chaudhary.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI
P.P. CHAUDHARY): Madam, on behalf of Shri Ravi Shankar Prasad, I rise to
move for leave to introduce a Bill further to amend the Arbitration and Conciliation
Act, 1996.

HON. SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to move for leave to introduce a Bill further to
amend the Arbitration and Conciliation Act, 1996.”

The motion was adopted.

SHRI P.P. CHAUDHARY: Madam, I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section-2, dated 18.07.2018

14 23 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय अध्यक्ष: सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to set up railway factory at vacant land owned by Railway Department near Bina railway station in Sagar Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): नियम 377 के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र सागर के अंतर्गत बीना रेलवे स्टेशन के पास रेलवे की 1100 एकड़ जमीन है। भारत सरकार का यहाँ रेलवे का कारखाना स्थापित करने का विचार है। अगर यह कारखाना बीना रेलवे स्टेशन के पास पड़ी जमीन पर स्थापित हो तो इससे देश के संतुलित विकास में सहयोग मिलेगा क्योंकि यह एक पिछड़ा क्षेत्र है। कारखाना स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा। भौगोलिक दृष्टि से बीना रेलवे स्टेशन भारत के बीचो-बीच स्थित एक बड़ा रेलवे जंक्शन है जहाँ से अनेकों गाड़ियों का आना-जाना होता है दूसरी ओर कारखाना स्थापित करने के लिए यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मध्य प्रदेश के बीना रेलवे स्टेशन के पास पड़ी रेलवे की 1100 एकड़ जमीन पर रेलवे कारखाना स्थापित किया जाये जो कई दृष्टियों से अत्यंत उपयुक्त है।

(ii) Need to extend Metro Rail Service to Narela in Delhi under the proposed Phase-IV of Delhi Metro Rail Corporation

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): मेरे संसदीय क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिल्ली में नरेला तक मेट्रो के विस्तार की योजना थी, जिसे यह कहते हुए रोक दिया गया है कि उस क्षेत्र में मेट्रो परिचालन के दौरान वित्तीय नुकसान हो सकता है। प्रारंभ में केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के बीच इस नुकसान को आधा-आधा वहन करने की योजना थी, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पायी है। नरेला मेट्रो इस समय मेट्रो परियोजना के फेस-4 के द्वितीय चरण में बनने के लिए प्रस्तावित है। माननीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए मेरा निवेदन है कि चूंकि मेट्रो गुड़गांव, ग्रेटर नोयडा एवं फरीदाबाद तक पहुंच चुकी है तो ऐसे में नरेला जो एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और घनी आबादी वाला क्षेत्र भी है, को दिल्ली की विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इस इलाके को भी मेट्रो से जोड़ने की जरूरत है। अतः नरेला मेट्रो परियोजना को प्रथम चरण में शामिल करके पूरा किया जाए।

(iii) Proposed Military station at Deoghar, Jharkhand.

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): Deoghar has been included in the list of prominent cities and has been declared as mega tourist destination by the Ministry of Tourism, Government of India. Deoghar is unique and extremely revered site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlinga in the country. This is a religious and, cultural capital of Eastern India and is visited by over 5 crore pilgrims every year. I, therefore, request the Government to undertake the following projects:

1. A Military Station regarding the requirements of land for the proposed Military Station, the area available will be approximately 400 acres to 500 acres which can be reduced or increased once the feasibility is done. The land will be near the ongoing DRDO centre project at Deoghar (Jharkhand);
2. DRDO Lab at Deoghar;
3. Ordnance Factory or any defence infrastructure project at Deoghar;
4. Sainik School at Godda (Jharkhand);
5. Defence recruitment centre at Deoghar.

A large part of the state is affected by Naxalism and terrorism which itself is an indication of the sense of desperation and alienation that is sweeping over

large sections of Jharkhand's Santhal Pargana region which has been not only systematically marginalized but also cruelly exploited and dispossessed.

Jharkhand Government is more than willing to help in the aforesaid projects.

**(iv) Need to relocate and rehabilitate people living in submerged area of
Tehri Dam Project in Uttarakhand**

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं केंद्र सरकार का ध्यान उत्तराखंड में मेरे संसदीय क्षेत्र टिहरी जिले की ओर दिलाना चाहती हूं। टिहरी बांध परियोजना के कारण हजारों परिवारों को विस्थापित किया गया है लेकिन अभी भी बांध परियोजना के कारण डूब क्षेत्र में 415 परिवार विस्थापन की बाट जोह रहे हैं। झील के पानी से इनके मकानों में पड़ी दरारें और जमीन धसने के कारण कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। सरकार द्वारा 2010 में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। उक्त समिति ने पानी के नुकान का आंकलन कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। लेकिन फिर भी इन परिवारों के विस्थापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जल का स्तर बढ़ने से नंदगांव, कंगसानी, नौताड़, रामगांव, डोवरा, रमोल गांव, बड़ारवोली, नारगढ़, सांदणा, गडोली आदि गांवों के लोग डर-डर कर जीने को मजबूर हैं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार यथाशीघ्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को देखते हुए उपरोक्त परिवारों को विस्थापित कर दूसरी जगह बसाये।

**(v) Need to establish a medical college in Chatra Parliamentary
Constituency, Jharkhand**

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम संचालित करता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 24 नए मेडिकल कॉलेजों की आवश्यकता जरूरी समझी गयी है। इन 24 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए जगह का चयन चैलेंज मोड के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए झारखंड राज्य से दो ब्लॉकों का चयन किया है, जिसमें चतरा भी शामिल है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम दिनांक 25 मार्च, 2018 को कहा है कि हर 3 जिलों के बीच एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। ज्ञातव्य है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा में 3 जिले हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 8500 किलोमीटर है। यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है।

चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड प्रदेश का चतरा, लातेहार और पलामू जिले का एक विधानसभा क्षेत्र पाँकी आता है। मेरे लोक सभा में पाँच विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें से चार विधान सभा क्षेत्र आरक्षित हैं। यह पूरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित

(एल.डब्ल्यू.ई.) क्षेत्र है। इस क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े और कमजोर तबकों की है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत अभाव है।

अतः मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि झारखण्ड राज्य के ब्लॉक-1 में चयनित चतरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की जाये।

**(vi) Need to set up a Medical college and hospital in Ballia Parliamentary
Constituency, Uttar Pradesh**

श्री भरत सिंह (बलिया): मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश की आखिरी सीमा पर स्थित बलिया में लोगों को गंभीर बीमारी एवम् आकस्मिक बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। लगभग 200 कि.मी. चलने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं समय और पैसों की बर्बादी के बाद लम्बी लाईनों में खड़े होकर किसी प्रकार लेनी पड़ती हैं। इससे संसदीय क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सम्मानित लोगों को कम परिश्रम में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाए जायें एवं बलिया (उत्तर प्रदेश) में शीघ्रातिशीघ्र एक मेडिकल कॉलेज एवम् हॉस्पिटल की स्थापना हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराई जा सकें।

सधन्यवाद।

**(vii) Need to set up Ekalavya Model Residential School in Dibrugarh
Parliamentary Constituency of Assam.**

SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): Ekalavya Model Residential Schools (EMRS) have been established in various states to provide middle and high level education to Scheduled Tribe students in remote areas. Ministry of Tribal Affairs has taken a number of steps for establishment of EMRS in the tribal areas where tribal population is 50% or more. My constituency Dibrugarh has a large number of tribal population. They lack proper educational facilities.

I, therefore, request the Ministry of Tribal Affairs to take necessary steps to set up Ekalavya Model Residential Schools in my constituency as soon as possible.

**(viii) Need to shift antique statue of Devi Rukmani
from Archeological Museum at Vidisha to Damyanti
Archeological Museum, Damoh district, Madhya Pradesh**

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह): मैं संस्कृति मंत्रालय से मांग करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्रान्तर्गत दमोह से दिनांक 04.02.2002 की रात्रि में देवी रुक्मणि जी की अति प्राचीन मूर्ति चोरी हो गई थी। यह मूर्ति राजस्थान के हिण्डोली जिला से दिनांक 05.04.2002 को दमोह पुलिस द्वारा बरामद की गई थी, परंतु मूर्ति की अभिरक्षा सुनिश्चित न होने से इसे ग्यारसपुर, जिला विदिशा के पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य के दमोह जिले के मुख्यालय में दमयंती पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है, जहाँ पर यह मूर्ति सुरक्षित रखी जा सकती है। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर देवी रुक्मणि जी की मूर्ति को पुरातत्व संग्रहालय, ग्यारसपुर से पुरातत्व संग्रहालय दमोह को सौंपने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस विषय में भारत सरकार और पुरातत्व विभाग से अनुरोध है कि इसकी प्रामाणिक जानकारी सार्वजनिक तौर से उपलब्ध की जाए।

(ix) Need to accord B-2 category status to Udaipur city, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उदयपुर शहर की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पूर्व में उदयपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4 लाख 51 हजार 200 थी। वर्ष 2001 को सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उदयपुर शहर की जनसंख्या में 23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई थी। इस वृद्धि दर को यदि आधार माना जाए तो वर्ष 2016 तक जनसंख्या में लगभग 5 लाख का पार कर चुकी है तथा उदयपुर शहर के पेरीफेरी 34 राजस्व ग्रामों को यू.आई.टी. क्षेत्र में माना गया है, इन ग्रामों की जनसंख्या व उनमें भी वर्ष 2016 तक हुई वृद्धि को जोड़ा जाए तो जनसंख्या लगभग 7.50 लाख से ऊपर जाती है तथा 2001 से वर्तमान 2018 तक हुई वृद्धि को यदि आधार माना जाये तो उदयपुर शहर "बी-2 श्रेणी" का हक रखता है। अतः मैं, सरकार से मांग करता हूँ कि वर्ष 2001 से वर्ष 2018 तक उदयपुर शहर में हुई जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उदयपुर शहर को अतिशीघ्र "बी-2" श्रेणी का दर्जा दिया जाये जिससे यहां के सरकारी कर्मचारियों एवं आम जनता को "बी-2" के सभी लाभ प्राप्त हो सकें।

**(x) Need to include 'Alha Khand'- epic poetic works in Hindi in UNESCO's
Intangible Cultural Heritage**

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): यूनेस्को के तहत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए समिति ने दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित अपने 12वें सत्र के दौरान मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'कुंभ मेला' का उल्लेख किया है। इससे पहले 2016 में 'योग' और पारसी त्यौहार 'नोरोज' को इस सूची में शामिल किया गया था। कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकृति मिलने पर मैं पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं सरकार का ध्यान लोक महाकाव्य "आल्हा खंड" की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा जो विश्व में संभवतः एकमात्र खंड काव्य है जो अभी भी मौखिक रूप से जीवित है और लगभग 100 वर्षों से बुंदेलखण्ड सहित देश के विभिन्न भागों में मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्रों में गाया जाता है। यह अपने इतिहास और स्मृति तथा समुदाय की धारणा से जुड़ा हुआ है।

मुख्य रूप से यह बुंदेली और अवधी भाषा का छन्दबद्ध काव्य है। आल्हा का मूल छन्द कहरवा ताल में होता है जो प्रारंभ में विलंबित लय में होता है पर लय धीरे-धीरे तेज होने लगती है और गायक और श्रोताओं में जो जोश का संचार होता है वह अभूतपूर्व होता है। आल्हा में गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता है और मौखिक रूप से यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। आल्हा गायन में सभी समुदाय के लोग भाग लेते हैं और गायन के समय ऊंच-नीच किसी भी तरह का भाव नहीं होता है। यह तत्व मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के साथ संगत है क्योंकि किसी भी भेदभाव के बिना, सभी तरह के लोग समान उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। यद्यपि आल्हा में विभिन्न लोक गाथा के रूप में विभिन्न लड़ाइयों का उल्लेख है परंतु यह देशभक्ति, बलिदान और शांति का ही संदेश देता है। एक लोक खंड काव्य के रूप में, आल्हा गायन दर्शाता है कि देशभक्ति, बलिदान, सहिष्णुता और सम्मिलन समकालीन दुनिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

अतः मैं भारत सरकार से यह करबद्ध निवेदन करता हूँ कि यूनेस्को के तहत "आल्हा खंड" लोक महाकाव्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

(xi) Need to include Kanu, Badhai, Prajapati, Kumhar and Tanti Castes of Bihar in the list of Scheduled Castes

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मेरा सरकार से अनुरोधपूर्वक कहना है कि बिहार सरकार ने 2012 में बिहार से कानू, बढई, प्रजापति (कुम्हार) तांती (ततवा) जैसी अत्यंत पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने हेतु अनुरोध किया था जो अभी तक मंजूरी के लिए लंबित है। बिहार की कानू, बढई, प्रजापति (कुम्हार) तांती (ततवा) जिनकी सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक दशा अत्यंत पिछड़ी है और जातियां अत्यंत पिछड़ी जाति में गिनी जाती हैं। इन जातियों को राष्ट्रीय विचारधारा में लाने हेतु अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और इन्हें नौकरी एवं शिक्षा में आरक्षण अनुसूचित जाति के रूप में मिले तो ये जातियां अपने परिवार का विकास अधिक तेजी से एवं जल्दी से कर सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि 2012 में बिहार सरकार द्वारा प्रेषित बिहार से कानू, बढई, प्रजापति (कुम्हार) तांती (ततवा) जैसी अत्यंत पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाये।

(xii) Need to widen the hammir bridge in Sawai Madhopur in Rajasthan

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र के सवाई माधोपुर में विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर नेशनल पार्क है जिसमें लाखों की संख्या में हर वर्ष देश एवं विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं सवाई-माधोपुर शहर में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है जिसमें लाखों की संख्या में यात्री आते-जाते हैं। सवाई माधोपुर में हम्मीर ब्रिज रेलवे लाइन पर वर्ष 1975 से पूर्व का 7 मीटर चौड़ाई में बना हुआ है परंतु बढ़ती हुई आबादी एवं वाहनों के मद्देनजर इस पुल पर दिन में अनेकों बार यातायात अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान में अधिक लंबे एवं भारी वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण पुल क्षतिग्रस्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। यह पुल का एकमात्र विकल्प है जो पुराने शहर सवाई माधोपुर को नये शहर बजरिया मानटाउन एवं पंचायत समिति मुख्यालय खण्डहार तथा मध्य प्रदेश के यातायात को जोड़ रहा है। सवाई माधोपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए हम्मीर ब्रिज को दोनों तरफ 5-5 मीटर चौड़ा किया जाए। जिसकी अनुमानित लागत 6092.00 लाख रुपये है।

**(xiii) Need to provide employment to displaced people in Korba
Parliamentary Constituency, Chhattisgarh in South Eastern Coal Fields
Limited**

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): साऊथ इस्टर्न कोल्फिल्ड लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) देश की अग्रणी एवं सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिनमें लगभग 35 खदानें मेरे संसदीय क्षेत्र कोरबा में स्थित हैं, गेवरा, कुसमुंडा मानिकपुर, ढेलवाडीह, सिंघाली, छुराकछार, बाकीमोंगरा, रजगामार, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ इत्यादि प्रमुख योजनाएं हैं, कोरबा एवं कोरिया जिला कोयला खदानों के लिए ही जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में साऊथ इस्टर्न कोल्फिल्ड लिमिटेड में विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी देने संबंधी अनेक मामले लंबित हैं। मेरे द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर पात्र लोगों को उनका अधिकार दिलाने हेतु अनेक प्रयास किए गए, साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री जी के साथ बैठक कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया, परंतु उक्त मामले का अभी तक उचित समाधान नहीं निकल पाया है। भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले पात्र व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाओं सहित उनका समुचित पुनर्वास किया जाना आवश्यक है। क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कोरबा क्षेत्र के कोयले के साथ ही बॉक्साइट की खदानें हैं तथा एल्युमिनियम उद्योग हैं, अतः माइनिंग कॉलेज प्रारंभ किया जाना चाहिए। मैं उत्खनन कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले पात्र व्यक्तियों को शीघ्र नौकरी एवं समुचित पुनर्वास उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूँ।

**(xiv) Need to frame a policy for the welfare of people
employed in outsourced contractual jobs**

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि जहां एक ओर सरकार बिचौलियों को समाप्त कर रही है वहीं दूसरी ओर अधिकांश विभागों में किसी भी काम को करने के लिए आउटसोर्सिंग (ठेका पद्धति) के माध्यम से कार्य किया जा रहा है जिसकी वजह से काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन देकर उनका शोषण किया जा रहा है साथ ही रोजगार को लेकर अनिश्चितता की स्थिति भी बनी रहती है तथा कोई सुविधा भी नहीं मिलती है, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों को ठेका पद्धति में आरक्षण नहीं होने से इनको अपने आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए अवसर नहीं मिल पा रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आउटसोर्सिंग (ठेका पद्धति) में काम करने वाले और काम कराने वाले कर्मचारियों के आर्थिक विकास के लिए सरकार के द्वारा नीति-निर्धारण कर एक कानून बनाया जाये, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान एवं मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके।

(xv) Waiver of farmers' loan

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Farmers in the country and particularly in Karnataka are caught in the debt trap. As a result of which farmers are committing suicides. Government of Karnataka has announced some relief to farmers by waving their loan.

I urge the union Government to waive farmers' loan given by the Nationalised Banks and thereby come to the rescue of farmers in the country and particularly in Karnataka.

**(xvi) Need to ensure benefits to reach farmers under the Pradhan Mantri
Fasal Bima Yojana in Hingoli Parliamentary Constituency, Maharashtra**

श्री राजीव सातव (हिंगोली): भारत एक कृषि प्रधान देश है और ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। सरकार ने फसल के नुकसान से किसानों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की लेकिन इसके नाम पर किसानों का शोषण किया जा रहा है और लाभ निजी बीमा कंपनियों को मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र हिंगोली में फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला है। महाराष्ट्र में 2016 खरीफ मौसम में सरकार और किसानों ने 16000 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा था और किसानों को बीमा के रूप में केवल 3634 करोड़ रुपये मिले इसका मतलब है कि बीमा कंपनियों को 10000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि प्रशासन और बीमा कंपनी की मिली-भगत की तत्काल जाँच की जाए ताकि इस योजना का लाभ सिर्फ किसानों को ही मिले जो कर्ज में डूबे हुए हैं।

(xvii) Need to call a meeting of Chief Ministers of State affected by communal tension

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): India is facing serious challenges to its secularism and peaceful ideologies. Last four years have seen an unprecedented increase in communal tension. Mob lynching has become the order of the day. Man has become so cruel. They are enjoying killing of innocent peoples. If anyone breaks the law it is for the law enforcement agencies to take steps but mob is taking law into their hands even in the presence of Police, killing even unarmed men. A deliberate attempt is being made to instill fear in the minds of Minorities and Dalits. Dalits are being hunted and denied basic rights. Hence, I urge the Government to call a meeting of Chief Ministers of the affected states to propagate the idea of peace and harmony and to put a stop to these barbaric activities

(xviii) Problems faced by Powerloom sector in Tamil Nadu

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): The Power Loom business has been hit very badly due to unhealthy competition from auto looms and Chinese products. As a result of this, several thousand Power Loom units have become debt ridden and over burdened and are in dire straits. In Tamil Nadu, there are 6 lakh Power Loom Units providing job opportunities and livelihood to 10 lakh workers. In this GST regime, they generate around Rs 2500 crore to central exchequer. In Coimbatore, Tirupur and Erode Districts, about 95% of Power Loom units are running on job work basis. Most of the units are on the brink of destruction due to debts and bank loans.

Under this crisis circumstances, I request the Government to provide special financial package or recommend for Bank Term loan waiver to bring them back to business and thrive further in their business. I also request the Government to save the power loom units from the clutches of reduced weaving charges by Textile Manufacturers. In order to bring a cost-competitive and level playing ground with imported Chinese fabric, an Anti Dumping Duty on fabric imports should be levied. Therefore, I request the Government to introduce Anti-Dumping Duty on fabric imports from China to save this power loom sector.

I would also request the Government to restore and include the Handloom Weavers Entrepreneurs in the eligible beneficiaries list so that the 7000 weavers of the Erode handloom Entrepreneurs will thrive in their business. Further, I urge the Government to provide weaver identity cards to all Handloom weavers and include them under the Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme to avail all the benefits of the Scheme.

**(xix)Need to address railway related issues of Arakkonam
Parliamentary Constituency of Tamil Nadu**

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): On behalf of the people of my Arakkonam Constituency, I have requested several times to the Ministry of Railways to fulfill the three essential railway needs but none of them got fulfilled so far.

1. To provide stoppage for the Brindavan Express (Train Nos. 12639-12640) at Sholinghur Railway station.
2. To extend Arakkonam-Velachery EMU fast train (Train No, 43936) up to Tiruttani Station.
3. To provide a stoppage for the Trivandrum Mail (Train No 12624) at Arakkonam Junction.

Sholinghur is an important pilgrimage centre which attracts lots of devotees from all over India. Therefore, it is very essential to provide a stoppage for Brindavan Express Train Nos. 12639-12640 at Sholinghur Station Due to insufficient frequency of EMU Trains in the morning hours between 7.00 am and 8.50 am, most of the train commuters are facing huge hardship travelling to and from Chennai. There is an urgent need for extending the Arakkonam - Velachery

EMU fast train (Train No. 43936) up to Tiruttani for the benefit of railway passengers of this area.

The Trivandrum Mail (Train No. 12624) towards Chennai is not having a stoppage at Arakkonam. Passengers who want to get down at Arakkonam has to travel upto Avadi and catch a train to come back to Arakkonam. Due to this, lots of passengers, particularly elderly people and women with children are suffering a lot. To avoid this inconvenience, it is essential to provide stoppage for the (Train No 12624) Trivandrum Mail at Arakkonam Junction.

Therefore, I request once again the Government to consider the genuine demands and take necessary steps to fulfill the railway demands of the people of Arakkonam Constituency at the earliest.

(xx) Need to waive loans of farmers and ensure remunerative price of their produce

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The decision to enhance minimum support price (MSP) for agricultural crops has shown government's failure to address the basic issues of farming community of the country. Farmers say that the increase in MSP was a mere political decision and nothing has happened in reality. Lack of enough fertilizers, pesticides, irrigation facilities and mainly non-availability of bank loans on small interest rates are the main problems of farming community. Agriculture experts agree that lack of consensus and clarity on support price is further adding to concerns of the farming community. Government assured that MSP would be 1.5 time higher than the cost of production according to Swaminathan Commission. The Centre and State Governments establish a state-level intervention corporation to ensure the purchase of other agricultural products at MSP. The cost of production varies from state to state depending upon the agricultural product. Small farmers are not in a position to negotiate or hold the crop till he gets a fair price. Credit from formal institutions is a huge challenge for small and marginal farmers specially for the working capital. Unless policy makers and financial institutions simplify the process of access to credit, the issue will not

be addressed. Thousands of farmers are on the verge of suicide due to debt and fall in prices of their product. Government must take immediate steps to write off the agricultural loans of poor farmers and ensure all the facilities for promotion of agriculture in the country.

(xxi) Need to improve facilities at fertilizers rake points in Odisha.

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Due to non-availability of required infrastructure at existing rake points and lack of new rake points and two-point rakes, supply of fertilizers and their distribution is affected severely across the state of Odisha. The rake points of Balasore and Rupsa which serve my constituency Balasore, have no platforms and cover shed. There are not adequate godowns. As the state tried to increase its area under high yielding and hybrid varieties of crops, it needs to enhance the consumption level of fertilizers, both chemical and organic, to ensure sustainable crop production and higher productivity. Per hectare consumption of fertilizer in Odisha stands at 60.43 kg, much lower than national average of 165 kg.

Fertilizer rake points need to be provided with platforms, sheds, electricity, approach road for the trucks etc. I urge the government to build the necessary infrastructure which will aid the state's agricultural productivity.

(xxii) Need to check drug peddling in Punjab and ensure strong action against the culprits

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): देश के अनेक राज्यों के शहरों एवं गांवों में नौजवानों में नशे की लत बढ़ती जा रही है। नौजवानों को नशे ने खोखला करके रख दिया है। अनेक राज्यों में ऐसा कोई कोई गांव या शहर नहीं है, जहां नशे का बोलबाला न हो। इस नशे ने हजारों घरों के चिराग बुझा दिए हैं, लेकिन नशे के सौदागरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। सरकारें आने से पहले तो नशे के खात्मे के लिए बड़े-बड़े दावे करती हैं परंतु बाद में इस ओर ध्यान तक नहीं दिया जाता है। पंजाब सहित देश में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर नकेल डालने के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पंजाब में अफीम, स्मैक, नशे के टीके, नशीली गोलियां, जहरीली शराब धड़ल्ले से शहरों और गांवों में बिक रही हैं और इनका सेवन करने से हजारों जानें जा रही हैं लेकिन प्रशासन व पुलिस इसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व कहा था कि पंजाब जैसे खुशहाल प्रदेश को नशा मुक्त किया जाएगा, परंतु ये बातें सिर्फ कागजी ही निकलीं और सत्ता में आते ही यह वादा भूल गए।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नशा बेचने वालों के विरुद्ध ऐसा कड़ा कानून बनाया जाए कि नशा बेचने वालों की रुह तक कांपे और इसमें नशा बेचने वालों और करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया जाए।

(xxiii) Need to establish steel plant at Kadapa, Andhra Pradesh

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Mandate given to Government of India under 13th Schedule to AP Reorganisation Act is to establish an integrated steel plant in Kadapa, Andhra Pradesh. But, it appears from Affidavit submitted in Supreme Court that the Government of India is not interested to set up plant citing frivolous reasons, which is gross violation of the Act.

After SAIL submitted its Report that it is not feasible to set up steel plant in Kadapa, on repeated requests and appeals of Chief Minister of Andhra Pradesh to reconsider the decision, Government of India constituted Task Force in December, 2016. Task Force in Phase 4 meeting asked State for incentives and Chief Minister of Andhra Pradesh came forward to give water, 10,000 acres of land, power and contribute for rail/road connectivity. Iron ore mines with 110 million tonnes of reserves with more than 60% ferrous content available in AP — this was also mentioned in MECON report— are sufficient to feed a 3 million tonnes capacity plant for 35-40 years and exploration is also going on in Prakasam and if we add that, plant will last for more than 50 years.

I don't think that any State would go this far for a steel plant, but our CM has gone for the people of Andhra Pradesh in general and Kadapa in particular,

because *Kadapa Ukku Andlirida Hakku* (Kadapa steel plant is the right of Andhra).

Hence, I request Government of India to immediately give approval and start work to establish steel plant at Kadapa.

**(xxiv) Need to expedite construction of permanent campus of
IIT Palakkad, Kerala**

SHRI M. B. RAJESH (PALAKKAD): I would like to draw the attention of the Government towards an important issue. An IIT in Kerala was a long pending demand and when the Government announced five new IITs in 2014-15 budget, Kerala was also included in the list. In Palakkad, excellent facilities were arranged on a war-footing for a temporary campus. I am glad to say that IIT Palakkad was the first one to start functioning among the five new IITs announced. The Government of Kerala has already acquired 409 acres of land for the construction of permanent campus. Union Government has also sanctioned funds for the construction. In this context, Union Government was requested several times to officially lay the foundation stone for permanent campus. I would like to urge upon the Government to officially lay the foundation stone and expedite the construction of the permanent campus.

(xxv) Need to address problems faced by dairy farmers of Maharashtra

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Dairy farmers in Maharashtra are agitating for the past few months regarding low procurement prices of milk. Milk procurement prices have plunged, because of low global prices of skimmed milk powder, which has made their exports non-viable. This unsold stock of skimmed milk powder has contributed to price fall. Hence I urge the Centre to reduce GST to 5%, buy skimmed milk powder as buffer stock, and stipulate Minimum Support Price for milk to help farmers to get remunerative price for milk. For milk procured by private players, the Government can fix procurement price and take measure to ensure that it is strictly adhered to. I request the Government to incentivise investments in production of value-added milk products like curd, buttermilk, butter, cheese, ice creams etc. Such interventions can help dairy farmers by stabilising the prices of milk. I also recommend the Government to introduce milk in Mid-day Meals Scheme in Máharashtra.

(xxvi) Need to accord special category status to Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): बिहार का विकास विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों के चलते बाधित होता आ रहा है। बिहार के बंटवारे के बाद प्रमुख उद्योगों और खदानों के झारखंड में चले जाने के कारण बिहार की समस्या और गंभीर हुई है। आजादी के पहले बिहार में लागू प्रतिगामी स्थायी बंदोबस्ती ने राज्य में सामाजिक एवं संरचनात्मक विकास को बाधित किया तथा आजादी के बाद मालवाहक भाड़ा सामान्यीकरण की नीति के कारण तत्कालिक बिहार को कच्चे माल की प्रचुर उपलब्धता एवं लागत-लाभ का फायदा नहीं मिल सका। इस अवधि में जबकि दक्षिण एवं पश्चिम भारत के तटीय राज्यों में औद्योगिक विकास हुआ, मगर बिहार पिछड़ेपन का शिकार रहा। इसके अतिरिक्त, नेपाल एवं अन्य राज्यों से प्रवाहित होने वाली नदियों से प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण भौतिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना में हुए नुकसान की भरपाई हेतु बिहार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ता है। ऐसे कारण जो बिहार के नियंत्रण में नहीं हैं, की वजह से राज्य को प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पीड़ा झेलनी पड़ती है। बाढ़ राहत, पुनर्वास एवं पुनःनिर्माण कार्यों पर काफी राशि व्यय होती है।

11वें वित्त आयोग में बिहार का हिस्सा 11.589 % था जो 12वें वित्त आयोग में घटकर 11.028 %, 13वें वित्त आयोग में 10.917 %, 14वें वित्त आयोग में 9.665 % हो गया। केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा को दिखाकर राज्य के हित की बात करती है, किंतु 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत राज्यों के अंतरण की जो 32 % से बढ़ाकर 42 % किया गया है, वह मात्र एक संरचनात्मक परिवर्तन है। एक ओर कर अंतरणों में वृद्धि के कारण राज्यों की जो हिस्सेदारी बढ़ी वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कटौती के कारण काफी हद तक समायोजित हो गई। फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों का भला कहाँ हुआ?

राज्य विकास के विभिन्न मापदण्डों जैसे- प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सांस्थिक वित्त एवं मानव विकास के सूचकांकों पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। बिहार विभाजन के उपरान्त प्रमुख उद्योगों के राज्य में नहीं रहने के कारण सरकारी एवं निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार ने भी इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए बिहार को कोई विशेष मदद नहीं की है। इन्हीं कारणों से राज्य के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आज परिस्थिति यह है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 58 % कम है।

अतः बिहार पुनर्गठन अधिनियम-2000 के प्रावधानों, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से ही होगा। दूसरा बिहार एक थलरुद्ध राज्य है और ऐसे थलरुद्ध एवं अत्यधिक पिछड़े राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष एवं विभेदित व्यवहार का हकदार है। इस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग को बिहार जैसे पिछड़े राज्य को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए संसाधनों की कमी को चिन्हित कर विशेष सहायता देने की आवश्यकता है।

(xxvii) Need to hand over the acquired land after the completion of mining projects to the original land-owners

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): संविधान में लोगों को अधिकार है कि उनकी जमीन जो कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, अभ्रक, ग्रेनाईट, चूना, पत्थर इत्यादि के उत्पादन और उत्खनन के लिए अधिग्रहीत की जाती है, वह परियोजना समाप्त होने पर मूल रैयत को वापस मिले क्योंकि खनन कार्य समाप्त होने पर वह भूमि बेकार पड़ी होती है एवं उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। साथ ही साथ पर्यावरण को गंभीर खतरा बना रहता है और स्थानीय लोगों में हमेशा किसी न किसी अप्रिय घटना होने का डर भी बना रहता है। अधिग्रहीत भूमि को परियोजना के समाप्त होने के बाद दोबारा मूल रैयत को वापस किया जाना चाहिए इससे खाली जमीन का सदुपयोग किया जा सकेगा।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भूमि अधिग्रहण जिन परियोजनाओं के लिए किया जाता है उनके समाप्त होने पर भूमि को अविलंब मूल रैयत को वापस किये जाने का कार्य निर्देश राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार को दिया जाये।

(xxviii) Need to provide ESI benefits to LIC Agents

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The LIC Agents are the backbone of the LIC. But the LIC is not ensuring the welfare of LIC agents. LIC agents are giving whole hearted support to the organization. The recent policies adopted by the Government are adversely affecting the work of LIC agents. Now the LIC agents are facing various problems. The main issue is the lack of fund for their treatment. Their demand to extend the ESI facility to them has not been considered till date. The LIC agents are one of the most eligible categories entitled for ESI scheme as per the existing norms. But the authorities are not initiating steps to extend the ESI benefit to the LIC agents. Their repeated demand for ESI benefit is still pending. Hence I urge upon the Government to initiate urgent action for extend the ESI benefit to the LIC agents.

14 24 hrs

**RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION
(SECOND AMENDMENT) BILL, 2017**

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, I rise to move:

“That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration.”

स्पीकर महोदया, यह बिल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि सभी राज्यों ने एक राय से इस बिल की सिफारिश की है। सन् 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया, उस समय यह सोचा गया कि परीक्षा का भय छात्रों के मन पर न रहे। यदि कोई छात्र फेल भी होता है, तो उसको डीटेन नहीं करेंगे, यानी उसको क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसको न देखते हुए अगली क्लास में ले जाएंगे। इस तरह पहली कक्षा से आखिरी कक्षा तक नो डिटेन पॉलिसी आ गई। इससे लगभग परीक्षा का महत्व ही खत्म हो गया, क्योंकि किसी के डीटेन होने की संभावना ही नहीं बची। इसके दो परिणाम हुए - एक परिणाम यह हुआ कि जवाबदेही खत्म हो गई। न स्कूल की जिम्मेदारी, न टीचर की जिम्मेदारी, न पेरेंट्स की जिम्मेदारी और न स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी। मैंने ऐसे अनेक सरकारी स्कूल देखे, जो मिड-डे मील स्कूल बन गए - आना, खाना और जाना। इस कारण छात्रों को शिक्षा नहीं मिल रही थी। यह बड़ी कैज़ुअल्टी है। एक के बाद एक सर्वे हुए, चाहे वह नेशनल असेसमेंट सर्वे हो या बाकी के सर्वे हों, उनमें यह सामने आता था कि आठवीं कक्षा के छात्र को पांचवी कक्षा का गणित नहीं आता। सातवीं कक्षा का छात्र चौथी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकता।

इस स्थिति से शिक्षा को खतरा पैदा हो गया। 22 राज्यों ने वर्ष 2013 में ही मांग की थी कि यह बदलना चाहिए और डिटेंशन को वापस लाना चाहिए। इसलिए डिटेंशन का प्रोविज़न वापस लाने के लिए यह बिल लाया गया है। इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं, पहली तो यह है कि किसी भी छात्र को रोकने के लिए यह बिल नहीं है, लेकिन अध्ययन करे, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जिनका उल्लेख वर्ष 2009 के बिल में किया गया था, लेकिन आज तक हो पाए थे। मोदी जी ने पिछले सालों में गुजरात में लर्निंग आउटकम्स पर काम किया था, तो उनका आग्रह था, इसलिए हमने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए। लर्निंग आउटकम्स के आधार पर शिक्षा में हर वर्ष में, हर कक्षा में, हर विषय का क्या ज्ञान मिलना चाहिए, यह निश्चित हो गया और लिपिबद्ध हो गया। टीचर्स का भी ट्रेनिंग हो गया। लेकिन फिर भी परीक्षा का महत्व है, इसलिए हमने यह निर्णय किया कि पांचवीं और आठवीं में परीक्षा होगी। पहली परीक्षा मार्च में होगी। जो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, उनको मई में पुनः अवसर मिलेगा। दो महीने का अध्ययन करके वे पुनः बैठ सकते हैं। अगर वे उस में भी फेल होते हैं तो उस क्लास में रोकने की सुविधा है। लेकिन हमने यह निर्णय यहां से नहीं थोपा है। एक कमेटी नियुक्त हुई थी, जिसने यह सिफारिश की थी। उसके बाद हमने केब की मीटिंग की और एक कमेटी नियुक्त की, जिसने यह सिफारिश की थी तब तक 25 राज्यों ने यह कहा कि हमें परीक्षा लेकर डिटेंशन का अधिकार दीजिए, तीन-चार राज्य, जिनमें तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र ऐसे हैं, जिन्हें अभी भी वही तरीका सही लगता है। इसलिए हमने यह सोल्यूशन निकाला। Now, the decision will be taken by the State Governments. So, the State Governments are empowered to take decision whether to detain or not to detain; whether to adopt this method or the earlier method. यह अधिकार राज्यों को दिया है, इसलिए सभी राज्यों ने यूनेनिमसली पास किया। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया और स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत चर्चा करने के बाद इसको स्वीकृत किया। इसलिए इस पृष्ठभूमि में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि आज शिक्षा की और खास तौर से स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी अगर

सुधारनी है तो सभी को अच्छी शिक्षा देने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। आज यह बिल इसीलिए सदन के सामने लाया गया है। सभी के सुझावों का स्वागत है।

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration. ”

Shri K.C. Venugopal.

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): Madam, can I make one very important submission?

HON. SPEAKER: Yes.

SHRI DINESH TRIVEDI : On 21st July, 2018, everybody knows, we have a huge Martyrs' Day where 14 of the youth were killed by the police. Now, because of that, all of our MPs are in Bengal. You have slated the discussion on the No-Confidence Motion on 20th July, which we appreciate. But kindly consider to change it to Monday. Otherwise, the entire TMC will be out; and in democracy, I think, it is not a good idea to have such a huge party out. They are almost number three.

So, this is a very sincere and humble appeal to you. I am sure, our friends in the Congress party and other party would agree with us.

HON. SPEAKER: I am sorry.

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI : In the Business Advisory Committee, unfortunately, we were not there.

Madam, this is an appeal from our side ... (*Interruptions*) Kharge Saheb, you have to change this day ... (*Interruptions*) This House belongs to all of us, Madam.

HON. SPEAKER: I know.

SHRI DINESH TRIVEDI : So, this is an appeal from us because none of the 34 MPs from the TMC would be present in the House on 20th July. So, please consider this. In the interest of democracy and in the interest of freedom of expression, this is what we appeal to you, Madam.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam Speaker, you have fixed the duration.

माननीय अध्यक्ष: आप एक अलग विषय को यहां डिसकस कर रहे हैं। I have already declared it. सुबह बात हुई थी कि मैं तय करूंगी और मैंने तय करके आप सभी को बता दिया है। आपका कुछ काम है, इस तरह से तो हर एक का कुछ न कुछ काम निकल के आएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम आपके निर्णय को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। हम आपकी बात को मान रहे हैं। लेकिन 30-35 एमपीज़ मौजूद नहीं रहेंगे, तो यह अच्छा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: हम जल्दी वोटिंग कर देंगे। छः बजे की फ्लाइट से आप जा सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आपको मालूम है कि शुक्रवार की शाम को बहुत कम लोग हाउस में रहते हैं और पार्टिसिपेट भी कम करते हैं।

इसीलिए आप इसको चेंज कर के सोमवार को कर दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी बिल पर चर्चा है। हम अभी इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। मैंने निर्णय बता दिया है। ठीक है, आपने बता दिया है, अभी आगे बिल पर चर्चा कीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI DINESH TRIVEDI : We appeal to the Government also. We appeal to the hon. Parliamentary Affairs Ministere to kindly consider it. ...(*Interruptions*) We are not challenging your wisdom, Madam. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Dineshji, I have listened to it. I have noted your concern. Its okay. Now, everybody will start saying something. हरेक को कहीं न कहीं कुछ काम होगा।

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am asking Khargeji. Its okay.

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Madam, Ananth Kumarji, will agree. There is no problem at all. ... (*Interruptions*) आप बोलेंगी तो सभी एग्री होंगे।

माननीय अध्यक्ष: कहाँ एग्री होते हैं, कई बार तो गुस्सा हो कर मानते ही नहीं हैं।

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अनंत जी, अब देखिए इस पर सब चर्चा करेंगे। everybody wants to say something. आप लड़ने के दरवाजे मत खोलो।

... (*Interruptions*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): मैडम, मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपने तय किया है। नियम – 198(2) आपका संपूर्ण अधिकार है, आपका परमाधिकार है और आपने बीएसी में भी इसके बारे में चर्चा की है। चर्चा कर के आपने तय किया है। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोई कार्यक्रम हो, वह छोड़ कर के यहां अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले और यहां विषय रखें और मतदान में भी भाग लें। ... (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप कल ले आइए, नहीं तो सोमवार को रखिए। ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माफ कीजिए, अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा के लिए यह कोई विषय नहीं है। यह तो हर विषय पर ऐसा होने लगा है। चर्चा के लिए बिल रखा है।

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, heavens are not going to fall. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, nothing will go on record.

... (*Interruptions*) *

श्री अनन्तकुमार: मैडम, एक बार उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव मूव किया तो किसी भी वक्त, किसी भी पल के लिए वे तैयार रहने चाहिए। पीछे नहीं भागना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप कल प्रस्ताव को रखिए। ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अब इस बात पर झगड़ा मत कीजिए। अनंत कुमार जी, मैंने आपको भी कुछ नहीं पूछा है। खड़गे जी, मैंने आपको भी कुछ नहीं पूछा है। मैंने आपकी बात नोट कर ली है। This is not the time to discuss it. That is why, I am asking Ananth Kumarji also. यह बात कोई बताई नहीं गई नहीं थी, हम कोई उस दिन हाऊस में नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है।

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, we are such a big party and this is not fair. ...

(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (*Interruptions*)*

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, I appeal to you again with folded hands. ...

(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: K.C. Venugopalji, please speak.

* Not recorded

... (*Interruptions*)

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, I still request you to consider changing the date. If you are not changing it then, we have to protest and we have to walk out with an appeal to please consider it. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Do not protest for such a thing. This is not the proper way.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अगर मैं बोलूँ कि आपने ऐसी कोई बात लिखित में नहीं दी थी कि हम कोई भी नहीं रहेंगे। This is not a proper way.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please do not say anything like that.

Now, Venugopalji.

SHRI DINESH TRIVEDI : Madam, I still appeal to you to please consider and I am sure you will consider it.

14 34 hrs

(At this stage, Shri Dinesh Trivedi and some other hon. Members left the House.)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Madam, please consider their request.

माननीय अध्यक्ष: आपको तो आज ही जाना था, आपका गांव डूब रहा है ना शुक्रवार को डिस्कस कर के जाइएगा।

... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : South-Indian people are also very much in difficulty. They have been hit very badly by the monsoon.

Thank you very much Madam Speaker for giving me an opportunity to initiate this small piece of legislation so as to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. I think, it is a small amendment but it has a significant impact on education sector.

Actually, this Bill is a historic Bill in the area of education. In 2009, UPA Government had introduced this Bill in this House. It has created a historic intervention in the area of primary education. We know that in the area of our primary education, a lot of discrepancy is happening. Actually, children coming from rich families are getting better quality education. Children who are coming from poor family background are getting not much quality education. Actually, this Bill is a strong poor student friendly Bill. I am very much aware of the fact that some of the State Governments are not doing much to implement Right of Children to Free and Compulsory Education Act in a smooth way. If they implement it in a very good manner, definitely discrepancy among the rich and the poor would be decreased. Such provisions are there in this Bill.

This amendment is very clear about detention of the students. If children in the lower level fail in an examination, as per our present Bill, there is no detention. But the hon. Minister, through this Bill, is suggesting that if a student has failed in an examination, then there is a re-examination. If, in that re-examination also, he failed, then the State Government or the Centre has to decide. But, there also, there is a need of clarity because people are debating on these things.

I think, the hon. Minister already mentioned about the survey reports and everything. I do agree with the survey reports also. But, there is difference of opinion in other ways. Therefore, failing in a class will cause fallout. That was the thinking earlier also. When a student is failing in an examination, there should be a severe fallout especially in rural areas. That is why, the Bill has been made in such a way. But, there is a lack of clarity nowadays also. Who will conduct the examination? I would like to know whether the State or the Centre will conduct the examination. That is not clear in this Bill. It should be clarified whether re-examination is conducted by the State or by the Centre.

Therefore, I would urge upon the Minister that some of the State Governments, I am seriously telling, are not at all implementing the Right to Education Act. They are pointing out that it should be giving so much financial burden to the State Governments. Earlier, there was a provision to enhance the allocation to State Government for education sector. But, unfortunately, this Government has cut the allocation of entire Centrally-sponsored schemes and

programmes including Sarva Shiksha Abhiyan (SSA). It is because, Sarva Shiksha Abhiyan is a major scheme to look after the primary education sector.

The day before yesterday also, I had a review meeting of SSA in my constituency. What has happened? Earlier, it was being given Rs. 120 crore; now you are giving Rs. 25 crore. There is no infrastructure development; nothing is there. There are only two-three programmes. The State Governments' argument is that without giving much Central assistance, giving a legislation and asking them to implement that legislation is not at all possible from the point of view of the State Governments. That is their argument. Therefore, I think, the Minister should clarify as to how much amount of money you are giving from the Centre to the States for improving the primary education sector. I think, next year onwards, you are changing SSA and RMSA and you are introducing a new scheme. Okay, it is already implemented.

Therefore, there should be a clarity on how much allocation you are giving. The Government institutions are entirely depending upon the Central assistance. Nowadays, allocations in the education sector is coming down. We need quality education especially in the Government schools.

Madam Speaker, in my own constituency, a lot of poor people from the fishermen community and a lot of poor people from the agrarian communities have to depend upon these Government schools and some of the aided schools.

But the quality of education and facilities which are being provided in urban areas are totally different from rural areas. Students from the marginalised communities and marginalised areas are in a difficult position to get quality education. That is why, this Bill has been introduced in this House. But there has been not much progress reported because of the lack of funds.

Hon. Minister should also concentrate on the primary education. What is the Government doing for the enhancement of primary education? Some Government schemes are very good like Atal Tinkering Lab. You have already provided some funds to the schools including private aided schools. But they are also discriminating between schools. For example, in my district, only eighteen schools have been selected. I asked those officers as to what are the guidelines. They said that whosoever apply first, they will get. We have around one thousand schools in my constituency. We are getting financial assistance from the Central Government for only eighteen schools. It is not reasonable. I agree that it is a good programme. You have to enhance the allocation of funds for that programme and you have to provide financial assistance to a maximum number of schools. This is what I am asking.

In that sense, no Member of Parliament is being consulted. I am telling you frankly. These are bureaucratic interventions. In a democratic set up, how can you do like that? I myself had called the officer concerned and asked various things about the scheme. There is no proper information. In the case of Sarva

Shiksha Abhiyan, we had a review committee under the Chairmanship of a Member of Parliament. This type of an educational scheme should also have such facilities. I have already talked about the affordable education. Therefore, the Government should concentrate on these things. Otherwise, there will be a stress among the people who reside in the rural areas and also on the people who reside in the poor and economically background areas.

Madam Speaker, this Bill gives a provision to protect the student community especially the poor students. What should be attitude of the Government? Unfortunately, I have to say something about the present policies of the Government. The latest controversy is of giving special status to the Jio which has not yet been started and registered at all. How can the Government give status of eminence to the Jio University which is not even existing? The institutions which are pride of our nation are waiting in the queue. They are totally ignoring those institutions. You are providing the status of eminence to an institution which is not even registered. What will be the message to the nation? I seek clarification from the hon. Minister. In the education sector, you are moving such a legislation. What will be the message to the entire nation? The institution which is not yet registered is getting status of eminence. How is it happening? We do not understand it at all.

Then, regarding UGC also, the Government has already decided to dismantle the UGC. You had already dismantled the Planning Commission and

put NITI Aayog. The Government has already told us that creating NITI Aayog is for speedy implementation of projects. Madam Speaker, you are also a very experienced and senior-most parliamentarian. You know in your constituency what is happening. Everything is going to the NITI Aayog. They are dumping there. The same thing is going to happen. The UGC is such an organisation in the area of higher education. Without having done the homework and without having a proper discussion, without a discussion with the eminent educationists and the heads of educational institutions, how can the Government go for this sudden move to dismantle the UGC? What is the purpose? Therefore, I think it is also a serious area of concern.

Regarding adult education, I have something to say. To promote adult education, particularly in the 15-35 age group through voluntary sector, the MHRD is providing assistance to voluntary agencies in the field of higher education under two separate schemes. One is Assistance to Voluntary Agencies in the field of Higher Education and another is Jan Shikshan Sansthan. Recently, the Government has decided to merge both the schemes, and renamed the modified scheme as Scheme for Support to Voluntary Agencies for Adult Education and Skill Development. There is also a complete fund deficiency in the implementation of the scheme.

Then, in the Mid-Day Meal Scheme, the Member of Parliament is also the Chairman to oversee the implementation of the Mid-Day Meal Scheme. Now, we

are in the modern technological period. How are the students getting this? Now, the hon. Minister is telling that education is important and we have to take out the mid-day meal. I do not think it is so because in our area, in our constituency, some students are coming from a very poor background. They have to depend upon this Mid-Day Meal Scheme. They are totally depending upon it. In our State, we can proudly say that apart from the allocation given from the Central Government, they are contributing. The PTI is contributing. The local Self-Governments are contributing for a better Mid-Day Meal Scheme. But there is not much provision for good kitchens.

In the day before yesterday's meeting on Sarva Shiksha Abhiyan I asked them. They are telling us that as per the norms they cannot give funds to have kitchen. I asked this to the SSA. This is one of the most important things. If you are giving the noon meal, you need a healthy, clean atmosphere and a good kitchen for preparing and providing the food. At least, a good dining hall is needed. Therefore, if you provide some money from the SSA, especially for these things in rural areas, it will be a very good thing. Therefore, I am requesting the hon. Minister to amend the SSA guidelines in respect of the Mid-Day Meal Scheme.

Coming to student-teacher ratio also, basically, why is the drop-out happening? I think in some places, in Government schools, enough number of teachers is also not there. There is a huge vacancy of teachers, faculties and

staff. Then, what is happening? There is not sufficient number of teachers. If there is not sufficient number of teachers, then there will be no accountability at the school level. Then, there is a chance of drop-out also in that area. There should be a qualitative student-teacher ratio. It is highly essential for the quality improvement in education.

Madam Speaker, I am not taking much time. Actually, this is a great revolution. This Bill has provided such a great intervention in the area of primary education but the fruitful results have not been seen so far because the implementation is not happening in the States as per the Right to Education Bill.

So, the Central Government should think about the funding pattern of the entire education scheme. Then, only the essence of this Bill will be implemented. Therefore, in this small piece of amendment, I think you should clarify whether the re-examination will be conducted by the State or the Centre. That clarification is needed.

With these words, I conclude my speech. Thank you very much.

सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मानव संसाधन मंत्री जावड़ेकर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार लेकर आए हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है, तो वह शिक्षा है। यदि शिक्षा मनुष्य के पास नहीं है, तो हमारे यहां प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या विहीन पशु समान। आदमी की पहचान इस बात से होती है कि उसके पास शिक्षा होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए।

माननीय मंत्री जी ने काफी चिंतन, मनन के बाद इस बात को पकड़ा। वर्ष 2009 में एक विधेयक लाया गया। मैं समझता हूँ कि इस बीच में शिक्षा को जितनी क्षति हुई है, जितनी हानि हुई है, उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। परन्तु समय रहते हुए माननीय मंत्री जी ने इस पर विचार किया, चिंतन किया और उसमें संशोधन का यह विधेयक प्रस्तुत किया है। जब तक बच्चे के जीवन में बाल्य काल की शिक्षा में मजबूती नहीं आएगी, जैसे हम भवन खड़ा करते हैं, यदि उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, तो उसके ऊपर भव्य भवन खड़ा नहीं कर सकते हैं। आदमी जितनी ऊंची, बड़ी मंजिल या भवन बनाना चाहता है, तो उतना ही मजबूत उसका आधार होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चा जितना सीखता है, मैं समझता हूँ कि उसका बेस मजबूत होना चाहिए। इसमें यह बात ठीक सामने आई कि जब तक शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक वह कैसे मूल्यांकन करेगा। पहली से लेकर आठवीं तक हर साल बच्चे को आगे बढ़ाते गए। मैं स्वयं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ और 9 साल तक अध्यापक रहा हूँ। मानव संसाधन समिति में होने के नाते अनेक स्थानों पर देश और प्रदेश में दौरे किए, भ्रमण किया, विद्यालयों का निरीक्षण किया। कई बार विद्यालयों में जाता हूँ, तो स्थिति यह है कि 5वीं के बच्चे को कुछ नहीं आता है, 8वीं के बच्चे को कुछ नहीं आता है। उनसे जब पूछते हैं कि आपने पढ़ा क्यों नहीं, तो कहते हैं कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे यहां प्राचीन काल से ही

बच्चे का विद्यालय में प्रवेश का प्रावधान था। आचार्य और बालक का संबंध होता था। हमारे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल हुए। जब वे जेल में थे, तब फांसी चढ़ने से पहले उन्होंने एक पुस्तक, अपनी आत्मकथा लिखी। आत्मकथा के उपसंहार के समय में, समापन के समय में वे एक बात लिखते हैं कि मैं नौजवानों से यह नहीं कहना चाहूंगा कि मेरी तरह से फांसी के फंदे को चूमें, जेलें काटें, लेकिन वे एक काम जरूर करें। वे गांव में जाएं, गांव के गरीब, किसान, मजदूर के बीच में जाकर उनके बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करें। बिस्मिल इस बात को लिखते हैं कि संस्कारित बच्चे का शोषण नहीं होता है और शिक्षित का पतन नहीं होता है। मनुष्य को पतन से बचाना है, आदमी को शोषण से बचाना है। देश में गरीबों का, पिछड़ों का जो शोषण हुआ, उसका कारण यही है कि वे शिक्षा से वंचित रहे। शिक्षा प्राथमिक विद्यालय में जब तक नहीं होगी, तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है।

अब मैं हायर एजुकेशन पर आता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए बहुत चिंतित हैं कि दुनिया की जो हायर यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया का जो शिक्षा का स्तर है, उसमें हमारा स्थान बहुत पीछे है। लेकिन यह तब बनेगा जब प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मजबूत होगी। राजस्थान की माननीया मुख्यमंत्री जी ने इसे बहुत पहले लागू कर दिया था और उसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। पिछले वर्ष नामांकन दस प्रतिशत बढ़ा है। लोगों का प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट संस्थानों की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा था, बच्चों का भी आकर्षण था। शिक्षा के अंदर अनिवार्य परीक्षा लागू कर दी गई है, इसे पिछले साल से लागू कर दिया गया था। उसका परिणाम यह निकला कि दस प्रतिशत नामांकन बढ़ गया। इस बार राजस्थान में बच्चों का जो परीक्षा परिणाम आया है, वह बहुत ही उल्लेखनीय है। मेरा लोक सभा क्षेत्र सीकर, राजस्थान आज एक नम्बर पर है। प्रधान मंत्री जी झुनझुन गए। वहां बेंटी बचाओ और बेंटी पढ़ाओ के क्षेत्र में सीकर को प्रथम पुरस्कार मिला। उसका कारण प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों पर ध्यान दिया जाना है।

महर्षि दयानंद जी ने भी एक बात कही थी। अपने ग्रंथ सत्यप्रकाश में ऋषि दयानंद जी ने कहा कि प्रत्येक आदमी को समान शिक्षा, समान वस्त्र और समान भोजन मिलना चाहिए। आज मीड-डे मील के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है। अभी एक बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया है। अब बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध भी दिया जाएगा। जब बच्चों को पौष्टिक दूध मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा, समान भोजन मिलेगा, समान एजुकेशन मिलेगा, तब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे। पोषण और शिक्षा के अभाव में बच्चों में शारीरिक शक्ति नहीं होगी, बौद्धिक क्षमता नहीं होगी। ये बच्चे जिस सर्विस में जाकर खड़े होते हैं, बहुत से पिछड़े इलाके ऐसे हैं, जहां खाद्य व्यवस्था ठीक नहीं थी। वहां शिक्षा की कमी है। जब हम शिक्षा की कमी के आंकड़े देखते हैं तो हमें उन क्षेत्रों के बच्चों को नौकरी में भी कम हिस्सा देखने को मिलेगा। देश की सेवाओं के अंदर भी उनका हिस्सा बहुत कम मिलेगा।

माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है। इसका परिणाम यह निकलेगा कि जब पांचवीं कक्षा के बच्चे की परीक्षा होगी, तब पांचवीं तक पढ़ाने वाला प्रत्येक शिक्षक चिंतन करेगा कि यदि मेरा परिणाम अच्छा नहीं आएगा? यदि शिक्षक का परिणाम अच्छा होगा तो इससे शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलेगा। उसके बाद छठी, सातवीं और आठवीं के अंदर तीन साल में अवसर मिलेगा, आठवीं में परीक्षा होगी, छठी कक्षा में पढ़ाने वाला भी विचार करेगा कि मुझे भी बच्चे का एग्जाम लेना चाहिए।

आजकल बड़े-बड़े विद्यालय हैं, वहां हर सप्ताह टेस्ट होता है। हमारे यहां मोदी इंस्टीट्यूट हैं, बिरला पिलानी का इंस्टीट्यूट है, वहां हर सप्ताह बच्चों का टेस्ट लेते हैं और एक महीने के बाद परिणाम दिया जाता है। इसकी रिपोर्ट अभिभावक तक भेजी जाती है। एक तरफ वे संस्थाएं हैं, जो अच्छा रिजल्ट देती हैं और हर सप्ताह परिणाम देती हैं। वे हर महीने अभिभावक को ई-मेल या कार्ड के माध्यम से एक कार्ड लिखते हैं। दूसरी तरफ हम पांच-पांच साल और आठ-आठ साल तक यह विचार

नहीं कर पाते हैं कि हमारा बच्चा कहां खड़ा है, उसकी स्थिति क्या है? यह विधेयक बच्चों के विकास और शिक्षा में सुधार के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker Madam, the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017 amends the provision in the Right to Education Act, 2009 so that regular examination will be held in class 5 and class 8 at the end of every academic year. The RTE Act, 2009 prohibits detention of children till they complete elementary education, that is, class 8, but according to this Bill, if a child fails in the examination, he or she will be given additional instructions, and will take a re-examination. If he or she fails in the re-examination, the relevant Central or State Government may decide to allow schools to detain the child in the same class.

14 59 hrs

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

Sir, there are differing views on whether children should be detained for failing in the examinations at elementary school level. Some argue that automatic promotion reduces interest for children to learn and for teachers to teach. Others argue that detaining a child leads to drop-outs and does not focus on the systemic factors that affect learning, such as quality of teachers, schools and assessment.

15 00 hrs

Early schooling is not only for learning subjects, but it is also very essential for socialising and keeping social and communal harmony. The question is whether these decisions should be taken by Parliament or left to the State Legislatures. It is unclear as to who will conduct the examination which may lead to detention, whether it will be conducted by the Centre, State or by the schools.

Education which was initially a State subject was transferred to the Concurrent List by the 24th, 25th, 42nd and 44th Amendments. The school education up to elementary level should be made a State subject again enabling States to frame their curriculum for elementary education according to their different socio, economic, political and cultural traits. A country like India with a very vast diversity cannot have a single window educational system from the primary and elementary school levels. There should be different syllabus for different States, according to their local social, political, cultural history and geographical backgrounds.

Therefore, while we welcome this Bill, we urge the Union Government to leave the responsibility to the respective State Governments the execution of the same without any interference. Thank you.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This is a very interesting Bill. It is interesting in the sense the question which this House is deliberating is should we fail a student or should we not. For this a law is being amended. क्लास में कोई छात्र उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा इस बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और एक विधेयक के ऊपर अपना मत प्रकट कर रहे हैं।

Therefore, it is quite interesting. Normally, as a parent, I was under the impression that the onus lies with the teacher. When wisdom dawned on us, then we thought perhaps it is the management, the Managing Committee of that particular school or the respective State Board which determines who is to be passed or who is not to be passed. But when this Right of Children to Free and Compulsory Education Bill was debated in this House earlier, this provision was hotly debated. As it denies a large number of students to continue in a school because of a faulty examination system, we should allow all students to continue till he gives an examination in Class VIII. So, it was enshrined in the law that till the elementary stage there should not be any examination. And it has continued for quite some time. It is very really interesting. I was going through the Report of the Standing Committee on HRD and at that time the Chairman of that Committee was Dr. Satyanarayan Jatiya.

It is really an eye-opener. You get divergent views from different organizations who deal with child rights; who deal with elementary education; who

deal with those who are drop-outs; and who deal with actually those who do not climb the *verandah* of a school.

There are a variety of organizations in our country which have actually given their opinion, but two basic things that come before us are these. Should we deny a child to continue to come to the school by making him pass or fail in a class or should he continue to study in a school till he passes out of Class 8? There are two basic opinions relating to it. One of the opinions is that unless you have an examination at least in Class 5 and Class 8, you cannot know the merit of the student. The student also does not know whether he is actually studying regularly to qualify or not.

But the basic thing that has prompted the Government to form a Committee to go into this aspect is -- after a lot of Reports that came up before the country that actually quality education is not being imparted and that is why a decision was taken that we should go into the merit of the students of those elementary schools -- whether quality education is being imparted or not. Secondly, it is to find out whether the students are actually learning or not. If there is no bar to restrain / keep back a child and if he is not able to qualify, then the student also feels that just to put my presence in the school is okay and he does not have to study hard and sitting in Class 5, he may not be knowing the actual addition or subtraction of Class 2 and it need not be that he should also learn the alphabets.

So, these types of things were also reported in different Reports, which creates an amount of '*chalta hai*' attitude.

The other question was that examination in Class 5 and 8 will act as a disincentive, and it will create a fear psychosis and it will debar the students from going to the school. This was another school of thought that came up very solidly, and that was actually the thought process when the actual Act was implemented. This is the reason for allowing all the students to continue till Class 8, and that they should not be barred from getting qualified to the next class.

But here, today also with this Bill, we are missing one thing and that is we are not concentrating on quality teachers. Actually, it is not in the purview of this Bill. The whole onus is on the students that the students should be good; students should qualify; and students should get quality education so that he can pass an examination. But, as we all know that school education, specifically, is based on three points and it is a triangle. The base is the student and the parents, and the upper point of the triangle is the teacher.

That is why when the RTE Act was implemented, these three points need to be joined together. We cannot put more stress or put stress only on the student or only on the teacher. The parents of the students also have an equal partnership to make the child grow and also learn. That is the reason why there is a need to bring in the parents. Now, there are certain committees in different

schools that also should participate to see whether quality education is being imparted or not.

The Act of 2009 prohibits detention of children till they complete elementary education, that is, Class VIII. This Bill seeks to amend this provision only. As I said, the Standing Committee observed low learning levels among school children. It noted that with the no detention policy, there is no pressure on the children to learn, and on the teachers, to teach. ऐसे ही होता है। मैं सिर्फ गांवों के स्कूल के बारे में नहीं कह रहा हूँ बल्कि सरांचल के भी जो स्कूल्स हैं, वहां भी जो टीचर्स हैं, हां प्रजेंट ले लिया और वहां एक टीचर रह जाते हैं और बाकी दूसरे काम पर निकल जाते हैं। There is no pressure on the teacher and there is very little invigilation of the District Education Department also to see whether teachers are actually performing their duties. After an examination is over, I would prefer this type of guideline being sent by the Union Government to the respective State Governments to see whether the teachers themselves are qualified to give proper education to the students or not. Therefore, there is a need for policy change so as to improve the learning of children at the elementary stage of education. The Standing Committee upheld the Bill's provision - there is no doubt – which states that learning of children must be assessed through examination in Class V and Class VIII with the discretion resting with the States. There is a possibility that they may make different rules under this provision leading to repercussions on the uniformity of elementary education, on the system result.

Here, I would mention about the Odisha Government. When their views were sought, it was very categorically stated that provisions of no detention may be revisited and the State may be allowed to follow their own evaluation system at the end of every grade with Class Appropriate Assessment.

There are a number of other States – the Minister has also mentioned that during the introduction of this Bill –like Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Goa, Maharashtra and Telangana who have stated that no detention provision should be retained in the RTE Act of 2009.

While going through the Report of the Standing Committee, two learned Members of our House have also written; two different views have been expressed there. Shri Jitender Reddy has said that there is no need for this amendment; and Shri Sushil Singh has said that stress should be on the teachers. Common guidelines, therefore, need to be issued to all States with respect to detention of a child.

Under the RTE Act, 2009, there is another provision – Continuous and Comprehensive Evaluation - CCE – that is, the evaluation mechanism for elementary education. This is actually not functioning well. This is actually because of inadequate implementation of CCE under the Act which has contributed to poor learning outcomes. The CCE should be implemented properly for providing quality education at the elementary level.

Another issue which needs to be addressed is the engagement of teachers in non-teaching activities like census, invigilation duties and other activities. Leave those activities to the State and give them some guidelines. There are two views, as I said, on whether children should be detained or not for failing in the examination. One view is that promoting all children automatically to the next class reduces the incentive for children to learn and for the teachers to teach. Another view is that the detention provision in the RTE Act addresses the issue of examination which is used to eliminate children who obtain poor marks. Compelling a child to repeat a class is demotivating leading to dropping out of school. Frankly, detention puts the onus of learning on the children.

We have gone through the same phase. When we got less marks in some subject, our parents would ask, "Why did you do this? Did you not study well?". So, the onus lies with the student and we do not have the courage to tell the parents that our teacher did not teach this sum or this paragraph. Parents also do not believe us. It is a triangle of the teacher, the student and the parents. All three have to be put together.

These factors include lack of professionally qualified teachers. Teachers' absenteeism is another issue. Limited infrastructure is also an issue. Thanks to

Sarva Shiksha Abhiyan, a lot of infrastructure has now been created. But, now, more stress should be given on providing quality teacher.

As I have been told repeatedly and I have seen it myself when I visited different schools, even in Government primary schools, the load of the school bag has not lessened yet. That actually puts a tremendous psychological pressure on the student. He or she may be in V Std. or VII Std., but the load is quite heavy. Attempts to reduce the same should be made in this regard.

You have different committees which work on this aspect but here I would like to remind you something before I conclude my speech. The Geeta Bhukkal Committee Report, which forms the basis of the present Amendment, actually did not find any evidence of improvement of learning after detention. If you put the child in the school for one year, six months, two months, it also needs to be qualified/checked whether that child has improved. Keeping the student in the school is one of the major contributors of No-Detention Policy. This tackles drop-outs. Therefore, a balance has to be made so that the attainment of the goal of universal elementary education along with providing quality education can be achieved.

Here, I am reminded of what Pratham, which is one of the biggest education foundations of the country, has stated before the Committee. There are two glaring omissions in the proposed Amendment. First, it is silent on the nature

of examination and how the examination should be held. Second, if a child fails in the examination, he or she has to get just one chance in two months after the results are declared. They have suggested that developing a decentralised system of assessment should be conducted at district level using the guidelines given by each State. The Amendment should specifically direct the States to give the children under 13 as many opportunities as necessary to pass V Std. examination. However, after the age of 14, children may be allowed one year to pass the VIII Std. examination and to leave the formal education stream. They may appear for X Std. examination through open pathway. These are certain suggestions.

My request to this Government would be that it should give a guideline and leave it to the Education Departments of respective State Governments and let them find out for themselves if it can be further enhanced. For instance, there are certain developed Districts and there are certain under-developed Districts. In elementary education, that provisioning of school at the District level can also be worked out instead of putting it at State level.

Capacity building of teachers is a major issue which needs to be tackled. Pre-service and in-service training to teachers is required so that professional standards of teachers are enhanced and the goal of quality elementary education is achieved. Please find out what is the number of teacher-training schools or colleges that each State has; how many teachers are actually being trained every

year in those institutions, and how many of those trained teachers are getting employed. That will give you the true picture of our education system today at the elementary level.

I support the Bill.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मेरे मित्र माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी एक अति महत्वपूर्ण बिल, 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017' लेकर आये हैं। उनके मन में एक बात होती है, जिसे उन्होंने स्वयं देखा है, वे सोचते हैं कि कुछ-न-कुछ करना है। मुझे बचपन की याद आयी। स्कूल में परीक्षा थी। हम महानगर निगम के स्कूल में पढ़े। पहली से सातवीं कक्षा तक परीक्षा थी। तीन महीने, छह महीने तथा वार्षिक परीक्षा होती थी। वार्षिक परीक्षा में पूरे वर्ष के हिसाब से प्रश्न होते थे। वह परीक्षा देकर हम लोग सातवीं कक्षा पास होते थे और आठवीं कक्षा में जाते थे। अब एजुकेशन के नये सिस्टम के अनुसार जो स्थिति आ रही है, दुनिया भर में इस क्षेत्र में क्रांति हो रही है। ... (व्यवधान) श्री भर्तृहरि महताब जी ने जो बातें कहीं, मैं शुरुआत में कही गयी उनकी बातों में जाना चाहता हूँ।

जब शिक्षा के अधिकार का बिल लाया गया, उस समय भी मैंने श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को कहा था कि आपके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में राइट टू क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। जब राइट टू क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है, तो हम अपने महाराष्ट्र की बात कहना चाहेंगे क्योंकि देश के सभी प्रदेशों का अनुभव मेरे पास नहीं है। इसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे स्कूल हैं, जिला परिषद के स्कूल हैं, दुर्गम इलाकों के स्कूल हैं, जहाँ नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। आज भी ऐसी स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ बिजली नहीं है। एक शिक्षक ही सभी वर्गों में पढ़ाता है। जब तक हम इस नींव को पक्की नहीं करते हैं, तब तक किये गये तमाम प्रयासों का कोई फल नहीं मिलेगा। यदि सफलता पानी है, तो पहले क्वालिटी एजुकेशन की बात करनी होगी। क्या स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलों में टीचर्स हैं? अगर हैं तो क्या वे पूरे हैं, क्या वे टीचर्स ट्रेड हैं? इन बातों पर विचार करना होगा। आजकल प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया है कि पूछिए मता श्री जावड़ेकर जी, आज प्राइवेट स्कूलों में भी टीचर्स बी.एड. नहीं हैं, इस बात से आप चौंक जाएंगे कि कोई शिक्षक डी.एड. नहीं है,

बस वे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हैं। वे अच्छा पढ़ाते भी होंगे, लेकिन जो प्राथमिक आवश्यकता है कि इतना एजुकेशन होना चाहिए, अब वह भी नहीं होता।

सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में असमानता है। वह असमानता आप दूर करें। मैं आपकी सराहना करना चाहता हूँ क्योंकि उस असमानता को दूर करना महत्वपूर्ण है। आज जिला परिषद के स्कूल के बच्चों को कौन-सा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वही दूसरी कक्षा का बच्चा अगर आइसीएसई स्कूल में जाता है, तो उसको क्या पढ़ाया जाता है, वही बच्चा सीबीएसई स्कूल में जाता है, तो उसे क्या पढ़ाया जाता है? इन पाठ्यक्रमों में जो अंतर है, नींव का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है।

जब तक प्राथमिक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, तब तक आगे चलकर कुछ नहीं हो सकेगा। आप जानते हैं कि आज दुर्भाग्यवश मुंबई जैसे महानगर में नगर निगम के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि वे मराठी माध्यम के स्कूल्स हैं। अब हमारे घरों की मेड भी चाहती है कि उसके बच्चे अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में जाएं। उन्हें कॉन्वेंट स्कूलों में जाना है। अंग्रेजी और कॉन्वेंट स्कूल्स बहुत बढ़ गए हैं। आप जानते हैं कि ये स्कूल्स क्या प्रभाव डालते हैं। जब कोई सांसद वहाँ के कॉन्वेंट स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन के लिए पत्र लेकर भेजते हैं, तो वे स्कूल्स उस पत्र को ऐसे ही देखकर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे सोचते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है? हम अपने बल पर खड़े हैं। हमारे यहाँ यूरोप, अमेरिका से पैसा आ रहा है। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। हम तुम से क्यों सहायता माँगे? हम अपने बल पर चलते हैं।

दूसरी तरफ इसका यह प्रभाव हो रहा है कि शिक्षा में अंग्रेजी आनी ही चाहिए। हम जर्मन, जापान, फ्राँस और चाइना आदि देशों के उदाहरण देते रहते हैं, क्योंकि वहाँ मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। वहाँ अपनी भाषा में शिक्षा है। आगे चलकर शिक्षा जो भाषा में भी होगी, मैं उसके बारे में आपसे

और सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ। आप सब अपने-अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जिस मीडियम के स्कूलों में भेजते हैं, मैं उसके ऊपर तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर बच्चा अँग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाता है तो चलेगा, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा नहीं बोलनी चाहिए। जिस दिन वह मातृभाषा बोलेगा, उस दिन वह इस मिट्टी से बोलेगा और जिस दिन वह इस मिट्टी से बोलेगा, उस दिन इस देश से भी बोलेगा। आपको मातृभाषा की कीमत समझनी चाहिए। अगर कोई तमिलनाडु जा रहा है, तो उसे तमिल सीखनी ही चाहिए। चाहे सी.बी.एस.ई. स्कूलों में जाएं, आई.सी.एस.ई. स्कूलों में जाएं या स्टेट बोर्ड के स्कूल में जाएं, उन्हें पहले तमिल आनी चाहिए। उसके बाद वह अँग्रेजी और दुनिया की अन्य भाषाएं पढ़े। वह हिंदी नहीं जानता। हमारे देश में दक्षिण के राज्य हिंदी का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में देश की एकता पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

मुझे आज प्रधान मंत्री का भाषण याद आता है। उनका कहना था कि अँग्रेजी का अभाव नहीं होगा। ... (व्यवधान)

श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी) : बेलगाम में क्या मातृभाषा बोलनी चाहिए?

श्री अरविंद सावंत : बेलगाम में मराठी ... (व्यवधान) मातृभाषा राष्ट्र की भाषा नहीं बोली। आप मेरा शब्द सुनो - मातृभाषा। मैंने मातृभाषा बोली, राज्य भाषा नहीं बोली। राजभाषा चाहे न आए, मातृभाषा आनी चाहिए। मैं मातृभाषा की बात कर रहा हूँ। बेलगाम में मराठी ही बोलनी चाहिए। मैं यह कह रहा था कि हमारा बच्चा इस स्थिति में पड़ रहा है कि वह अपनी मातृभाषा नहीं जानता है। किसी भी माध्यम में पढ़े, लेकिन उसे अपनी मातृभाषा आनी चाहिए।

मैं आपसे कहता हूँ कि आप सी.बी.एस.ई. स्कूलों से भी कहिए कि इस देश की एकता के लिए अँग्रेजी नहीं चलेगी। अगर हिंदी में इसका विरोध होगा, तो ठीक है। महाराष्ट्र में सब से ज्यादा मराठी है, लेकिन हम हिंदी का विरोध नहीं करते हैं। हम उसे संवाद भाषा कहते हैं। सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की

एक ही भाषा है। वहाँ काले-गोरे का भेद है, लेकिन उनकी भाषा एक है। वहाँ संवाद करने की एक भाषा है, लेकिन हमारे पास भाषा ही नहीं है।

आजकल स्कूलों में इश्तेहार कैसे आते हैं – प्राथमिक स्कूल, एयर कंडीशंड स्कूल। अगर बच्चा एयर कंडीशंड स्कूल में जाएगा, तो उसके पैर पर मिट्टी कब लगेगी? वह बच्चा जूते और टाई पहनकर स्कूल जाएगा। अगर वह बच्चा देश की मिट्टी में नहीं खेलेगा, तो उसका क्या होगा? आप जो भी बिल्स लेकर आते हैं, उन्हें लाने से पहले आप ये सोचो कि स्कूल्स में इंफ्रॉस्ट्रक्चर है या नहीं? अच्छी शिक्षा देने वाले टीचर्स हैं या नहीं? जब तक वे अच्छे न हों, तब तक बच्चे कैसे अच्छे से पढ़ेंगे? मुझे आज बाला साहेब ठाकरे जी की याद आती है। आप सब लोग बाला साहेब ठाकरे जी का उदाहरण सुन लो, वह बड़े मजे का है। वे जब स्कूल में थे, तो परीक्षा हुई और वे एक-दो सब्जेक्ट में फेल हो गए। उस वक्त हमें अपने माँ-पिता या गार्डियन के सिग्नेचर लेने पड़ते थे। उनके पिता केशव जी ठाकरे को प्रबोधनकार ठाकरे भी कहते हैं, लेकिन उन्हें गुणपत्रिका बताएगा कौन? उन्होंने अपने पिता जी को डर के मारे दो-चार दिन नहीं बताया। वे अपने पिता जी डरते थे। प्रबोधनकार जी भी बहुत कड़क थे। जब उन्होंने अपने पिता जी को बताया तो उन्होंने कहा – क्या हुआ, फेल हुआ? उसके ऊपर उन्होंने जो रिमार्क लिखा, उसके बारे में मैं पहले मराठी में बताता हूँ, जिसका मतलब है कि हम स्कूल में पत्थर भेज रहे हैं। पत्थर को आकार और संस्कार देना आपका काम है। फिर आप पत्थर घर में नहीं भेजना। यह टीचर के ऊपर था। इसका मतलब यह था कि वह टीचर उसे अच्छे ढंग से आकार और संस्कार दे और फिर वह बच्चा मूर्ति बनकर घर में आए। यह उनकी धारणा थी। जैसा कि भर्तृहरि साहब कह रहे हैं, वह धारणा इस बिल में कहीं नहीं दिखती है। वह महत्वपूर्ण धारणा है।

आज हम टीचर्स को दूसरे काम पर लगा देते हैं। इलेक्शन की ड्यूटी करो, सेंसस करो। आप केवल एक ही काम करो, क्योंकि आप इस देश की नई पीढ़ी बनाते हैं, इसलिए केवल शिक्षा दें। बच्चों को देश का उत्तम नागरिक बनाकर दें, इससे ज्यादा शिक्षक से अपेक्षा नहीं है। यही उनका काम है और

यह काम करने के लिए हमारा बिल उस दिशा में जाना चाहिए। UNESCO also expressed resentment about it. हम जितनी अपेक्षा कर रहे हैं, उतना नहीं हो रहा है। हमारा बजट शिक्षा के लिए जीडीपी का तीन प्रतिशत होता है। जबकि यह छः प्रतिशत से ऊपर होना चाहिए। आपको इसके लिए आग्रह करना चाहिए। सरकार को केवल पांच काम करने के लिए होते हैं, वे हैं अनाज, वस्त्र, घर, शिक्षा और हेल्थ। बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार इनके लिए बजट रखेगी तो अच्छा होगा।

अब मैं सिलेबस की बात करना चाहता हूँ। आप बच्चों को हिन्दी, मराठी या अंग्रेजी में पढ़ने दीजिए। लेकिन कुछ मूलभूत सबजेक्ट्स हैं जिनमें कमी होने पर उन्हें नीट क्लीयर करने में दिक्कत होती है। आज हमने उस गांव की लड़की का अभिनंदन किया, जो गोल्ड मेडल लेकर आयी है। उसको इंसेंटिव देना पड़ता है। आप कम से कम दो-तीन सबजेक्ट ऐसे रखिए जिनका सिलेबस सभी जगह समान हो। साइंस, मेथ्स, अंग्रेजी ऐसे ही सबजेक्ट हैं। इससे जब बच्चा नीट का एग्जाम देने जाएगा तो उसकी नींव स्कूल में ही मजबूत हो चुकी होगी तो उसको नीट परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सोचता हूँ कि क्या बच्चों के लिए गणित या अंग्रेजी आना जरूरी है। आजकल हम टीवी पर प्रोग्राम्स देखते हैं, जिनमें छोटे-छोटे बच्चे गाना गाते हैं। वे सुर-ताल और शास्त्रीय संगीत में गाते हैं। बच्चे को किस विषय में रस है, यह बात या तो पेरेंट्स जानते हैं या टीचर जानता है। जिस भी विधा में उसे रस है, उसमें उसे पारंगत होने दो। उसमें उसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने देना होगा। उसे यदि आठवीं कक्षा में ही उस विषय की तरफ जाना है तो जाने दें। श्री सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। वह किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुअट, पोस्ट-ग्रेजुअट नहीं थे। वह अच्छा क्रिकेट खेलते थे। ऐसे ही कुछ न कुछ गुण हर एक में होते हैं। उन गुणों का आकलन अगर टीचर करे और उसके पेरेंट्स उसके बारे में बताएं कि उसको चित्रकला में बहुत इंटरेस्ट है तो उस तरफ जाने दीजिए।

15 32 hrs**(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)**

महोदय, आपकी और हमारी विचारधारा एक है। मैं दो-तीन मिनट में बात समाप्त कर दूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

हमने इंजीनियर के लिए सेमीस्टर एग्जाम रखा है। क्या हम बच्चों के लिए सेमीस्टर एग्जाम नहीं रख सकते हैं? इससे उनके ऊपर एग्जाम का बोझ कम होगा। एनुअल परीक्षा में पूरे साल की परीक्षा के कारण बच्चे टेंशन में रहते हैं। सेमीस्टर सिस्टम कीजिए। हर तीन महीने में एग्जाम लीजिए और तीन महीने के सिलेबस के हिसाब से एग्जाम लीजिए। इससे किसी बच्चे को रिटेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वह फेल ही नहीं होगा। उनके अंदर के गुणों को विकसित करने के लिए हम जितनी कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बिल का आपका जो मूल उद्देश्य है वह सफल होगा। मैं इस बिल को समर्थन तो देता ही हूं लेकिन खास तौर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि आप कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन आप पहले इन चीजों को देखिए, क्योंकि अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो अच्छी इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। इतना बोलकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।

प्रो० सौगत राय (दमदम) : सर, ऐसा मौका हमें ज्यादा नहीं मिलता है, जब हम सरकार द्वारा लाए गए किसी बिल का समर्थन करें। लेकिन आज मैं इस बिल के खिलाफ नहीं हूँ। मैं प्रकाश जावेड़कर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उनका अप्रोच कम से कम नॉन-कंफ्रंटेंशियनिस्ट है। शिक्षा ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम लोग झगड़ा करें। शिक्षा पर सहमत होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके पहले इस पर टेंशन का माहौल बना था।

प्रकाश जी ने उसको बहुत शांत किया, इसलिए उनको बधाई देते हैं। Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017 यह आरटीई एक्ट को अमेंड करता है और खास कर क्लॉज-16 को करता है, जहां पर बोला गया था कि क्लास 01 से क्लास 08 तक कोई डिटेंशन नहीं होगा। क्लास 05 के बाद एक परीक्षा होगी और क्लास 08 के बाद एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में कोई बच्चा फेल हो जाए तो उसको डीटेन नहीं किया जाएगा, उसको पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। दूसरी बार परीक्षा देने के बाद भी वह असफल रहे तो उसके बारे में निर्णय एप्रोप्रीएट सरकार लेगी कि क्या करना है, वह वहीं रह सकता है। लेकिन आरटीई एक्ट की एक बात है कि कोई बच्चा स्कूल से एक्सपेल नहीं होगा, यह यहां पर बताया गया है। वह पास करता है या फेल करता है, वह उसी स्कूल में रहेगा क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि सब बच्चे 14 साल तक पढ़ें, इतनी एलीमेंट्री एजुकेशन उनको हो। तो मंत्री जी जो बिल लाए हैं, यह अच्छा है कि वे खुद बिल नहीं लाए हैं, यह बिल तो सन् 2017 में आया था, फिर यह मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति में गया, जिसके सभापति श्री सत्यनारायण जटिया जी हैं, जो पहले मंत्री थे, अभी नहीं हैं, उन्होंने फरवरी में यह रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार यह बिल लाया गया है तो यह मेरे ख्याल से सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। इस बिल की एक बड़ी बात है कि देश में ज्यादातर जो स्कूल

हैं, जो प्रांत हैं, राज्य हैं, प्रदेश हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। क्यों समर्थन किया है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। हमारे पश्चिम बंगाल में जब बाएं बाजू सरकार का जमाना था, उस समय नो डिटेन्शन चालू किया गया था और हमने उसकी खिलाफत की थी। उन्होंने प्राइमरी स्टेज से अंग्रेजी उठा दी थी, लेकिन हमने उस समय जम कर उसका विरोध किया था। तब भी हमारी प्रांतीय सरकार ने रिकमेंड किया था कि फिर से आप परीक्षा चालू कीजिए क्योंकि परीक्षा चालू नहीं करने से बच्चे पढ़ते नहीं हैं। हम भी जब छोटे थे, तब जो भी पढ़ाई करते थे, केवल परीक्षा के पहले करते थे, अगर परीक्षा नहीं होती तो कोई पढ़ाई नहीं होती थी। ऐसा ही हम लोगों को हो जाता है। यह अच्छी बात है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है, वे भावुक हैं, चिंतक हैं और वे जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की हालत बहुत खराब है। तीन कमेटी इसकी स्टडी के लिए बनी थीं। सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने सन् 2014 में रिपोर्ट दी थी। नैशनल अचीवमेंट सर्वे ने सन् 2012 में रिपोर्ट दी थी और इकॉनमिक सर्वे ने सन् 2016-17 में रिपोर्ट दी थी। They observed declining learning levels in implementation even after the RTE Act was passed. क्या हालत थी, देखिए सन् 2016 में 58 प्रतिशत बच्चे जो क्लास तीन में थे, वे पहली क्लास का टैक्स्ट नहीं पढ़ सकते थे। जातीय स्तर पर 73 प्रतिशत बच्चे जो क्लास तीन में थे, वे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं कर पाते थे। नो डिटेन्शन पॉलिसी में यह हुआ था कि लर्निंग आउटकम नीचे जा रहा था तो सीएबीई – सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अनुशंसा की थी।

An assessment of learning outcomes is required to determine promotion to the next class. उन्होंने रिकमेंड किया। आज मंत्री जी जो कानून लेकर आए हैं, इसके पीछे एक्सपर्ट बॉडी का बहुत समर्थन है। हम लोगों ने देखा कि नो डिटेन्शन से क्या होता है। वह अच्छा हुआ। वर्ष 2017 से हमने यह दिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी एलीमेंट्री एजुकेशन पर रिपोर्ट दी और

उसमें भी इस डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोला गया। इसके तीन कारण बताये गये। एक कारण तो यह बताया गया कि शिक्षकों का पूर्ण रोल नहीं रहा है। सभी लोगों ने बोला है कि Low teacher accountability and appraisal, poor quality of the content of teacher education and changes in curriculum of B.Ed and D.Ed courses. शिक्षकों का मान नीचे था।

दूसरा कारण स्कूल एकाउंटेबिलिटी था। किसी के ऊपर यह प्रतिबंध नहीं था कि स्कूल उसको जवाब दे। सीएजी ने बोला था कि स्कूल के सभी टीचर्स, स्कूल लीडर्स और डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक परफॉरमेंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए और उसे परफॉरमेंस असेस करनी चाहिए। आरटीई एक्ट के अंडर में कंटीन्यूअस और काम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ असेसमेंट का भी इवैल्यूएशन मैकेनिज्म करना चाहिए और एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये चार कमियाँ हमारी शिक्षा व्यवस्था में देखी गई हैं। मंत्री जी के सामने यह चैलेंज है। उन पर आरएसएस का बहुत दबाव है। यह सब अलग बात है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। (व्यवधान) ये स्वयं सेवक रहे हैं। ये आरएसएस के दबाव को काटकर चल पाते हैं। इन पर आरएसएस को विश्वास है। ये महाराष्ट्रियन ब्राह्मण भी हैं तो उन पर आरएसएस का उतना दबाव नहीं होगा। मैं केवल दो चीजें पूछना चाहता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन कर चुका हूँ और मैंने कहा है कि इसकी जरूरत है। One is flexibility for States to determine examination and detention. यह कानून आप पूरे देश के लिए बना रहे हैं। एजुकेशन समवर्ती सूची में है। परीक्षा के बारे में प्रदेशों को छूट दी जाये, यह एक बात हमें कहनी है। परीक्षा कक्षा पाँच और कक्षा आठ में ही होगी, लेकिन क्या होगी, कैसे परीक्षा होगी, यह राज्यों को ठीक करना चाहिए। यह स्वतंत्रता राज्यों को देनी चाहिए।

दूसरी बात, there is a lack of clarity as to who will administer the examination. आप जातीय स्तर पर कानून ला रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे नीट चालू कर दिया। सारे हिन्दुस्तान में मेडिकल के लिए एक ही इम्तिहान कर दिया। क्या आप यहाँ भी नीट चालू करेंगे कि सारे

देश में एक परीक्षा हो। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा इतना बड़ा देश है और इतने सारे बच्चे हैं। मंत्री जी को क्लियरली यह बताना चाहिए कि इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन कौन लेगा? इसके बारे में आपको साफ करना चाहिए। हम यह कहेंगे और मंत्री जी को यह पता है कि As per the findings of the National Achievement Survey, students in 34 States in class five were able to correctly answer 45 per cent of reading comprehension items. क्या यह आपने किया? For reading comprehension, scores of 19 States are significantly below the scores in 2012. इसका मतलब है कि माँग घटती जा रही है। For Mathematics, in the year 2015, the scores of 20 States are significantly below the scores in the year 2012. मंत्री जी को यह अपने आपसे पूछना पड़ेगा और हमें इसका जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज जो कानून मंत्री जी लेकर आए हैं, मैंने कहा है कि इसके साथ हमारा झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि शिक्षा के बारे में आप सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़िए। सभी राज्यों को साथ मिला लें।

सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को साथ लेकर चलें, क्योंकि हमें प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आज़ादी के बाद हमारे मुल्क में शिक्षा का इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उसका बहुत बड़ा बेस होगा और ऊपर में उच्च शिक्षा में बहुत छोटा होगा। पर, हमारे यहां वह इन्वर्टेड पिरामिड बन गया। हमने प्राथमिक शिक्षा पर उतना जोर नहीं दिया। हम बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज, आई.आई.टी., आई.आई.एम. बनाए, वह अच्छा है। लेकिन, अगर हम बेस को ठीक नहीं करेंगे तो वह खराब होगा।

सर, आप तो जानते हैं कि लोहिया जी भी ऐसे ही बोलते थे। लोहिया जी का अनुसरण करके आज मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं

समझता हूं कि पूरे देश में लोग हिन्दी समझते हैं। खासकर, जब बी.जे.पी. के सदस्यों को एड्रेस करना है तो हिन्दी में बोलना अच्छा है। उन्हें शायद इसे समझने में सुविधा होगी।

मेरे बाद सुप्रिया सुले बोलेंगी। वे शिक्षा के विषय में बहुत समझदार हैं। वे ही बाकी सारी पॉइंट्स बोलेंगी। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

जय हिन्द।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, the name of the Bill, i.e., The Right of Children to Free and Compulsory Education, is very attractive. It is all right up to this but when you come to the amendment, इसके ऊपर हमें थोड़ी दिक्कत है।

The Right to Education Act, 2009, prohibits detention of children till they complete elementary education up to class 8. The Bill seeks to amend the provision to state that a regular examination will be held in class 5 and class 8 at the end of every academic year. If a child fails in the examination, he will be given additional instructions and then he will take a re-examination. If he fails in the re-examination, the relevant Central or State Government may decide to allow schools to detain the child.

Sir, I would like to State here that our hon. Chief Minister of Telangana believes that no detention policy till class 8 should be there as per the RTE Act. It has been proven by many studies that once a child is detained, most likely he/she drops out of school and the parents adopt a negative outlook towards education and their child's performance. This particularly holds true for unprivileged families.

सर, आप देखते हैं कि हम लोग गांवों में किस तरह से पैरेंट्स को मनाते हैं और उन्हें यह कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, तभी देश प्रगति करेगा। इस तरीके से हम लोग बच्चों को स्कूलों के अन्दर

लाते हैं। वे लोग जिस घर में रहते हैं, वहां भी पढ़ने का वातावरण नहीं रहता है। उनके पैरेंट्स उन्हें पढ़ा भी नहीं सकते। उनके पैरेंट्स की यह हालत है कि वे सुबह काम पर जाएंगे, तभी शाम को वे सब खा पाएंगे। इसलिए वे लोग भी अपने बच्चों को उसी काम पर लगाना चाहते हैं। पर, हम लोग उन्हें यह बोलकर कि 'बच्चों को पढ़ाना चाहिए' और इसके लिए अलग-अलग एन.जी.ओ., सरकार, लीडर्स बच्चों को स्कूलों में दाखिल करते हैं।

The chances of child being employed in some form of child labour increases substantially. It must be noted here that once detained, the child will not be able to successfully study or learn next year as she loses confidence and it is stigmatized for a long time.

अगर एक बार कोई बच्चा फेल हो गया और अगर उसे घर पर हम लोग रखते हैं तो फिर वह बच्चा वहां से कभी बाहर नहीं आएगा और यह कहेगा कि मैं स्कूल जाऊंगा। उसके बाद उसे फिर से स्कूल में लाने में बहुत समय लगता है।

The second amendment rightly mentions that an examination or some form of assessment should take place in class 5 followed by re-examination in case of failure in the examination. However, option to detain the child should be removed altogether.

Studies have proven that every extra year in school is important and makes a difference in a person's life. जितने आदमी पढ़ते हैं और जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, हर चीज के अंदर कुछ व्यवस्था होती है। जैसे हम भी पार्लियामेंट के अंदर हर रोज आते हैं। 100 दिन

पार्लियामेंट चलना चाहिए, फिर भी हम इसको घटाकर कम करते हैं। लेकिन यहाँ भी हम सभी देखते हैं, माननीय जावड़ेकर साहब बैठे हैं। हम जितने दिन भी पार्लियामेंट में आते हैं, उतना हमको सीखने को मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हाउस एडजर्न मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए। हमें अच्छे-अच्छे भाषण सुनने दीजिए। बड़े-बड़े लोगों के भाषण सुनने दीजिए, तभी हम लोग कुछ सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब एक बार हाउस एडजर्न हो गया, हाउस में बारह बज गया और घर जाने के बाद में हम कहते हैं कि an empty mind is a devil's workshop. अलग-अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं। इसी तरीके आप बच्चे को डिटेन करेंगे। यदि आप बच्चे को घर से स्कूल नहीं भेजेंगे और उसको पढ़ने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा।

A person's degree or the last class that he/she passes stays with the person for ever. जैसा कि हम हिन्दी में बोलते हैं कि कोई पाँचवी पास है या आठवी पास है, यह जिंदगी भर साथ में रहता है। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि जब एक बच्चा अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू करे तो वह पढ़ाई पूरी करके ही स्कूल से बाहर निकलें। हम जो भी डिग्री लेकर कॉलेज या स्कूल से बाहर निकलते हैं, चाहे वह बी.एस.सी. हो, बी-कॉम हो, पाँचवीं पास हो, आठवी पास हो; वह जिंदगी भर हमारे साथ में रहती है और हम कहते हैं कि हमने इस क्लास की पढ़ाई की है। कोई भी बच्चा बिना पढ़ाई किए स्कूल से निकले, हम इसे गलत मानते हैं। A child should stay in school till he/she completes her school successfully. Therefore, instead of detention we should focus on ensuring that child learns the skills. Our State is in favour of conducting assessment tests at regular intervals with the objective of ensuring that focus remains on learning outcomes. The objective of holding an examination should not be to detain a child but to ensure that the child learns. वह कुछ तो सीखे, ऐसा नहीं कि उसको डिटेन करें। I would like to make one more thing very clear that it is

never the fault of a child if he/she fails to perform in an examination. If we presume that the child is at fault, then we refuse to acknowledge the role of other factors that affect the learning outcomes of children. Poor learning outcomes due to school related factors like lack of professionally qualified teachers, absenteeism of teachers and limited infrastructure. For instance, the RTE (Amendment) Act 2017 was passed in August 2017 to extend the deadline by four years for teachers to acquire the minimum qualification prescribed under the RT Act. This shows the lack of efforts by the Central and the State Governments to complete the training of untrained in-service teachers. We must also consider socio-economic conditions and family backgrounds while evaluating learning outcomes.

Sir, when it comes to school infrastructure let me point out that even today, 70 years after Independence, children are forced to sit on floors and study. How can we expect our children to learn when they have to sit on floors or on benches without any support? I have personally seen students of IX and X classes, especially girl students, sitting on floors for the entire period of the school. Even today we do not have toilets in majority of our schools. अगर टॉयलेट है तो उसके अंदर सप्लाई करने के लिए रनिंग पानी नहीं है।

सर, मैं अपनी कन्स्टिट्यूअंसी के अंदर एक अभियान चला रहा हूँ। वहाँ जितने भी पीएसयूज हैं, डिफेंस पीएसयूज हैं, कुछ अलग तरह के पीएसयूज हैं। इनके साथ मैं बातें करता हूँ, चाहे वह

इंडियन ऑयल कारपोरेशन हो, भेल हो, एचएएल हो; मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वे हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए लाइट, प्ले ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था करें। मैं कहता हूँ कि स्कूलों में बेसिक चीज देने के लिए सी.एस.आर. फंड्स के हिसाब से उन लोगों के लिए डुअल डेस्क की माँग कर रहा हूँ।
I am thankful to some of the PSUs like Oil India and others.

उन लोगों ने मुझे 2 हजार डुअल डेस्क दिए। इसी तरीके से बेल वालों ने मुझे कुछ कंपाउंड दिए हैं। वहां कंपाउंड ऐसे बने हुए हैं कि पूरे रोड के ऊपर प्राइमरी स्कूल बनाया हुआ है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को क्या मालूम होता है? उसका कंपाउंड भी उसके अंदर नहीं है, जिससे वह खेलते-खेलते बाहर रोड पर आ जाता है, सीधा वाश आउट हो जाता है। इसकी वजह से कितने ही एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं? मां-बाप को स्कूल में बच्चे को भेजने में भी डर लगता है। मैंने थोड़ा-बहुत सीएसआर फंड के अगेंस्ट में रिक्वेस्ट करके कंपाउंड वाल्स बनाए हैं। मैं जावड़ेकर साहब से कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर इतना बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कि रूरल एरिया के अंदर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, हर जगह के अंदर पानी की सुविधा देंगे, हर जगह को स्वच्छ भारत के अंतर्गत साफ करेंगे। 70 साल के अंदर कोई भी सरकार, स्टेट की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, वह क्यों नहीं यह निर्णय लेती है कि देश के अंदर हर स्कूल में अच्छे से अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां के बच्चों को देंगे।

स्कूल में 120 बच्चे रहते हैं और क्लास रूम केवल 2 होते हैं। उनको टॉयलेट के लिए खेत में जाना पड़ता है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अंदर 2,500 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं। मैंने हेडमास्टर्स को लेटर लिखा था कि आपकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, क्या दशा है? मैंने सब फाइल करके रखा है। मैं आपको भेजना चाहूंगा। अभी नहीं, ये 8 महीने इलेक्शन का पीरियड चले जाने दीजिए। जब वापस आप मंत्री बनकर आएं, जब वापस आप एचआरडी के अंदर आएं, तब मैं आपको फाइल देने वाला हूँ और आपसे स्पेशल सैंक्शन लेने वाला हूँ कि हर स्कूल के अंदर 40 बच्चों के लिए एक कमरा हो। हर 40 बच्चों की पढ़ाई के लिए एक कमरा होना चाहिए और हर क्लास में एक टीचर

रहना चाहिए। 120 बच्चे हैं और 2 टीचर्स हैं। टीचर वहां किस तरीके से पढ़ाएगा? वहां पर टॉयलेट की भी समस्या है। 8वीं-9वीं क्लास की बच्चियों को कहां जाना पड़ता है, कौन सा टॉयलेट यूज करना पड़ता है? अरविंद जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही। आज शर्म आती है कि 70 साल के बाद भी देश के अंदर बच्चों की यह हालत है। बच्चों के लिए कहते हैं कि ये देश का भविष्य हैं। आप उनका फाउंडेशन खत्म कर रहे हैं। उन लोगों को टॉयलेट नहीं दे रहे हैं, पढ़ने के लिए प्रॉपर क्लास रूम नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर टीचर्स नहीं दे रहे हैं, तो वह किस तरह से कुछ कर पाएगा?

हमारी तेलंगाना सरकार के बारे में आप जानते हैं। आज के दिन प्रगति की ओर हम एक कदम आगे बढ़े हैं, एक कदम हमने आगे उठाया है। हमारे मुख्य मंत्री केसीआर जी ने गुरुकुल स्कूल्स चालू किए हैं। 70 साल के अंदर 400 स्कूल्स थे, उसमें 570 स्कूल्स उन्होंने ऐड करके माइनोरिटीज, बैकवर्ड क्लासेज के बच्चों के लिए अलग स्कूल्स ओपन करके फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है। केजी से लेकर पीजी तक उनकी फ्री एजुकेशन के लिए, उन बच्चों के लिए कदम उठाया है। वहां हमारे मुख्य मंत्री का पोता जो लंच करता है, चावल खाता है, वही चावल वहां के स्कूल के बच्चे खाते हैं। यह भी बताना चाहता हूं कि वहां पर जिस स्लीपवेल मैट्रेसेज में सीएम का पोता सोता है, वैसी ही हम उन बच्चों के लिए भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हजार गुरुकुल स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं।

आज वहां एप्लीकेशंस की वेटिंग लिस्ट है। हर बच्चा वहां पढ़ना चाहता है। उनको गुरुकुल स्कूल्स कहते हैं। आज कंपिटिशन करते हुए प्राइवेट स्कूल्स बंद हो रहे हैं और गुरुकुल स्कूल्स आगे बढ़ रहे हैं। हर मंडल के अंदर ऐसा स्कूल हमारे सीएम साहब ने खोला है और आगे भी हम खोलते रहेंगे। इस तरीके से हम बच्चों को सुविधा दें।

16 00 hrs

बच्चों को हर तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर दें। यदि पढ़ने के लिए इतनी सहूलियत देने के बाद भी कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है तब उसको डीटेन किया जाए। आप लॉ और क्लॉज लाकर पांचवीं और आठवीं क्लास में बच्चों की पढ़ाई रोकेंगे तो यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए, दूसरे वक्ता को बुलाना है।

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी : एच आर डी मंत्री जी कहें कि ये सारी सुविधाएं बच्चों को दूंगा। यदि बोल देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak on the Right of Children to Free and Compulsory Education Bill. Sir, I would like to compliment the hon. Minister for coming up with such a good Bill. It seems an exceptionally small Bill, but it is a very, very critical and a turning point in education. The State, the HRD Minister and I come from, is a very modern State in India, where education is a dream and a reality both. We are a very progressive State. The Shahu Phule Ambedkar, as we all talk in our speeches, our leaders who were born in Maharashtra give good quality education and a new vision in education to the country.

मैं और माननीय मंत्री जी दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट्स से आते हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मांगें हैं, आपने एग्जाम के बारे में फ्लैक्सिबिलिटी दी है, यह अच्छी बात है। मैं एक माँ भी हूँ और सांसद भी हूँ। अगर हम एग्जामिनेशन नहीं रखेंगे तो बच्चों को लगेगा कि एग्जाम ही नहीं तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, This is the basic approach. जिसके बारे में सभी ने कहा है कि A comprehensive continuous evaluation is a must and the need of the hour. अगर गणित का विषय है, बच्चा रोज स्कूल जाता है, आठवीं कक्षा तक उसको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। वह रोज स्कूल कैसे जाएगा, क्लास में कैसे बैठेगा, अगर क्लास में आठ साल बैठा तो वह इधर उधर ही देखेगा, उसको स्कूल में इंटरैस्ट नहीं रहेगा, पढ़ाई में इंटरैस्ट नहीं रहेगा। जब गणित में अलजेब्रा चलेगा, उसको पता ही नहीं है कि अलजेब्रा और ज्योमिट्री में क्या अंतर है? अगर उसका असेसमेंट नहीं होगा और जब वह आठवीं कक्षा में जाएगा तो नौवीं कक्षा में सभी बच्चे फेल होते हैं और स्कूल छोड़ कर चले जाते हैं। पांचवीं और आठवीं कक्षा का इन्टरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से Legislation has to be evolved and changed.

Everything changes. वूमैन राइट्स का जब इश्यू आया था तो वूमैन हरासमेंट नहीं था। Everything has to evolve. That is what governance is. It is a continuous process. You have to keep changing and evolving. This is a very important intervention. अभी भी बहुत लोग हैं, जिन्हें लगता है कि इन्टरवेंशन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से एग्जामिनेशन होना चाहिए। बच्चों को पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है? परीक्षा न होने से ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। मुझे एक चिंता है कि अगर पांचवीं और आठवीं में एग्जाम ले रहे हैं, अगर कम्प्रिहेन्सिव असेसमेंट न हो तो लर्निंग डिसऑर्डर है उसके बारे में क्या करेंगे? अगर कोई बच्चा डिस्केललेस हो, डिस्लेक्सिस हो, आठवीं और नौवीं कक्षा में बोलते हैं कि This child is dyscalculics. इसको गणित नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, उसको बेसिक ही नहीं पता है इसलिए इसको डिस्केल्कुलेट है। लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ा फैशनेबल भी हो गया है। मेरे ख्याल से अगर उसको अच्छी शिक्षा और अच्छा कम्प्रेहेंसिव कन्सटेंट ट्रेनिंग मिले तब ये बच्चे स्कूलों में ज्यादा रिटेन होंगे। जिसके बारे में बहुत सारी रिपोर्टें में क्वोट हुए हैं। We have to take assessment of all these subjects very critically.

I would like to quote my Chief Minister. The Chief Minister of Maharashtra has said that Maharashtra was at number 16, which has now gone out at number three. I would like to ask a pointed question to the hon. HRD Minister, who also comes from Maharashtra, how have we jumped from 16 to 3. What is the number? ASAR report does not show rankings and nor does the Government of India show ranking?

So, how is my State and the hon. Chief Minister to be quoted is saying, Maharashtra was at number 16 and how has it gone to number three and what

are the interventions that the Government of India has made to do that? Given this whole story of education in India, you have given so much flexibility to all the States, which is a very kind thing to do. But the State you and me come from, Adivasi students are agitating on the roads of Maharashtra today because of educational issues and their scholarships are being taken away. Is the Central Government, out of concern, especially because you come from the same State, going to run and help or at least intervene, I will not say interfere, in the education opportunity?

So, would he intervene in the educational opportunity? आदिवासी बच्चों को पहली बार उनकी जेनरेशन में शिक्षा मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार उनको न्याय नहीं दे रही है तो क्या केंद्र सरकार इसमें इन्टरवेंशन करेगी, हां या ना? बच्चे आज रास्ते पर उतरे हैं, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया है। इतना ही नहीं, एबीपी माज़ा नाम का चैनल है, इसका कैमरा भी तोड़ दिया ताकि महाराष्ट्र में इसे दिखाया न जा सके।

So, I would urge and use this opportunity to ask the hon. Minister to intervene in all these education changes because it is a very broad subject. आरटीई का एक ही क्लॉज लाए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में पूरी कॉम्प्रीहेन्सिव डिसकशन एजुकेशन पर कराई जाए। What everybody has said, toilet is an issue, quality is an issue, retention is an issue and teachers are an issue. सब कह रहे हैं कि टीचर्स क्या कर रहे हैं? But the teachers also have challenges. महाराष्ट्र में ट्रांसफर्स में इतना बड़ा डिसइल्यूजन हुआ था कि सब नाराज हो गए। वे कह रहे हैं कि सरकार जो ऑन लाइन सिस्टम लाई है, Teachers do not want them. They want the old policy that was there. If a

teacher is so busy running around for his changing office duties, वह कब सिखाएगा? जब वह खुश ही नहीं होगा, how will he teach the students?

In this Sarva Shiksha intervention, आज रूमस नहीं देंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे। हर साल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य सरकार के पास पैसा आता था, अब वह बंद हो गया है। इस कारण महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में नए स्कूल नहीं बन रहे हैं। So, that is another intervention. Infrastructure is critical.

अरविंद सावंत जी ने मातृभाषा की बात कही है। महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में 1300 मराठी माध्यम के स्कूल बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसमें 250 पूना डिस्ट्रिक्ट के हैं, जहां से मैं और माननीय प्रकाश जी आते हैं। जिला परिषद ने ऐसा निर्णय किया है कि हम खुद फंड करेंगे लेकिन एक भी मराठी स्कूल सरकार को बंद नहीं करने नहीं देंगे। एक तरफ आप कहते हो कि मराठी स्कूल बंद न करो और दूसरी तरफ सरकार इसे बंद कर रही है। महाराष्ट्र क्या करे? हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए।

आप कह रहे हैं कि बोर्ड के बारे में चर्चा होनी चाहिए, What will be the normal choice? आज किसी भी घर में जाएं तो पहली च्वाइस सीबीएसई बोर्ड है क्योंकि नीट एग्जाम के लिए जो पढ़ाई है, वह सीबीएसई बोर्ड है। अगर सीबीएसई में एडमिशन न मिले तो बच्चे आईसीएसई में जाते हैं, इसमें भी न मिले तो लास्ट च्वाइस स्टेट बोर्ड होती है। Nobody is choosing the SSC Board as the first choice. अरविंद जी सही बात कह रहे हैं कि मातृभाषा में पढ़ने के लिए बहुत कम बच्चे तैयार होते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं, वही बेचारे जिला परिषद स्कूल में जाते हैं।

अब एयर कंडीशन स्कूल की बात आती है, अब सबको एक नया शौक चढ़ा है। इंडिया के बोर्ड्स नहीं बल्कि बाहर के आईबी बोर्ड में सारे बच्चे जाते हैं। We have no objection. अपने बच्चों

को जिस स्कूल में भेजना चाहते हैं, भेजें। But education is a larger issue. It is not an isolated issue about one child or any child. Every child is made differently and every child is gifted in some way or the other. So, just because a child gets less marks, it does not make him unintelligent or dumb.

So, I want Prakashji to find a way where every child is gifted and special in some way, that child should be supported, encouraged in whatever way possible where education gives him an identity beyond caste and creed. I think, that is what India is looking for because today is an aspirational India. We got this Right to Education from Dr. Babasaheb Ambedkar in our Constitution.

It was fortunate that our Government could bring up with the Right to Education. But I would like to take this opportunity and urge the hon. Minister to look at the broader picture. Is really six to 14 good enough for our nation? Fourteen is too little. We have to take it to 18 and 21 in the second phase. What are we spending money on? Instead of running after that bullet train, increase Right to Education up to 18 and 21. The generations of India will bless you, Sir.

So, I think, this is the intervention we are looking for. The Anganwadi Workers are on the streets today. He talked about school quality education because our Anganwadis and all the cooks. आंगनवाड़ी की सेविकाएं रास्ते पर हैं। वे कल रात से घर नहीं गई हैं। नागपुर में आंदोलन हो रहा है। महाराष्ट्र में मंत्रियों के पास उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। वे बेचारी औरतें रास्ते पर बैठी हैं। भाषण में जो बात कही गई है, वह बात सही है कि ऐसा

न हो कि दोपहर के खाने के लिए बच्चे स्कूल में जाएं जबकि शिक्षा और खाना दोनों ही मिलना चाहिए। We want to eradicate malnutrition with the intervention of good quality education. So, today, Maharashtra needs your attention more than the country, if you ask me.

आज आदिवासी बच्चे रास्ते पर आंदोलन कर रहे हैं, आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं आंदोलन कर रही हैं, किसान दूध के पैसे न मिलने पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे राज्य में एजुकेशन और किसानों की दुख भरी कहानी है। मैं आपसे विनती करूंगी कि आज पहले ही दिन आपने बहुत अच्छा एजुकेशन का इश्यू उठाया है। इस पर आप व्यापक रूप से जरूर सोचें, लेकिन बच्चों और किसानों को आप न्याय दें। धन्यवाद।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you that you have given me an opportunity to speak here.

सर, यह एक छोटा सा बिल है, यह कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है, फिर भी आज यहां डिटेन्शन और नो डिटेन्शन पॉलिसी के बारे में चर्चा हो रही है। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि मंत्री जी ने स्टेट्स को भी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप चाहें तो इसे करें और अगर नहीं चाहें तो न करें। यह फ्लेक्सिबिलिटी दी गयी है और उस राज्य की जैसी आर्थिक स्थिति होगी, वैसा ही वह डिसीजन लेगा। यह अच्छा डिसीजन है।

16 11 hrs

(Shri Prahalad Joshi *in the Chair*)

फिर भी, मुझे डिटेन्शन के बारे में कुछ कहना है। यह एक मेजर सब्जेक्ट है और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दें।

मुझसे पहले माननीय सदस्य सौगत राय जी ने नो डिटेन्शन के बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करते हुए कहा है कि नो डिटेन्शन पॉलिसी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने चालू किया। हां, उन्होंने चालू किया। मुझे इसका प्राउड है। जब वेस्ट बंगाल में नो डिटेन्शन पॉलिसी चालू हुई, तब इंडिया में यह पॉलिसी चालू नहीं हुई, फिर बाद में यह राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हो गई। क्या उस समय केन्द्र में भी लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी? नहीं थी, फिर भी केन्द्र सरकार ने इसे लागू किया, कुछ अच्छा समझा तभी चालू किया। लेकिन आज थोड़ा सेट-बैक क्यों करना पड़ता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम सिर्फ स्टूडेंट्स के खिलाफ बोलेंगे, टीचर्स के खिलाफ बोलेंगे या किसी दूसरे के खिलाफ बोलेंगे कि उनकी वजह से यह हो रहा है। क्या डिटेन्शन करके ही फायदा होगा और यह सभी चीजें मिट जाएंगी? नहीं मितेंगी। ऐसा नहीं है कि हम डिटेन्शन पॉलिसी लागू कर देंगे तो

क्वालिटी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी। डिटेंशन करने से क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स तुरंत पढ़ाई-लिखाई से बाहर चले जाएंगे और जो बाकी बचेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी। ऐसे तो सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलेगी ही नहीं। राइट टू एजुकेशन एक्ट का मानना यह था कि सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन के परव्यू में लाएं, क्लास-8 तक उनको पढ़ाएं और उनको एक मिनिमम स्टैंडर्ड दिया जाए। राइट टू एजुकेशन एक्ट का यह मोटो था, लेकिन आज उस मोटो से दूर होकर, डिटेंशन पॉलिसी के बारे में बोलकर, उनको बाहर करने की कोशिश जारी है। मैं यह बात क्यों बोल रहा हूं? देखिए, जब नो डिटेंशन पॉलिसी चालू हुई, वेस्ट बंगाल में भी हुई, बाद में यहां राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह पॉलिसी आई, ऐसा नहीं है कि उस समय परीक्षा नहीं होती थी। उस समय भी परीक्षा की व्यवस्था थी, एक अच्छी इवैल्यूएशन पॉलिसी थी और उसका नाम था – सी.सी.ई.।

सी.सी.ई. की क्या हालत हुई, उसे देखिए। हम स्टूडेंट को क्यों बोलें? सी.सी.ई. के बारे में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट देखिए कि स्टैंडिंग कमेटी ने क्या कहा है –

“The Committee noted that inadequate implementation of CCE under the Act has contributed into poor learning outcomes. The Committee recommended that CCE should be implemented properly for providing quality education at the elementary level.”

Now, who is responsible for that? उसके लिए स्टूडेंट्स रिस्पॉंसिबल नहीं हैं। सी.सी.ई. को लागू करना चाहिए। अगर आप सी.सी.ई. को लागू करेंगे तो आपको क्या करना होगा? अगर आप सी.सी.ई. लागू करेंगे तो आपको टीचर्स एंप्वाइंट करने पड़ेंगे। आप सारे देश में देखिए, आप बंगाल में देखिए, वहां टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं है। बहुत सारी पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। अगर कहीं 40,000 पोस्ट्स खाली हैं तो केवल 5,000 पोस्ट्स पर भर्ती हो रही है। पूरे देश में हर जगह ऐसा ही हो रहा है तो आप कैसे सी.सी.ई. लागू करेंगे? आप ख्वामख्वाह स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि नो डिटेंशन पॉलिसी के

अंदर आओ और तुम स्कूल के बाहर जाओ। क्या यह कोई तरीका है उनको बाहर निकालने का? इसलिए सी.सी.ई. को अच्छी तरह से लागू करने के लिए टीचर्स की एप्वाइंटमेंट बहुत जरूरी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा है कि किस क्लास में कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए, टीचर-स्टूडेंट्स रेशियो क्या होना चाहिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उसका फुलफिलमेंट नहीं हुआ। इसी की वजह से सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट में कमी हो गई। यह शर्म की बात है। इंडिया में यह शर्म की बात है कि सरकारी स्कूल में बिना पैसे के पढ़ाई-लिखाई होती है, सब कुछ होता है, फिर भी स्टूडेंट्स स्कूल छोड़कर बाहर जा रहे हैं।

क्या इसकी रिपोर्ट है? इसमें देखा जाता है कि वर्ष 2008-09 से 2014-15 तक एनरोलमेंट 71 प्रतिशत से घट कर 62 प्रतिशत हो गया। छात्र कहां गए, वे छात्र प्राइवेट स्कूल्स में चले गए। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है? क्या वहां कोई जादू होता है, क्या वहां अच्छा कुछ होता है? ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जहां पर फर्स्ट लैंग्वेज अंग्रेजी है और सेकेण्ड लैंग्वेज मदर टंग है।

हम आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह कोई वैज्ञानिक तरीका है कि पहली भाषा अंग्रेजी होगी और दूसरी भाषा मदर टंग होगी। यह कहां लिखा हुआ है? यह कौन-से एजुकेशन साइंस में है कि पहली भाषा अंग्रेजी होगी और दूसरी भाषा मदर टंग होगी। क्या ऐसा होता है, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है। ऐसे ही काम चाल रहा है। किसी स्टेट में 40 प्रतिशत स्कूल्स बंद हो गए। अभी सुप्रिया सुले जी यह बता रही थीं कि स्कूल्स बंद हो रहे हैं। हर स्टेट में प्राइमरी स्कूल्स बंद हो रहे हैं, हाई स्कूल्स बंद हो रहे हैं, क्योंकि छात्र स्कूल्स छोड़ कर जा रहे हैं। वे इसलिए स्कूल्स छोड़ कर जा रहे हैं कि वहां टीचर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। वे प्राइवेट स्कूल्स में पैसा दे कर पढ़ रहे हैं। जो छात्र प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वे हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन उनको कौन देखता है? मैं मंत्री जी को बताऊंगा कि इनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र

प्राइवेट स्कूल्स में चले गए। इनकी देखभाल कौन करेगा? जो बच्चे स्कूल्स छोड़ कर चले गए हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। उन पर कंट्रोल करने के लिए भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो वे दूसरे जगह पर चले जाएंगे।

मेरा एक और सुझाव है कि हम पैसा देते हैं, सब कुछ करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी पढ़ाई के लिए पैसा देती है लेकिन लायबिलिटी कि सके ऊपर फिक्स होगी? बच्चा क्यों नहीं सीखा, यह किसी न कि सी के ऊपर लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मेरा कहना है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, टीचर्स की व्यवस्था कीजिए। पहले जरूरत की सभी चीजें दीजिए, उसके बाद टीचर्स के ऊपर लायबिलिटी फिक्स करें कि फोर्थ क्लास तक रीडिंग आउटकम नहीं हुआ। उन्हें जो मैथेमैटिक्स सीखना चाहिए था, वे क्यों नहीं सीखें? जब तक किसी के ऊपर यह लायबिलिटी फिक्स-अप नहीं होगी तब तक हम को इसका पूरा-पूरा आउटकम नहीं मिलेगा। जैसा कि सौगत राय जी ने बताया है कि 20 राज्यों में छात्र कम हो गए हैं। रीडिंग स्کیل में भी ऐसी ही बात है। यह 19 राज्यों में वर्ष 2012 से घट कर नीचे आ गयी है। यह क्यों हुआ, यह नहीं होना चाहिए था। जब यह हमारे हाथ में है तो यह नहीं होना चाहिए था। जब राइट टू एजुकेशन चालू हुआ तो यह नहीं होना चाहिए था, यह आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे आया।

मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को मजबूत करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट का कोई दोष नहीं है, यह ठीक है। इसको मजबूत करना चाहिए। इसके लिए टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य सभी जरूरी चीजें देनी चाहिए। पूरे देश के बच्चों एक ही सुविधा मिले, उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम ने सिर्फ नो रिटेनशन पॉलिसी के माध्यम से कुछ कार्रवाई कर दी, इससे नतीजा नहीं निकलेगा।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का दूसरा संशोधन विधेयक, 2017 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ। इस देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी हुए। उस जमाने में उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा की पद्धति बनाई जबकि उनको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला था। उसके बावजूद भी उन्होंने एक समान हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू सभी भाषाओं और मैथ्स से लेकर फिजिक्स-कैमिस्ट्री का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स दिया था। हम सभी जितने यहां पर मौजूद हैं, लगभग सभी लोग उसी शिक्षा के नतीजे हैं। सौगत राय जी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ के जितने भी विद्यार्थी थे, अमेरिका का एंट्रेंस एग्जाम हो या इंग्लैंड का एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी जगह उन्होंने कम्पीट किया।

केवल इतना ही नहीं है, यदि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखें, तो सिलिकॉन वैली लगभग भारतीयों द्वारा कंट्रोल होती है और यह उसी शिक्षा का नतीजा है। भारत से शिक्षित और अमेरिका में इसी शिक्षा की बदौलत गए एक मंत्री जी को लगा कि आज तक हम लोगों ने जितनी शिक्षा प्राप्त की है, वह सब बकवास है और वे जो शिक्षा प्रणाली देंगे, वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली होगी और उसी का नतीजा रहा कि बहुत-सी खामियों के साथ यह बिल आया। अमेरिका में एक जोक चलता है कि क्या आप कभी हिंदुस्तान गए हैं। वे कहते हैं कि आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी नौकरियां जा चुकी हैं। हम उसी शिक्षा की बदौलत सॉफ्टवेयर की पावर हैं, मेडिकल की पावर हैं। वर्ष 2009 में शिक्षा मंत्री जी ने परीक्षा खत्म कर दी तथा और भी कई बदलाव किए, क्योंकि ऐसा अमेरिका में होता था। उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि अमेरिका में चार घंटे बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर को दस घंटे पढ़ना पड़ता है। हर बच्चे का क्या इवेल्युएशन है, बच्चा कितना पढ़ रहा है, उसे कल क्या पढ़ना है, ये सभी चीजें भी उसे सिखायी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहां शिक्षकों की क्या स्थिति थी? वर्ष 2005 में यह हुआ कि जिसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, वह टीचर बनेगा। मैंने अचानक ऐसे-ऐसे

कालेजेज और यूनीवर्सिटीज का नाम सुना, जिनका नाम पहले कभी भी नहीं सुना था। वहां से 95 प्रतिशत मार्क्स लाकर लोग शिक्षक बन गए और जो बेचारा बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र बोर्ड से 70 परसेंट मार्क्स लाया था, वह झुक मारने लगा। सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि शिक्षा का हास स्कूल के स्तर पर उस समय सबसे ज्यादा हुआ। इसका यह नतीजा निकला कि बच्चे निश्चित हो गए कि हम बिना पढ़े पास हो रहे हैं और टीचर्स भी निश्चित थे कि बच्चे पढ़ें या न पढ़ें, वे पास हो जाएंगे। मैं स्मृति जी का आभारी हूं कि उन्होंने दसवीं कक्षा में परीक्षा में पास होना अनिवार्य कर दिया, क्योंकि पहले दसवीं में अंक की जगह कोड दिए जाते थे कि आप पास तो हो जाओगे, लेकिन कोड को देखने से पता चल जाता था कि आप परीक्षा में फेल हो। 10वीं में बिना पढ़े ही बच्चे पास हो जाते थे और 11वीं में जाने के बाद जब बच्चों पर परीक्षा का प्रेशर पड़ता था, तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे। बच्चों को न फिजिक्स समझ आती थी, न कैमिस्ट्री समझ आती थी और न ही अन्य विषय समझ में आते थे। मेरे दोनों बच्चे भी 11वीं पास कर चुके हैं। मुझे उन पर दया आती थी कि अचानक उन पर 11वीं में परीक्षा का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया। खेल का भी सिद्धांत है कि रोज खेल में हार-जीत होगी, तो किसी बड़े इवेंट पर आपको जीत-हार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप रोज जीत रहे हैं या रोज हार रहे हैं। परीक्षा हटा देने का परिणाम यह हुआ कि अचानक कुछ समय बाद परीक्षा देनी पड़े और वह पास न कर सके, तो वह बच्चा डिप्रेशन में चला जाता था।

मैं माननीय मंत्री श्री जावड़ेकर जी का बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि वे इस बिल को लाए, लेकिन उन्होंने जो यह बात कही है कि तीन महीने में यदि बच्चा परीक्षा पास नहीं करेगा तो उसे हम डिटेन करेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि टीचर को भी सजा मिलनी चाहिए। इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए कि क्या कारण है कि उनका विद्यार्थी दो बार परीक्षा देने के बाद भी पास नहीं हो पा रहा है। शिक्षक पर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि शिक्षा प्रणाली में बहुत-से सुधार करने की जरूरत है। हमारे समय में टीचर्स द्वारा बच्चों की पिटाई भी की जाती थी, लेकिन बच्चों का टीचर्स से संबंध माँ-बाप से कम नहीं होता था। आज भी यदि हमारे टीचर हमें कहीं मिल जाएं, तो सबसे पहले हम उनके पैर छूते हैं। ये संबंध आज के समय में बिलकुल खत्म हो गया है। अखबार में खबर छपी थी कि एक पिता ने कैरियर काउंसलर से पूछा कि मेरा बच्चा पांचवीं कक्षा में पढ़ रहा है, इसे मैं किस कोचिंग में डालूं कि वह सबसे अच्छा निकले। मैं अपने बच्चे को मेडिकल कराना चाहता हूँ। काउंसलर ने कहा कि आपने देर कर दी है, क्योंकि आपका बच्चा पांचवीं कक्षा में आ चुका है। अच्छा है कि आपने आईआईटी के बारे में नहीं सोचा। यदि सोचा होता तो प्री-स्कूलिंग से ही तैयारी करनी पड़ती। यदि आप अपने बच्चे को आईएस बनाना चाहते हैं और आपने उसके जन्म से तैयारी नहीं की, तो वह आईएस नहीं बन सकता है। इस तरह की जो परम्परा चल गई है, इसे रोकने का भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा।

इस तरह की परम्परा को रोकने का प्रबंध हर हालत में करना पड़ेगा। परीक्षा नहीं होने का नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2009 में छठी क्लास में 60 पर्सेंट बच्चे थे, वर्ष 2012 में घटकर वे 40 पर्सेंट पर आ गये। उस क्लास के बच्चों की प्रतिशतता में लॉस हुआ।

अभी शिक्षा में बहुत-से सुधार करने हैं। कोई भी देश स्वास्थ्य और शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने 'आयुष्मान भारत' लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, लेकिन ऐसा ही क्रांतिकारी परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में भी करने की जरूरत है।

बिहार में 15 साल पहले एक छोटी-सी योजना चली थी। वह योजना बच्चों को स्कूल में साइकिल देने की थी। वर्ष 2006 में, जब मैं विशेषकर छात्राओं के स्कूल में जाता था, तो लगभग 40 पर्सेंट छात्राएँ शादीशुदा मिलती थीं। वर्ष 2014-15 तक हमने देखा कि शायद ही कोई छात्रा शादीशुदा

होती थी। उसका कारण यह था कि जब साइकिल बंटना शुरू हुआ, तो बच्चियों के मन में यह इच्छा जागी कि हमें नौवीं क्लास तक पढ़ना है ताकि साइकिल मिल सके। इसलिए हमें बच्चों का प्रोत्साहन करते रहने की जरूरत है, केवल पढ़ाने से काम नहीं चलेगा।

एक बहुत अच्छी स्कीम इंट्रोड्यूज हुई थी कि 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला मिलेगा। इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है। अगर कोई माता-पिता एक ही बच्चा रखते हैं, तो उसको उस 25 पर्सेंट में आरक्षण मिलना चाहिए। यह मेरा मंत्री जी से अनुरोध है। इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें ऐसी बात होनी चाहिए कि यदि किसी माता-पिता का एक ही बच्चा होगा, तो उसे बेस्ट एजुकेशन दी जाएगी, उनको स्कूल चुनने की छूट होगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें।

इस देश की सबसे बड़ी खराबी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बन चुकी हैं। यह एक ऐसा धंधा है, जो पूरे देश को खराब कर रहा है। मंत्री जी को इस पर भी विचार करना चाहिए। जब मैं मेडिकल में गया, तो उसके 10 साल पहले शायद ही कोई कोचिंग में पढ़ने वाला स्टूडेंट मेडिकल या इंजीनियरिंग में क्वालीफाई करता था। हमारे समय में 40 प्रतिशत बच्चे कोचिंग से आते थे और बाकी मेरिट से आते थे। आज यह हालत है कि एक भी बच्चा बिना कोचिंग के इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकता है। उसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं क्योंकि हमने जो सीबीएसई कोर्स रखा है, उसके उलट उसमें सवाल आते हैं।

आज की इस चर्चा में, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आप इसे सीबीएसई बेस्ड करते हैं, तो जो सीबीएसई-एनसीईआरटी के बुक्स हैं, कम्पटिशन में सवाल उन्हीं में से रहें। इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आज सारे बच्चे स्कूल छोड़कर कोचिंग्स में भाग रहे हैं, इसे रोकना इस संसद का

कर्त्तव्य है। बच्चों को कैसे समग्र शिक्षा दी जाए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, इन सभी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।

हिन्दुस्तान के बच्चों में केवल एक कमी है, वह है इमैजिनेशन की। हम सब रटत विद्या में बहुत माहिर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई रिसर्च वर्क आता है, तो हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं। आज टॉप हन्ड्रेड में हम कहीं नहीं हैं। हमारे द्वारा कोई रिसर्च नहीं होता है। हम कहीं से भी केवल सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। जब आप पाँचवीं या आठवीं क्लास में एडमिशन कीजिए, तो बच्चों की आइक्यू का भी एसेसमेंट होना चाहिए, उनकी इमैजिनेटिव क्षमता का भी टेस्ट होना चाहिए।

हर हालत में, शिक्षकों के लिए सज़ा का कोई कानून होना चाहिए। हम लोग स्कूलों का दौरा करते हैं, वहाँ टीचर्स को अनुपस्थिति पाते हैं, तो ऐब्सेंट लिखकर चले आते हैं। कल होकर वह शिक्षक बोल देता है कि हम तो यहाँ थे। आज सरकारी स्कूलों की यह स्थिति है कि ज्यादातर शिक्षक गायब रहते हैं। जो शिक्षक रहते भी हैं, उनका काम खाना बनवाना है या वे कुछ-कुछ करते रहते हैं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद् हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के लिए यह एक बहुत ही अच्छा कानून आने वाला है। बच्चे जब बचपन से धक्के खाना नहीं सीखेंगे, तो वे बड़े होकर टूट जाएंगे। इसलिए बचपन से बच्चों को जितना रगड़ते रहिए, जितना एग्जाम लेते रहिए, वह अच्छा होगा। इससे उनमें एग्जाम का फीवर खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही, मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि श्री प्रकाश जावड़ेकर जी के समय में शिक्षा में मूलभूत सुधार की एक रूपरेखा बनेगी।

आपने मुझे बोलने का इतना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : सभापति महोदय, सब से पहले मैं माननीय एच.आर.डी. मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वे The Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment Bill, 2017) लेकर आए हैं। मैं उनको इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। जो कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 में बना था, मैं समझता हूँ कि वह बहुत होशियारी से देश के साथ एक गद्वारी थी। यह बात सच है कि एजुकेशन को एक व्यक्ति का तीसरा नेत्र मानते हैं। यह भी माना जाता है कि यह ऐसी सरमाया है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह भी सच है कि 2009 से पहले भारत की स्कूल एजुकेशन दुनिया में सब से अच्छी मानी जाती थी। हमारे जो एन.आर.आईज़. हैं, वे अपने बच्चों को हायर एजुकेशन वहाँ कराते थे और स्कूल एजुकेशन यहाँ कराते थे। अनफॉर्च्युनेटली, 2009 में जो अमेंडमेंट हुई, वह स्कूल एजुकेशन में बहुत गिरावट ले आई। जब कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा, जब कोई एग्जाम ही न हुआ, तो इससे बच्चों को भी छूट मिल गई और टीचर्स भी फ्री हो गए। जब वे बच्चे मैट्रिक में जाते थे, तो स्कूल एजुकेशन में सब से ज्यादा ड्रॉप आउट 2009 में देखने को मिली।

मैंने मंत्री जी को इसीलिए बधाई दी है, क्योंकि इन्होंने इस पीड़ा को समझा, इस तकलीफ को समझा। शिक्षा में जो गिरावट आ रही थी, मैं समझता हूँ कि उसे रोकने के लिए यह अमेंडमेंट बहुत जरूरी था। इस अमेंडमेंट से एजुकेशन में आई गिरावट दूर होगी और हमारे यहाँ की स्कूल एजुकेशन इंप्रूव होगी। इसके लिए मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा अमेंडमेंट आया है, लेकिन कुछ और चेंजेज़ करने की जरूरत है। हम इस देश को अलग-अलग धर्म, भाषा, और सदाचार के बावजूद एक देश मानते हैं। स्कूल एजुकेशन में सिस्टम अलग-अलग है। जो स्टेट बोर्ड्स हैं, उनसे सी.बी.एस.ई. के कोर्सेज़ मेल नहीं खाते। उनमें फर्क आ जाता है। इस कारण हमारे बच्चों में इनफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है।

माननीय मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ ऐसा इन्कलाबी अमेंडमेंट लेकर आए हैं, उसमें और भी कई बातों की जरूरत है। सब से बड़ी बात यह है कि एजुकेशन में सभी एक साथ काम करें। असली मायने में देश तब ही बचेगा। माननीय मोदी साहब से ही देश के लोगों को उम्मीदें हैं। पहले जो विकास का मॉडल था, वह सिर्फ पांच-सात परसेंट लोगों के लिए ही था। आज चार वर्षों के बाद जो विकास का मॉडल आया है, वह 90 परसेंट लोगों के लिए है।

मैं चाहता हूँ कि आप एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसा बनाएं। एजुकेशन का जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसने एजुकेशन में बड़ा अंतर बना दिया है - अमीर लोगों के लिए अलग और गरीब लोगों के लिए अलग। एजुकेशन देने वाले प्राइवेट कॉलेजों के लिए कम से कम कोई रेग्युलेटरी अथॉरिटी तो बने। बिजली के लिए भी रेग्युलेटरी अथॉरिटी है, पानी के लिए भी रेग्युलेटरी अथॉरिटी है। एजुकेशन, जिसको हम सब से बड़ा सरमाया मानते हैं, तीसरा नेत्र मानते हैं, उसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। प्राइवेट इंस्टिट्यूशंस मनमर्जी से फीस लेते हैं। वहाँ गरीब का बच्चा नहीं जा सकता है। यह जो डिफरेंस पैदा हो गया है, उसे हटाने के लिए आप कोई अथॉरिटी बनाएं। यह बहुत जरूरी है।

यहाँ सभी प्रदेशों के लोगों ने अपनी बात कही है। मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। किसी भी बच्चे के आगे बढ़ने के लिए उसकी मातृभाषा बहुत जरूरी है। मातृभाषा पर जोर देना चाहिए। मेरे राज्य पंजाब में सी.बी.एस.ई. के जो कोर्सेज हैं, उन स्कूलों ने बच्चों के पंजाबी पढ़ने और बोलने पर पाबंदी लगा दी है। वे स्कूल्स बच्चों को निकाल देते हैं। कम से कम प्रदेशों में मातृभाषा कम्पलसरी बनाइए, चाहे वह सी.बी.एस.ई. कोर्स हो या अन्य कोई भी कोर्स हो। यह बहुत जरूरी है।

एक अन्य विषय हिस्ट्री का है। अलग-अलग रीजन की हिस्ट्री भी अलग-अलग होती है। सारे देश की हिस्ट्री बुक्स में नहीं आ सकती। कम से कम किसी प्रदेश की हिस्ट्री और लैंग्वेज को उस रीजन में जरूरी बनाया जाए। पंजाब में एजुकेशन बोर्ड ने एजुकेशन में अमेंडमेंट करने की बात की थी। वहाँ गुरुओं की हिस्ट्री निकाल दी थी। वहाँ महाराजा रंजीत सिंह की हिस्ट्री निकाल दी थी। हरी सिंह

नलवा, जिसने दर्रा खैबर के रास्ते बंद किए थे, मुगलों को हमेशा देश में आने से रोका, उसकी हिस्ट्री निकाल दी थी। वहाँ शिरोमणि अकाली दल ने आवाज उठाई। आज की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाई। अतः यदि गाइडलाइंस क्लियर हों, तो ऐसी सिचुएशन पैदा न हो।

यह भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर्स की अकाउंटिबिलिटी कहीं न कहीं फिक्स होनी चाहिए। जब हम पढ़ते थे तो स्कूलों में अचानक चेकिंग होती थी, लेकिन अब कोई चेकिंग नहीं होती है। आपने एक बात बहुत अच्छी की है। आपने कोपरेटिव फेडरलिज्म के कंसेप्ट को एजुकेशन में भी यूज किया है। सभी प्रदेश की सरकारों को साथ लेकर आपने बात की है और उनको छूट भी दी है। मैं चाहता हूँ कि टीचर्स की अकाउंटिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। उनसे कोई कुछ नहीं पूछता है इसलिए हमारे रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं। आपने बहुत संजीदगी से इसे लिया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र से पैसा चला जाता है, लेकिन प्रदेश की सरकार कुछ और चाहती है। यह सभी प्रदेश सरकारों की मांग है। केन्द्र की तरफ से इस पर कंडिशन लगायी जाती है। प्रदेशों द्वारा उन मापदंडों को पूरा न कर पाने के कारण पैसा खर्च नहीं हो पाता है। उसमें स्टेट के शेयर की भी बात होती है। आप क्यों नहीं एजुकेशन के लिए अलग फण्ड देते हैं, जिसे प्रदेश की सरकार अपनी मर्जी से खर्च करे। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन सही मायने में यह प्रदेश का ही विषय है। अगर आप उनको अलग एजुकेशन फण्ड देंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की सरकारें शिक्षा में अच्छा कर पाएंगी। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, 2017. I congratulate the hon. Minister, Shri Prakash Javadekarji, for introducing this Bill.

In 2009, this Bill was introduced. At that time, our senior leader, Dr. Murli Manohar Joshi, had told that examination must be conducted for every class. Without examination, you cannot evaluate or gauge the level of a student as to वह कैसे पास होगा, उसकी उन्नति किस प्रकार की होगी? यह उन्होंने उसी समय बोल दिया था।

Most of the hon. Members, who are sitting in this august House, have studied in their mother tongue only, in rural areas. Most of the senior Members also studied in their mother tongue only. So, mother tongue is of major importance.

“विद्या विनयेन शोभते।”

The Indian culture is very rich and we had a very good system of education. Before the Mughals attacked, we had Nalanda University and other such places. In the last 800 years, education system of the country has got spoiled. Almost for 600 years, the Mughals ruled. During that period, our educational system got spoiled. Then, there were 200 years of the British Rule. Macaulay, in order to bring changes in Indian society, had changed the education system in the country from that time onwards. आजकल लोग शिक्षा केवल नौकरी लेने के लिए करते हैं। Today, we

want to go for education with the sole intent of being able to get employment. That should not be the concept of education. आप किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे से पूछेंगे कि आप क्या बनेंगे तो वह बोलेगा कि वह डॉक्टर, इंजीनियर या आईएस बनेगा। कोई भी बच्चा यह नहीं बोलता है कि वह अपने पारंपरिक बिजनेस को करना चाहता है। मैं किसान बनना चाहता हूं, ऐसा आज तक एक बच्चे ने नहीं कहा है।

Today, we want to change the system of education, and the primary level education is very important. Responsibility must be fixed on the parents as also on the teachers. पहले पेरेंट्स जानते थे कि स्कूल में अगर कोई टीचर बच्चे को मारता था तो वह उसे सीखाता था। बच्चे को पढ़ाने के लिए माता-पिता जी भी बोलते थे कि आप उसे मारो। उस समय बच्चे को खेत में काम करने के लिए ले जाते थे, क्योंकि वह ज्यादा जरूरी था। उस समय एक गांव के स्कूल में बच्चे को टीचर मारता था।

टीचर के मारने के समय उनके पिता जी स्कूल में जाते थे और बोलते थे कि मास्टर जी आपको ठीक से मारो। आज किसी भी बच्चे को मारो तो केस डाल देते हैं। मगर इन्होंने इसलिए मारो कहा क्योंकि इनको खेत में खाना ले कर जाने के लिए बोला था, लेकिन यह स्कूल में आया है, इसके लिए इनको मारो बोलते थे। उस समय यह भी सिस्टम था, Because at that time human resource was more important for agriculture.

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि Dharwad is the most important educational hub in the country. You know it very well. कन्नड़ में बोलते हैं कि जिस आदमी के पास विद्या नहीं होती है वह गीदड़ से भी कनिष्ठ हो जाता है। Vidya is more important. That means primary education. For providing primary education parents are also responsible.

कन्नड़ में बोलते हैं कि बाद में गुरु शिक्षा देता है, स्कूल में गुरु हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। उस जमाने में अगर गांव में कोई समस्या हो जाती थी तो गुरु जी से पूछते थे। गांव में गुरु जी ने जो भी बोल दिया वह निर्णय अंतिम हो जाता था, उस जमाने में गुरुजी को बहुत आदर देते थे। आज-कल टीचर्स भी सिर्फ पगार वाले टीचर्स हो गए हैं। In the primary schools, there is no mathematics teacher in most of the schools. मैं जावड़ेकर सर से विनती करता हूँ कि आप मैथ्स, अंग्रेजी के और फिज़िक्स के टीचर्स की संख्या बढ़ाएं। No science teacher is available, especially no Physics teacher is available in the rural areas. अगर आप 10वीं और 12वीं की शिक्षा के लिए जाएंगे, हर आदमी डॉक्टर और इंजिनियर होता है, मगर फिज़िक्स, मैथ्स और अंग्रेजी सिखाने वाला कोई टीचर्स देश में नहीं है। That is very important. If the foundation at the primary level is strong, then in higher education they will do well and they will become more responsible citizens. यह मेरी विनती है कि पहले पूरे देश में सुबह सात बजे स्कूल शुरू हो जाते थे क्योंकि सुबह के समय बच्चे का दिमाग फ्रेश होता है, His grasping power will be more. उसके बाद घरों के जो पारंपरिक उद्योग रहते हैं, उसमें शामिल हो कर वे पिता जी और माता जी की मदद भी कर सकते हैं। By doing that, they can get alternative source of income also and they can learn the family business also. आज-कल हमारे बच्चों को हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, हम उनको गुलामगिरी का शिक्षण दे रहे हैं। He is not able to grow his mind independently. उस हिसाब से मैं आज विनती करता हूँ कि हमारी जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें पारंपरिक उद्योग की शिक्षा का प्रावधान था, वह फिर से चालू होनी चाहिए। अगर वह किया जाएगा तो अच्छा होगा। आज हम पूरे देश में देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी और आपके क्षेत्र में भी मालूम है कि सौ साल पुराने स्कूल्स हैं। मैं माननीय मंत्री जी से विनती करता हूँ कि सौ साल पुराने जो स्कूल हैं, उन्हें हैरिटेज बिल्डिंग घोषित कर के बच्चों को वापस स्टडी करने के लिए जाना चाहिए। पोस्ट

मास्टर्स की वैल्यू बहुत कम हो रही थी। We are reviving the post offices in the whole country. वैसे ही सौ साल पुराने जो स्कूल हैं, उनको रिवाइव कर के, स्पेशल फण्ड दे कर मदद करनी चाहिए। उसमें मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए। जैसे हर गांव में जो स्कूल हैं, उन्हें रिपेयर करना चाहिए, उन्हें हैरिटेज बिल्डिंग घोषित कर के आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे बच्चे उसमें अभ्यास करने के लिए जाएं, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। That is very important. उस सौ साल के स्कूल के माध्यम से Students can understand the history also. इन सब बातों को देख कर आज हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, मेजर इंपॉर्टेंट्स मैथ्स, अंग्रेजी और फिजिक्स टीचर्स को ध्यान में रख कर आगे काम कर रही है। अगर मातृभाषा में शिक्षण व्यवस्था होगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिला कर बहुत गर्व करने लगे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को हमारी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए इस बिल को सपोर्ट कर के धन्यवाद देता हूँ।

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, I support this Amendment Bill. The Right to Education Bill 2009, which was implemented from 2010, is a historic Bill that gives an opportunity to every child in the country to have legitimate education in an institution, which has been properly equipped.

Now, this Amendment that the hon. Minister has brought is to find a solution that the teachers will still get some time till they get the training. But I would like to take this opportunity to raise some of the issues connected with the education system in the country. Education is a concurrent subject. So, both the Centre and States have powers over the education system in the country.

I have got a suggestion as a teacher that many of the Central schemes which are introduced by the Government of India are not done with proper consultation with the States. I have written a letter to the hon. Minister very recently regarding the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA). This is an important step by the Government of India to help our institutions of higher education for providing better equipment and better infrastructure.

The Government of India, through UGC, provides Rs. 2 crore to each of the colleges and Rs. 50 crore to the Universities, but what happened is that this decision was communicated to many educational institutions, especially, in Kerala at the last minute. I had an interaction with the hon. Minister, and they have approved it. Now, almost all the colleges in the country including the colleges in

Kerala, which comes to 60 colleges, have given sanction for this project. But there is one lacunae, which has resulted because the Government of India and the State Governments did not have proper communication. The Government of India will give 60 per cent, and the remaining 40 per cent has to be provided by the State Governments. Now, the State Governments say that out of this 40 per cent, 20 per cent has to be managed by the institution itself.

How is it possible? I am asking this because the educational institutions do not have resources. They cannot collect fees for any other sources of revenue from children without the Government's permission. So, if the State Government takes a stand that out of the 40 per cent that the State has to manage and the education institute has to manage 50 per cent of that share, then this Scheme will not work out. So, my suggestion to the hon. Minister is to have a discussion with the State Governments before such important schemes are implemented.

Another important point is about the Mid-Day Meal Scheme. This Scheme is one of the attractive Schemes, which has helped to prevent drop-outs, but my experience is that the amount that you are sanctioning is not enough. For example, I had some interaction with schools in my Constituency where you are giving between Rs. 6 and Rs. 9 per student per day, which includes the cooking charges and, it is difficult to provide nutritious food with this amount. What we have done is that we have collected some more amount from the social institutions, PSUs, etc. I have got a Trust in Cochin, and we run through our own

Trust and we give the balance amount so that students get better and nutritious food. For example, if it is Rs. 6, then we give Rs. 9 more, and the PTA has to run it instead of employing somebody and leaving it on him alone.

Secondly, the hon. Prime Minister has always been talking about Swachh Bharat. My request would be to ask the hon. Members as to how many schools and educational institutions in their Constituency have toilets. I have found in many schools that there are not enough toilets and that too modern toilets, especially, in the schools where girl children are studying. The same is the case with modern equipment. Unfortunately, in this country, two sections of students are being brought up. One is those who are rich enough and those who can go to the institutions by paying higher fees.

There are students who cannot pay that much; they go to the schools where the education system is at a lower stage. The Government has to find a way out as to how children from poor families like labourers and farmers can get better education. So, we have to find out some mechanism by which there is better infrastructure for students.

Many of the schools are using computers and modern equipment like Kindle. Many schools run by the State Government do not have these facilities. There is a need for providing better training for the teachers. I was a teacher for 30 years. There should be in-service training for the teachers because science is

changing, technology itself is changing. So, there should be some courses provided through in-service training.

Coming again to the infrastructure, even there is no drinking water facility in schools. These are some issues on which the hon. Minister has to concentrate. When you are helping the States, the Centre should see that there is some kind of interaction so that States should be prepared to accept the schemes. Thank you, Sir.

श्री भगवंत मान (संगरूर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चों की अनिवार्य शिक्षा में अमेंडमेंट का जो यह बिल आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई भी देता हूं।

हम खुद भी जब कभी स्टेज पर लोगों के सामने जाते हैं तो यह बोलते हैं कि यह कैसा कानून बना दिया गया कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। इससे यह पता ही नहीं चलता कि कौन-सा बच्चा कौन-से सब्जेक्ट में कमजोर है और कौन-से सब्जेक्ट में अच्छा है। अगर यह पता चले कि वह कौन-से सब्जेक्ट में कमजोर है तो उस बच्चे के ऊपर उस सब्जेक्ट में थोड़ी मेहनत की जा सकती है। लेकिन, जब बच्चे को भी यह पता है कि आठवीं कक्षा तक मैं फेल ही नहीं हो रहा तो उस पर ऐसा कोई बर्देन नहीं होता है। जब वे नौवीं कक्षा में अचानक बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो उसमें 90 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी परीक्षा को इतना सीरियस नहीं लिया।

16 53 hrs

(Hon. Deputy Speaker in the Chair)

मैं एक उदाहरण देता हूं। पंजाब में यह घटना हुई। जब वहां नौवीं कक्षा की परीक्षा हुई और मूल्यांकन के लिए जब आंसर-शीट गई तो एक बच्चे ने इंग्लिश के आंसर-शीट में पंजाबी भाषा में एक छोटा-सा नोट लिखा, जो बहुत ही टचिंग था। जो मूल्यांकन कर रहा था, उसने उसे व्हाट्सएप्प पर डाल दिया। उसमें उस बच्चे ने कहा कि जो मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ हुआ है, वह बहुत गलत हुआ है। मैं इस नोट के ज़रिए बताना चाहता हूं कि जब हमें पढ़ाना चाहिए था, तब हमें पढ़ाया नहीं गया। जब हमें पढ़ना चाहिए था, तब हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें पास कर दिया गया। अब अचानक आप बोल रहे हैं कि बहुत सख्त एग्जाम आ रहे हैं। मैं यह नहीं लिख रहा हूं कि मुझे पास कर दिया जाए, लेकिन मैं यह लिख रहा हूं कि मुझे इंग्लिश न ही लिखनी आती है, न बोलनी आती है, न समझ पाता

हूँ। इसलिए मेरी जिन्दगी तो बर्बाद हो गयी, लेकिन अब और बच्चों की जिन्दगी बर्बाद मत करो, हमारा एज़ाम लो।

महोदय, इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है। किसान भी खेत में जाकर देखता है कि मेरी फसल किस हालत में है, इसे कौन-सी खाद देनी चाहिए। माँ भी जब खाना बनाती है तो उसे बार-बार चेक करती है कि यह कितना पक गया है, इसे कितने आग की और जरूरत है। इसलिए मूल्यांकन बहुत जरूरी है।

महोदय, मैं खुद एक टीचर का बेटा हूँ। लेकिन, मुझे पता है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई के लेवल में बहुत अन्तर है। उस लेवल की वज़ह से जो आदमी थोड़ा बहुत भी पैसा कमाने लगता है, वह सबसे पहले यही सोचता है कि हमारी जिन्दगी तो जैसे-तैसे कट जाएगी, पर हम अपने बच्चों की जिन्दगी बना दें और उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। वे इसमें गर्व महसूस करते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में कोई कमी है, लेकिन वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। हर रोज हमारे यहां लोग एम.पी. लैंड फण्ड से पैसे लेने के लिए आते हैं और यह कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंचेज नहीं हैं, स्कूलों के कमरे की दीवारें और छत गिरने वाली हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट ने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया और हम हमेशा उसके लिए एम.पी. लैंड फण्ड से पैसे भी देते हैं। पंजाब में टीचर्स की 14,000 पोस्ट्स खाली हैं।

इसका मतलब यह भी नहीं है कि पंजाब में टीचर नहीं हैं। हमारे यहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टेट) पास टीचर्स हैं। यह बहुत ही टफ टेस्ट है। यह आई.ए.एस. लेवल का टेस्ट है। इसको पास करने के बावजूद वे लोग धरने दे रहे हैं। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर हैं। मैं चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों की सभी पोस्ट भरी जाएं।

दूसरा, स्कूलों में जो मातृभाषा है, पंजाबी में इसे माँ-बोली बोलते हैं। अगर पाँचवी कक्षा तक मातृभाषा एवं गणित पर जोर दे दिया जाए तो बच्चा आगे साइंस, सोशल साइंस तथा हिस्ट्री सब्जेक्ट को पीक कर लेगा। मातृभाषा और मैथ पर जोर देना बहुत जरूरी है। यह दुख की बात है कि पंजाब में बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो सी.बी.एस.सी. से रिलेटेड हैं। अगर वहाँ पंजाबी बोलने पर बच्चा पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना होता है। मैं इस बात से बहुत ही हैरान हूँ।

मंत्री जी, मैं उन स्कूलों का नाम भी आपको दे सकता हूँ। पंजाबी बोलने पर बच्चों पर जुर्माना होता है। पंजाबी हमारी मातृभाषा है। हम उसी स्टेट का पानी पी रहे हैं, उसी स्टेट का खाना खा रहे हैं, लेकिन उसी स्टेट की बोली बोलने पर जुर्माना होता है। मैं इनका नाम लिखकर आपको दूँगा।

वहाँ पर टीचर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। टीचर को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम टीचर को अपडेट नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो वे नए सब्जेक्ट को पढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे। समय-समय पर टीचर्स की ट्रेनिंग तथा उनको अपडेट करना बहुत ही जरूरी है।

मेरे पिताजी एक टीचर थे, मुझे इस बात की जानकारी है। टीचर को पढ़ाने के लिए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन उनसे शिक्षा के अलावा बहुत सारे काम भी लिए जाते हैं। जनसंख्या टीचर करेंगे, मतगणना टीचर को करना है, इलेक्शन आ गया तो उसमें टीचर की ड्यूटी लगा दो, 15 अगस्त या 26 जनवरी मनानी है तो टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है। इस प्रकार के कार्य अन्य बेरोजगार लोगों से भी कराये जा सकते हैं।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूँ कि कीचड़ में गुलाब भी उगते हैं। मेरे क्षेत्र में एक रट्टोकेप गाँव है, वहाँ एक सरकारी स्कूल है। वह स्कूल रात के आठ बजे तक चलता है। मैं एक बार उसे देखने के लिए गया था। उस स्कूल के हेडमास्टर बहुत ही अच्छे हैं। दोपहर दो बजे के बाद वह उन बच्चों को बुलाते हैं

जो उस स्कूल से पढ़ कर गए हैं। वे कमजोर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और फ्री में ट्यूशन भी देते हैं। हम सभी को ऐसे स्कूलों को एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ। अगर पाँचवीं तथा आठवीं का टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चे और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और आगे जा कर देश का नाम रोशन करेंगे।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत हुआ है। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, शिक्षा के बिना व्यक्ति का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने भी कहा और आज भी उस मान्यता को स्वीकृति मिल रही है। लेकिन आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें हमारे बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा मिले, यह मूल विषय है। हम अपने बच्चों को किस प्रकार से अच्छी शिक्षा दे सकें, उसके लिए क्या व्यवस्था कर सकें, इसका भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2009 में जो बिल आया था, उसके सेक्शन 16 में प्रावधान किया गया था कि परीक्षा को हटाकर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। इसमें संशोधन लाने के लिए यह बिल आया है। इस बिल के आने से निश्चित रूप से सही परिणाम आएगा। हमारे मंत्री जी ने भी कई बार बोला है कि सब को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। इस बात को सरकार की तरफ से भी प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत किया गया है। हम इसको प्राप्त करने में निश्चित रूप से सफल होंगे।

महोदय, वर्ष 2009 में जो कानून पास हुआ और उसके बाद जो रिजल्ट आया, खासकर हमारे शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) के माध्यम से जो विश्लेषण किया है, उसके तहत उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई है।

17 00 hrs

इसी को ध्यान में रखते हुए संसदीय कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गुणवत्ता में जो कमी आई है, उसे हमें सुधारना चाहिए। इस संबंध में यह प्रयास किया गया है। हमारी सरकार के द्वारा नीति आयोग के माध्यम से 115 आकांक्षी जिले चुने गए हैं। उसमें भी जो पिछड़े हुए जिले हैं, उसका मुख्य कारण शिक्षा ही है। जो विश्लेषण आया है, उसमें प्राथमिक स्तर पर जो वहां के बच्चे हैं,

जो भावी पीढ़ी है, वह किस तरह से पिछड़ रहे हैं। आकांक्षी जिलों को चिह्नांकित करके इस दिशा में काम करने के लिए आग्रह किया गया है।

हमारे अधिकांश सदस्यों ने इस संबंध में विचार रखे हैं। व्यवस्था को सुधारने के लिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है, उस बात को उन्होंने स्वीकारा है। यहां जो अधिकांश सांसद हैं या जो वरिष्ठ पद पर बैठे हैं, वे सरकारी स्कूलों में पढ़कर ही यहां तक पहुंचे हैं। मैं सौभाग्यशाली रहा कि आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जो निवास स्थान है, उनका जो पढ़ने का स्कूल है, वहां तक गया था। एक छोटा सा सरकारी स्कूल, जिसने इतना बड़ा वैज्ञानिक देश को दिया, जिन्होंने परमाणु परीक्षण करके देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए, हम सबके लिए वह प्रेरणा का केंद्र है। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, निश्चित रूप से इससे अच्छा परिणाम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मेरे छत्तीसगढ़ का एक विषय है। हम सब लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में सब सम्पन्न लोग पढ़ाते हैं। मैं एक उदाहरण इस सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक कबीरधाम जिला है। जहां पर आईएस आफिसर कलेक्टर अवनीश शरण जी हैं। वे अपने बच्चे को पिछले दो साल से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। केवल भर्ती ही नहीं कराया, वहां जो मिड-डे-मील संचालित होता है, उसमें साथ में बैठकर भोजन भी किया। शिक्षा के प्रति उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सम्पन्न व्यक्ति भी चाहे तो व्यवस्था को सुधारने के लिए सहयोग कर सकता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूं। छत्तीसगढ़ को नक्सल प्रभावित राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वहां नक्सल से संबंधित समस्या है। वहां जवांगा नाम से दंतेवाड़ा जिले में स्थान है, जो घोर नक्सल प्रभावित जिला है। वहां पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एजुकेशन हब बनाया है, जहां पर नक्सल प्रभावित परिवार के बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं। पहली से लेकर बारहवीं तक की पढ़ाई के लिए एक ही स्थान पर एक ही कैंपस पर स्कूल संचालित है। आज उसका परिणाम है कि वहां के पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी,

एनआईटी, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। हम प्रयास करें, तो व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कर सकते हैं।

मैं इसी के साथ कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अनिवार्य परीक्षा के संबंध में इस विधेयक के माध्यम से चर्चा चल रही है। हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यह तो एक उदाहरण है। सरकार ने उसको प्रोटेक्शन दिया, इसलिए यह हो गया। अधिकांश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज भी स्कूल नहीं हैं। वहां न तो नक्सल मूवमेंट वाले स्कूल बनने देते हैं, स्कूल संचालित नहीं करने देते हैं और स्कूल जो पहले से बने हुए हैं, उनको बम से उड़ा देते हैं। जो वहां शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनसे मारपीट करते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको मारपीट कर भगा रहे हैं। ऐसे स्थानों के लिए यह जो कानून है, उसमें निश्चित रूप से उनके संबंध में विचार होना चाहिए। यह मेरा निवेदन है। अभी चर्चा चली कि प्राइवेट स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। हमारे सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनको हम ज्यादा तनखाह देते हैं, ज्यादा फैसलिटी देते हैं, संसाधन देते हैं। इसके बाद भी जो यह मानसिकता बनी है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मेरा एक और निवेदन है। अभी मातृ भाषा के संबंध में कई सदस्यों ने निवेदन किया। छत्तीसगढ़ी भाषा अभी तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इस तरह की देश के अंदर बहुत सी ऐसी भाषायें हैं।

जिसे अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, किस प्रकार से उस मातृभाषा को हम अनिवार्य रूप से पढ़ाई के प्राथमिक स्तर में लाएं। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है और जब तक इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे और उसको प्राथमिकता के साथ नहीं जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

मेरा एक निवेदन संस्कृत भाषा के संबंध में है। संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है और समृद्धशाली भाषा है। संस्कृत भाषा में चाहे इतिहास का विषय हो या विज्ञान का विषय हो या गणित का

विषय है, ये सारे विषय लिखे हुए हैं। इस विषय में भी उसको प्राथमिकता के साथ प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाए। यही मैं निवेदन करता हूं और मांग करता हूं। मुझे इस बिल के समर्थन में आपने बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री जावड़ेकर साहब जी द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार दूसरा संशोधन विधयेक, 2017 उपस्थापित किया गया है। इन्होंने एक अच्छी पहल की है, मैं इसके लिए इन्हें धन्यवाद देता हूँ। कई सवाल हैं, हम उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शिक्षा समान होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। राजा का पूत हो या निर्धन का बेटा हो, सभी के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए। चाहे वह पिछड़ा हो या वनवासी हो या दलित हो, एस सी हो या एस टी हो या ओबीसी हो या समाज का कोई भी वर्ग हो। हम सब भारतवासी हैं। सब के लिए शिक्षा एक समान होनी चाहिए। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा हमारे लिए जरूरी है। यही हमारी बुनियाद है, यही हमारा फाउंडेशन है। हम इसी से आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूल तथा ग्रामीण स्कूल प्राइमरी शिक्षा की बुनियादी रीढ़ है। हमारी नब्बे परसेंट आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। जब तक हम ग्रामीण शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, वहां के स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बनाएंगे, वहां भवन नहीं देंगे, शौचालय नहीं देंगे, पेयजल की सुविधा नहीं देंगे, पढ़ने के लिए वातावरण का निर्माण नहीं करेंगे, शिक्षक की क्वालिटी नहीं देंगे, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को आगे बढ़ाने में परेशानी होगी। हमें सरकारी स्कूलों को आगे बढ़ाना है।

आज प्राइवेट स्कूल गोबर-छत्ते की तरह आगे बढ़ते जा रहा है। यह शोषण का अड्डा बना हुआ है, इनमें कुछ अच्छे भी हैं। हम यह नहीं कहते हैं कि कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल गोबर छत्ते की तरह बढ़ता हुआ शोषण का एक अड्डा बन गया है। गरीब के बच्चे हीनता में जीते हैं और दूसरे फाइव स्टार में पढ़ते हैं। इस पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करता हूँ। हमें अज्ञानता की मैली चादर को हटाना है, हमें अमावस्या की काली रात को समाप्त करना है, हमें ज्ञान की पूर्णमासी को लाना है, हमें इस ओर बढ़ना है। ज्ञानहीन समाज आगे नहीं बढ़ता,

ज्ञानवान समाज आगे बढ़ता है। कभी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का डंका बजता था। आज भारत ने ज्ञान के हर क्षेत्र में दुनिया में नाम कमाया है। हम इसे कबूल करते हैं। इन छात्रों में, हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में कुशाग्रता है, ज्ञान के प्रति ललक है, वे मेहनत से पढ़ाई करने का काम करते हैं। ज्ञान सूरज की पहली किरण की तरह होता है। प्राथमिक शिक्षा भी सूरज की पहली किरण है कि दिन कैसा होगा। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर बनाना, मिडिल स्कूल को बेहतर बनाना और हाई स्कूल में बेहतर व्यवस्था करनी है, लड़कियों के लिए हाई स्कूल की व्यवस्था करना है।

आज उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत ही नाजुक है। उसके कई कारण हैं, जिसकी बहस हम माननीय जावड़ेकर साहब के सामने नहीं करेंगे। रिजर्वेशन का सवाल हो, एस.सी./एस.टी. का सवाल हो, ओ.बी.सी. का सवाल हो, उनके अधिकारों का सवाल हो, वे उससे वंचित हो रहे हैं। बेसिक स्कूल, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बुनियादी स्कूल के रूप में चलाया था। आज उस बेसिक स्कूल की हालत लचर हो गयी है। उसे भी ठीक करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था- शिक्षित बनो, संघर्ष करो। हमारे नेता श्री लालू जी ने तीन बातें कही थी-पढ़ो या मरो, जन्म दिया तो शिक्षा दो, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। यह हमारे नेता श्री लालू जी ने कहा था- “गइया बकरी चरते जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए”।

आज मुनिया बेटी के अधिकार के लिए निःशुल्क शिक्षा को आगे बढ़ना है। अगर जन्म दिया तो शिक्षा दो। बिहार की शिक्षा तो चौपट हो गई है, गर्त में चली गई है।

मैं इस बिल के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ।

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। 2009 में जो गलती उस समय की सरकार ने की थी, पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को परीक्षा से मुक्त करके शिक्षा की मूल संरचना की नींव पर प्रहार किया था, बिना परीक्षा के पास करने का काम किया था। यह एक ऐसी बड़ी भूल थी जिससे देश के फंडामेंटल्स पर हमला हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी बड़ी भूल को सुधारने के लिए यह बिल पेश किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय मंत्री जी ने इस बिल में सभी पहलुओं का ध्यान रखा है कि किस तरह से दोबारा पांचवीं कक्षा के लिए बोर्ड की स्थापना की जाए। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जब बच्चा परीक्षा देने के मूड में होता है, तब वह अच्छी तैयारी करता है इससे उसकी नींव मजबूत होती है। मैं समझता हूँ कि पांचवीं और आठवीं क्लास के बच्चे परीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य निर्माण इस बिल के माध्यम से होगा। यह कदम देश में आमूलचूल परिवर्तन के लिए है, हम सबको इस कदम की सराहना करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि अगर कोई राज्य सरकार इस शानदार कदम में साथ नहीं देना चाहती है तो यह फैसला उन पर छोड़ दिया है।

आज यहां आठवीं कक्षा के बोर्ड की बात कही जा रही है। मैं राजस्थान में करौली धौलपुर क्षेत्र से आता हूँ। मैं राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी द्वारा शिक्षा में विशेषकर प्राइमरी, सैकेंड्री और सीनियर सैकेंड्री क्षेत्र में किए गए कामों के बारे में बताना चाहता हूँ। राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पिछड़े साढ़ चार साल में सीनियर सैकेंड्री स्कूलों की स्थापना की है। इसके साथ उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राइमरी और सैकेंड्री स्कूलों को जोड़कर एक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार कर दिया है जिससे अब राजस्थान तीसरे नंबर पर आ गया है जो कुछ साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में 23वें नंबर पर था। मैं माननीय वसुंधरा जी के इस

विज्ञान और पहल को सदन के सामने रखना चाहता हूं। किसी भी स्कूल में सबसे पहले शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की जरूरत होती है। देश के अधिकांश राज्यों में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि स्कूल तो बना दिए जाते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाता है लेकिन शिक्षकों की कमी रहती है।

मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूं कि माननीय वसुंधरा जी ने पिछले साढ़े चार साल में लगभग 50,000 से 70,000 शिक्षकों की भर्ती की है। आज राजस्थान में कोई स्कूल ऐसा नहीं है कि जहां शिक्षकों की कमी है। आज मूलभूत शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए सीनियर सैकेंड्री स्कूलों में बीएड टीचर्स रखे गए हैं।

मैं आपका ध्यान राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई मुख्य मंत्री जनश्री योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसका प्राइमरी एजुकेशन से सीधा संबंध है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो इस योजना के तहत 2,500 रुपये सरकार देती है। जब कोई बच्चा पहली क्लास में जाता है तो 4,500 रुपये मिलते हैं। इसी प्रकार से चाहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अभियान हो, माननीय मुख्य मंत्री ने सभी अभियानों को शानदार तरीके से पूर्ण किया है। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री जी ने बच्चों के लिए, देश के निर्माताओं के लिए दुग्ध योजना शुरू की है, जिसमें अपने हाथों से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दूध पिलाकर प्यार दिया, लाड़ किया।

मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

जिस प्रकार से राजस्थान में प्रत्येक स्कूल में खेल मैदान बनाए गए हैं, योग और खेल को राजस्थान में महत्व दिया गया है, वह सराहनीय है। ... (व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अहम बिल पर बोलने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन बिल एक बहुत अहम फैसला था जो लिया गया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी नेग्लिजेंस रही कि आज भी अधिकतर प्रदेशों में यह कानून पूरी तौर पर लागू नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने यह पहल की कि जो फैसला कांग्रेस ने आठवीं कक्षा के बच्चों को बोर्ड परीक्षा से दूर करने का किया था, कहीं न कहीं सरकार को वापस उस विचार पर आना पड़ा। मगर इस बिल को पढ़ते हुए दो चीजें बहुत अस्पष्ट हैं। एक, जब आप पांचवीं और आठवीं कक्षा के एग्जाम्स की बात करते हैं तो उन एग्जाम्स को किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। दूसरी चीज यह देखने वाली है कि इतने लार्ज स्केल पर, जब पूरे देश भर में एग्जामिनेशन्स कंडक्ट होंगे, उसके अंदर एक नया एटमॉस्फेयर आने के बाद बच्चे बिछड़ेंगे और हम कहीं न कहीं सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट रेट को बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि आज भी सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में टीचर्स नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज ग्रामीण अंचल की यह हालत है, यह मेरे लोक सभा क्षेत्र के एक गांव की रिपोर्ट है, वहां काबरेल गांव में बोर्ड के दसवीं कक्षा की परीक्षा में बहुत सी बच्चियां फेल हो गईं। गांव वालों ने खुलकर यह आरोप लगाया कि जिन-जिन एग्जाम्स में बच्चियां फेल हुईं था, वहां हमारे पास पर्याप्त संख्या में टीचर्स नहीं थे। देश में चाहे शिक्षा मित्र हों या अतिथि अध्यापक हों, उनके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की तलवार लटक रही हैं। वे टीचर्स पढ़ाएंगे या उनको कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वहां भी उनका भविष्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि टीचर्स की नियुक्ति के लिए या जो गेस्ट टीचर्स हैं, उनको परमानेंट बनाने के लिए आने वाले समय में सरकार क्या कदम उठाना चाहेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में प्राइमरी टीचर्स की कुल 1,39,957 पोस्ट्स हैं और यह 3 मई की रिपोर्ट है कि उनमें से 52,947 पोस्ट्स वैकेंट पड़ी हैं। क्या केन्द्र सरकार ऐसी प्रदेश सरकारों को कुछ सपोर्ट देगी जिससे टीचर्स की नियुक्ति पूरी तौर पर की जाए, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पर्याप्त रूप में बढ़े। हरियाणा प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2012-13 में 27 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। वर्ष 2015-16 में यह संख्या 22.5 लाख हो गई और इस साल इस संख्या में और गिरावट आने से यह संख्या 21.5 लाख हो गई। आप खुद सोचिए कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन 5,87,000 बच्चे कम हो गए। कहीं न कहीं आज सरकारी स्कूलों में बच्चों का जाना कम हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि परमानेंट टीचर्स की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। आज जो अतिथि अध्यापक बैठे हैं, उनको सरकार परमानेंट करने का फैसला नहीं ले रही है। उनको भी जॉब इनसिक्योरिटी है और कहीं न कहीं उसकी वजह से वे अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए अधिकांश पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से उठाकर, आज प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेजने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि भारत सरकार सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां करवाए, जिससे बच्चे दोबारा सरकारी स्कूलों की ओर चले। मुझे चौधरी देवीलाल जी की एक बात याद आती है। वह कहते थे कि हमारा जमाना भला था, जब शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में मिलती थी। आज मुझे यह बोलते हुए दुख होता है कि यह समय आ चुका है कि जितनी ज्यादा महंगी शिक्षा और चिकित्सा हो, उतना ज्यादा लोगों का उस तरफ प्रलोभन है। भारत सरकार जरूर इस पर भी ध्यान दे कि जो सरकारी शिक्षा है, उसे बढ़ावा देने के लिए भी हम कदम उठाएं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि आज इस आईटी एज में सबसे बड़ी कमी कम्प्यूटर टीचर्स की है। आपने अलग स्कीम्स के माध्यम से, सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कम्प्यूटर्स स्कूलों में भेज दिए, लेकिन वहां न तो बिजली है और न कम्प्यूटर टीचर्स हैं। वे कम्प्यूटर्स गल चुके हैं, मगर उन कम्प्यूटर्स के माध्यम से एजुकेशन नहीं आई। सरकार इस पर भी जरूर विचार करे कि जब हम आठवीं कक्षा के एग्जाम्स कराएंगे तो आठवीं कक्षा के बच्चों को हम कम्प्यूटर की शिक्षा पर्याप्त मात्रा में दे सकें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार, दूसरा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस विधेयक में कक्षा पांच और कक्षा आठ को परीक्षा से जोड़ने का विशेष तौर पर प्रावधान किया गया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। अधिकतर राज्यों ने इसका समर्थन किया है। बालक परीक्षा का डर नहीं होने से लापरवाह हो जाते हैं। जब उन्हें भय नहीं रहता है तो वे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। निश्चित तौर से इससे उनको लाभ होगा। इसमें दो माह में पुनः परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया है, वह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उन दो माह में बच्चों के लिए स्पेशल कोचिंग का प्रावधान करेंगे तो अच्छा रहेगा। कक्षा पांच और आठ के छात्रों को उन दो माह में स्पेशल कोचिंग दी जाए, यह इसमें जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा मैं अनुरोध करना चाहता हूं। आज प्राइमरी स्कूलों की जो बदनामी हुई है, निश्चित तौर से इससे उसमें सुधार होगा।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह विषय राज्य और केन्द्र दोनों का है लेकिन हमारे स्कूल्स की जो हालत है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। हमें टाट-पट्टी से आगे जाना होगा और वहां मेज-कुर्सी की व्यवस्था करनी होगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि योगी जी ने इस पर ध्यान दिया है। उन्होंने वहां आरोग्य, शौचालय और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी शुरू की है। यह पहली बार हुआ है कि इस जुलाई के महीने से ही बच्चों को पुस्तक और ड्रेस मिलनी शुरू हुई है लेकिन अभी वहां मेज-कुर्सी की व्यवस्था होना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, प्राइमरी टीचर्स के संबंध में यहां जो विषय आया है, निश्चित तौर पर उन्हें अन्य कामों से अलग करना होगा। उनको बहुत काम रहता है और अन्य काम से भी उन्हें जोड़ा जाता है। उनको उन कामों से अलग करना होगा। वे मिड-डे मील के भी दबाव में रहते हैं कि कहीं

इसकी चेकिंग न हो जाए, मिड-डे मिल ठीक से बन रहा है या नहीं, उनको उस दायित्व से अलग करना चाहिए। वहां पर सीधे उनकी जिम्मेदारी रहती है तो उससे उनको अलग करना होगा।

मेरा एक और सुझाव है। मैंने कर्नाटक एवं अन्य जगहों पर देखा है कि संस्थाएं भोजन बांटने का काम करती हैं। वैसे ही प्राथमिक विद्यालय में रसोई होती है, वहीं भोजन बनता है तो बालकों का ध्यान उधर लगा रहता है। साथ ही उनको अपने घर से बर्तन भी लेकर आना पड़ता है, सभी जगह बर्तन भी उपलब्ध नहीं रहते हैं। इस पर भी ध्यान देना होगा कि कैसे हम भोजन संस्थाओं के द्वारा बंटवाने की व्यवस्था करें।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि भोजन बनाने वाली जो महिलाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी की बात आ रही थी। उन भोजन बनाने वाली महिलाओं को एक हजार रुपये मिलते हैं। एक स्कूल में कम से कम दो महिलाएं रहती हैं। एक हजार रुपये बहुत कम हैं, इसलिए इस पर भी प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और यहां से उनको डायरैक्शन जाना चाहिए कि उनको कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिले। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए।

एक विषय आया है कि शिक्षकों को भी परिणाम से जोड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है कि शिक्षक की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। अगर उनका बच्चा दोबारा फेल होता है तो शिक्षक को भी इसके लिए माइनस मार्किंग होनी चाहिए। उनसे जवाब-तलब होना चाहिए। इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं शिक्षा मित्रों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र नियुक्त किए गए थे, प्रदेश सरकार ने उनका वेतन 3500 रुपये से बढ़ा कर 10 हजार रुपये किया है। उनके दिमाग में यह घुसा रहता है कि हम 40 हजार रुपये पा रहे थे, लेकिन अब हम 10 हजार रुपये पर काम करने जा रहे हैं, इसलिए वे ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उनको इस चिंता से दूर

करना होगा। उनसे वार्ता करके, उनकी जहां की मूल नियुक्ति है, उत्तर प्रदेश सरकार उस पर विचार कर रही है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात को विराम दूंगा। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं। हर ग्राम पंचायत में हालत बहुत खराब है। वहां पर जो विद्यालय है, वहां अच्छी व्यवस्था हो। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं केंद्रीय मंत्री श्री जावेड़कर जी और राज्य मंत्री श्री कुशवाहा जी का भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनके विचार से यह महत्वपूर्ण बिल सदन में लाया गया है। जितने भी देशवासी शिक्षा के महत्व को समझते हैं, उनके दिल में आज खुशी की लहर है। मैं शिक्षक परिवार से हूँ और गांव में रहने वाले का बेटा हूँ तथा किसान परिवार से आता हूँ। वर्ष 2009 में जब शिक्षा में सुधार किया गया और अनिवार्य परीक्षा को समाप्त कर दिया गया, उस समय मैं पंचायत का मुखिया था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसा अंधा कानून है। मुझे महसूस हो रहा था कि जिन्होंने कानून बनाया है, उन्हें प्राइमरी एजुकेशन या गांव के किसी स्कूल का ज्ञान नहीं है। वे निश्चित रूप से हार्वर्ड यूनीवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी को देखकर इस प्रकार का बिल लाए थे। मैं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ अनिवार्य परीक्षा की व्यवस्था में पुनः सुधार करने का काम किया है। यह बहुत बेहतर व्यवस्था है। इसका हम निश्चित रूप से समर्थन करते हैं और स्वागत करते हैं।

महोदय, मैं इसमें सुधार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। चूंकि दोनों मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि तीन महीने बाद यदि बच्चा परीक्षा में पास नहीं होता है, तो उसे डिटेन करने की आपने व्यवस्था की है, लेकिन जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते ही नहीं हैं, मिड डे मील के माध्यम से और साइकिल-पोशाक की राशि के जोड़ घटा में फंस कर पूरा दिन निकाल देते हैं तथा अपनी कक्षा में ठीक से उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए कानून बनाना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए? जिन शिक्षकों के कारण इस प्रकार का रिजल्ट आएगा, ऐसे शिक्षकों को भी दंडित करने की जरूरत है। पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुशवाहा जी पूरे देश में शिक्षा के सुधार के लिए बहुत बिंदुओं पर अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी साथियों के बीच खुशी की लहर है

कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री और देश के प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात को स्वीकारा है कि बच्चों में परीक्षा की अनिवार्यता जरूरी है और जब तक परीक्षा की अनिवार्यता नहीं होगी, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं और हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन और स्वागत करती है।

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, I strongly oppose this amendment Bill because I feel you are giving a wrong medicine to cure a serious illness. You have not addressed the crux of the problem. You are beating around the bush. With all the respect to the hon. Minister and the Government, I would like to say that you are in the reverse gear. What is happening? If the hon. Minister and the Government had analysed the ground reality, he would not have come forward with this kind of a legislation.

It is seven years since this Bill was passed. Have you verified what is happening in the rural India? What was our intention while passing this legislation? It was called a revolutionary legislation in the history of Indian education. Enrolment, retention and improvement in quality, these were the three parts of the original legislation. Now what is happening? Private schools are coming up. They have a mushroom growth. The Government schools are on deathbed. I would like to ask you whether you have taken positive steps to solve all these problems. Involvement of community was the crux of that legislation. Unfortunately, that has not taken place. Pupil-teacher ratio – 1:30 – was there in the original Act. It has not been achieved. What about inclusiveness? Inclusiveness was the flagship idea of that Act. Unfortunately, that has also not been taken into consideration. As regards motivation of teachers, teachers are not equipped. Teacher training system is very poor in the country.

What was our expectation? Our expectation was that education should be student-centered and student-friendly. Is it happening that way? I would humbly request the hon. Minister to kindly examine all these things.

What are you going to gain out of this kind of legislation? In the original Act, detention and dismissal from the elementary school was banned. It was not possible. But through this legislation, you are empowering the State Governments to do this kind of a thing.

Through this legislation you are empowering the State Government to do both- detain and dismiss. I would like to tell the hon. Minister that I was the Minister for Education for seven years in the State of Kerala, one of the most advanced States in the country. We have stopped that system of detention in our State. Do you think that it will solve the problem? That will kill the morale of the students. That is a bad thing. The Government should not do that because victimisation will take place in schools. These are the adverse effects of doing such things. The Government has to understand that this kind of a legislation is not progressive in nature but is regressive in character.

Sir, I would like to refer to one more thing. Anyone can find in the schools that the infrastructure facilities are not adequate. In 95 per cent of the Government schools there are no toilets, no washroom. In such a situation, how can you effect quality in education? Moreover, in modern education digitisation is

taking place. But no such thing is taking place in the schools. The Government is claiming that they have achieved something. But what has happened in rural India? The children in the rural areas have been engaged in child labour. They are not going to school. So, I would like to request the hon. Minister to address the real issues and not to go for such small things.

Thank you.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017' पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्ष 2009 में आरटीई आने के बाद, छह वर्ष से चौदह वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला है। अब बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। लेकिन, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में अभी भी बीच में स्कूल छोड़ने की प्रतिशतता 57 है। इस पर विचार करने और सुधार करने की जरूरत है। विशेषकर, चौदह वर्ष की उम्र में जो बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं। हम लोग ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं। हम लोग गाँवों में घूमते हैं। जो सम्पन्न लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब तबके और समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते हैं। इसमें और सुधार करने की जरूरत है।

महोदय, एक और विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। प्रायः देश में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से विभिन्न कार्य, जैसे जनगणना, निरीक्षण कार्य, चुनावी कार्य, टीकाकरण आदि कराये जाते हैं। इससे भी शिक्षकों पर असर पड़ता है और वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते हैं।

आरटीई एक्ट में पिछले संशोधन से निश्चित किया गया है कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा में सभी शिक्षक, जो ट्रेड नहीं थे, उनको अब ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस संबंध में, मैं एक सुझाव देना चाहूँगा। अभी हमारे साथी श्री संजय जायसवाल जी कह रहे थे कि वर्ष 2007 में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय नौवीं क्लास में एक लाख सत्तर हजार

छात्राएँ पढ़ती थीं। जब वहाँ मुख्य मंत्री जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की, तो उनकी संख्या लगभग 15 लाख हो गई है। इसलिए प्रदेशों में भारत सरकार को और संसाधन देने की आवश्यकता है। जब तक राज्यों को संसाधन नहीं दिये जाएंगे, तब तक गरीब के बच्चे, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पाएगा।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate on the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill. I welcome the Bill, and my Party, the Sikkim Democratic Front supports this particular Bill.

Sir, the reasons, the positives and the negatives of this Bill have already been discussed. I welcome the fact that we are having a debate on this particular amendment because I am sure that there are many good ideas which will be harvested by the hon. Minister. In this connection, I would like to make two or three quick points.

First of all, the question of putting the onus on the teacher or putting the onus on the student as to how they will educate themselves is something which needs to be thoroughly discussed. I do not think that it is completely the responsibility of the teacher. But there is also some responsibility of the parents as well as the student. There has been a thought that students are being overburdened and, therefore, the Right to Free and Compulsory Education Act was enacted. When the Right to Education was brought, it came first as a right and then the question of who is responsible. There are many stakeholders in this whole game and that needs to be thought through very carefully.

Sir, in Sikkim, I had the opportunity of spearheading one particular programme called, EQUIP (Educational Quality Improvement Programme) in our

State and this is something which was done to raise the standards of leadership in schools and also to foster a culture of education and finally it was a question of how pedagogy and how students can be taught in a better and a more reliable way. This has led to a remarkable change in the way education is being given in Sikkim schools.

I think that even if we have detention at Class 5 and Class 8, it will do a world of good because there is at least a bar that children have to take a test and meet the particular standards.

With these words, I thank you very much and I am sure that this is something that will go a long way in helping our children.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support this Bill. I would like to say that elementary education is the basic foundation of the education structure. Suppose you are not able to empower and strengthen elementary education, definitely the entire system will collapse. That is what we are experiencing in the Indian system of education.

Sir, here in the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Bill, the pertinent question which is being discussed is whether any evaluation or assessment is required during the time of elementary education. We have discussed this aspect in detail in the Standing Committee on Human Resource Development. There were divergent opinions regarding this aspect. It is a very controversial and complicated issue and so, it is very difficult to find an answer to this particular question. But after a threadbare discussion, the Committee unanimously adopted the position to let State Governments to see whether any children have to be given detention or no detention. So, the Detention Policy has to be determined by State Governments because Education is a State Subject and it is in consonance with the federal character of our Constitution. Therefore, I support this Bill.

Article 45 of the Constitution of India provides for compulsory universal and free education to all the children below the age of 14 years within 10 years from the date of commencement of the Constitution. But even after 68 years, we are not able to provide compulsory universal and free education to all the children

below the age of 14 years. Subsequently, we have made it a Fundamental Right in the year 2012 as per Article 21A of the Constitution and for this purpose, an Act was passed by this Parliament in 2009. But I would like to know from the hon. Minister as to whether any assessment has been done between 2009 and 2018. ... (*Interruptions*) Yes, I appreciate the UPA Government. I appreciate the UPA Government. ... (*Interruptions*). Shri Kapil Sibal, the then Minister had done a remarkable job in enunciating this law. ... (*Interruptions*). My question to the hon. Minister is, whether any assessment has been done since 2009 to 2018? I want to know, whether any strategic progress has been made in respect of dropouts, in respect of enrolments and also for elementary education. The budget allocation has to be increased.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि 24 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। सभी ने इस बिल का सपोर्ट किया है। मोहम्मद बशीर जी की राय थोड़ी अलग थी, लेकिन मैं उसका भी आदर करता हूँ। ... (व्यवधान) गांधी जी, मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भेजा है, सभी सदस्यों को भेजा है। आप जिस जिले से आते हैं, उसकी शिक्षा की हालत कैसी है? नेशनल असेसमेंट सर्वे में जो सामने आया, वह मैंने आपको भेजा है। आप उसको देखिए कि कैसी गम्भीर स्थिति है, तभी हमें कुछ समझ में आएगा। वर्ष 2012 से यह वर्ष 2016 में और गिर गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में इसकी जवाबदेही खत्म हो चुकी है। जवाबदेही खत्म होने से न टीचर्स का कोई लेना-देना है न स्टूडेंट का कोई लेना-देना है। जैसा सौगत राय जी ने कहा कि इम्तिहान में लोग ज्यादा अभ्यास करते हैं, क्योंकि यह एक सायकोलॉजी है। नो-डिटेन्शन अध्ययन न करने का एक छूट की तरह हो गयी। इसलिए सभी राज्यों, पेरेंट्स और छात्र संगठनों की मांग के अनुसार इस पर काम हुआ। इस पर तीन-चार साल तक काम हुआ। दो कमेटियां बनायीं गयीं। सभी राज्यों में से केवल चार-पांच राज्यों ने कहा कि हमें बदलाव नहीं करना है, लेकिन बाकी सभी नो-डिटेन्शन पॉलिसी को हटाना चाहते थे। इसके लिए रास्ता निकालने के लिए मैंने वहां लिखा Unanimously we decided that this decision be taken by the respective state governments. यह करके हमने सभी को विश्वास में लेकर यूनेनिमस डिसिजन लिया कि जिनको करना है, वे नो-डिटेन्शन पॉलिसी चालू रखें और जिनको बदलना है और डिटेन्शन करना है, वे करें। यह अधिकार राज्यों को दिया है। दूसरा है कि परीक्षा कौन लेगा? इस बात को राज्य सरकार तय करेगी। हम गाइडलाइंस बनाएंगे और उसमें सभी कुछ लिखेंगे कि आप राज्य स्तर की परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, जिला स्तर पर आयोजित कर सकते हैं या स्कूल लेवल पर कर सकते हैं। आज नो-डिटेन्शन की वजह से अध्ययन ही नहीं हो रहा है। अब वह अध्ययन होने लगेगा।

तीसरा है कि स्कूल से कोई बाहर नहीं जाएगा। यह नहीं है कि डिटेन किया तो स्कूल से बाहर निकाल दिया। बच्चा स्कूल में ही रहेगा। उसे एग्जाम के लिए दो अवसर मिलेंगे। उसे रेमेडियल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर कोई चौथी कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा का पाठ नहीं पढ़ सकता है और सातवीं कक्षा का छात्र पांचवीं कक्षा का गणित नहीं कर सकता है तो इससे दुखद बात कुछ नहीं हो सकती है। It is a broken education system and we have to rebuild our education system. हम में से 80-90 परसेंट लोगों ने जिला परिषद के स्कूलों से ही पढ़ाई की है। वे स्कूल सबसे अच्छे थे। लेकिन वे आज क्यों पिछड़ गए हैं? उनको फिर से शिक्षा में स्थापित करना है। सरकारी शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमने नारा दिया- सभी को शिक्षा, अच्छी शिक्षा। दुष्यंत जी ने जो कहा वह सच है कि सरकारी स्कूलों से चार परसेंट बच्चे हर साल कम हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में हर साल आठ परसेंट बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स को भी लगने लगा कि सरकारी स्कूलों में अब वैसी बात नहीं है।

लेकिन जिन राज्यों ने अच्छा प्रयास किया, मैंने राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में देखा, वहां प्राइवेट स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूलों में छात्र वापस आने लगे ...(व्यवधान) ऐसा अनेक जगहों पर है।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Same is the case in Kerala.

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): It is happening in Sikkim also.

श्री प्रकाश जावड़ेकर: उसमें सिक्किम है, केरल भी है। जो काम करेंगे, उनको उसका फायदा होता है और यह करना चाहिए। इसलिए हमारा आग्रह है कि स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, छात्रों ने सीखना चाहिए, टीचर्स ने सिखाना चाहिए, यह सबकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही की बात है। इसलिए हम

इसे लाए हैं और हम यह काम करेंगे। आप सभी ने जो सपोर्ट दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

दो-चार अच्छे सुझाव आए हैं, मैं केवल उनका जिक्र करता हूँ, चूंकि समय कम है। सबसे पहले टीचर की एकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और ट्रेनिंग यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। मैं बताना चाहूंगा कि 2009 में राइट टू एजुकेशन हुआ, उस समय 15 लाख टीचर्स अनक्वालिफाइड थे, जिनका डिप्लोमा इन एजुकेशन नहीं हुआ था और नौ सालों तक वे वैसे ही अनक्वालिफाइड रहे, ज्यादा से ज्यादा उनमें से एक लाख टीचर्स का प्रशिक्षण हुआ। लेकिन हमने स्वयं प्लेटफॉर्म के आधार पर पिछले साल आपने दो साल की एक्सटेंशन देने का बिल पास किया था, उसका फायदा लेकर हमने स्वयं प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एजुकेशन शुरू की। मुझे खुशी है कि साढ़े चौदह लाख टीचर्स एक साथ आज डिप्लोमा इन एजुकेशन कर रहे हैं, यह भी दुनिया में एक रिकार्ड है। उनका फर्स्ट ईयर का पहला एग्जामिनेशन हो गया और उसमें सभी लोग बैठे, उसमें जो फेल होंगे, उन्हें एक चांस और मिलेगा, उससे ज्यादा चांस उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए मैं टीचर्स को भी बताना चाहता हूँ कि यह उनका आखिरी मौका है, आप इसके लिए सीरियसली अध्ययन करिए। मार्च, 2019 में उनकी अंतिम परीक्षा होगी, उसमें उनके पास होने का चांस है और उन्हें यह करना चाहिए।

दूसरा एकाउंटेबिलिटी है, जैसा अनेक लोगों ने कहा कि स्टूडेंट को डिटेन करोगे, लेकिन टीचर का क्या करोगे, उन्होंने पढ़ाया नहीं, इसकी कुछ न कुछ जवाबदेही होनी चाहिए। अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि रात के आठ बजे तक स्कूल चल रहा है। यदि रात के आठ बजे तक स्कूल चलाते हैं तो कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जो स्कूल अच्छे काम करते हैं, उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन यह क्वालिटी ऑफ टीचर पर डिपेंड करता है।

दूसरा मुद्दा यह आया कि टीचर्स पर्याप्त नहीं हैं, यह सत्य नहीं है। मैं आपको अभी सच्चाई बता रहा हूँ कि तीस छात्रों के प्रति एक टीचर चाहिए। देश में जितने शिक्षक और स्टूडेंट्स हैं, मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, वहां वन इज टू थर्डी रेश्यो ओवरऑल मीट करता है ...(व्यवधान) आप एक मिनट रुकिए, That is what I am telling. यह चौंकाने वाला है, लेकिन मेजॉरिटी स्टेट्स में यह रेश्यो करेक्ट है, मैं आपको वे आंकड़े भी देता हूँ। सवाल यह है कि उनका डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं होता है। राज्य की राजधानी में हजारों शिक्षक रहते हैं और वहां जोनल सेंटर या डिस्ट्रिक्ट सेंटर रहते हैं और छोटे गांव में एक लाख स्कूल हैं, जो वन टीचर स्कूल हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों में टीचर्स की कमी है, उन्हें राज्यों ने भरना चाहिए, हम इसमें उनकी मदद करते हैं, हम उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि टीचर्स कम नहीं हैं, बल्कि उनका डिप्लॉयमेंट सही होना चाहिए, यह एक मुद्दा मुझे स्ट्रेस करना है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): यह कौन करेगा?

श्री प्रकाश जावड़ेकर : यह राज्य सरकार करेगी। हमने राज्यों को इस बार जो पी.बी.ए. मीटिंग होती है, उसके पहले सबको बताया है कि आपको भी काम का दंड निश्चित है कि आप क्या-क्या करोगे, उसके अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा।

दूसरा पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। ...(व्यवधान)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR (GURDASPUR): Sir, I am on a point of order.

HON. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister, you please continue.

... (*Interruptions*)

SHRI SUNIL KUMAR JAKHAR : In a statement given on 4th December, 2017, it was submitted that there was a shortage of one million teachers ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I will tell you. There is a shortage in certain States, but in many States, it is sufficient. That is what I am saying. That is one major point.

एक सुझाव आया है कि हर स्कूल में सुविधाएं भी होनी चाहिए तो टॉयलेट, पीने का पानी, साफ-सुथरा परिसर, क्लास रूम्स आदि होने चाहिए और सुप्रिया जी क्लास रूम्स के लिए पैसे बंद नहीं किए गए हैं। Now, we have converted Sarva Shiksha Abhiyan into Samagra Shiksha and takes care of pre-school to 12th. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): How much money are you giving? ... (*Interruptions*)

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is what I am telling you. The total education budget, which was Rs. 63,000 crore in 2013-14, is now Rs. 1,10,000 crore – Rs. 85,000 crore in regular budget and Rs. 25,000 crore through HEFA. So, funds are coming. For Samagra Shiksha, last year the provision of money was Rs. 28,000 crore and this year it is Rs. 34,000 crore and for the next year, it will be

Rs. 41,000. There is 20 per cent increase in each year. ... (*Interruptions*) I am giving you the figures.

SHRI K.C. VENUGOPAL : We know that allocation is there. How much money have you disbursed?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I will give you State-wise figures. ... (*Interruptions*) I will give you State-wise figures. In a couple of minutes, I will complete because we have to complete it by 6 o'clock. One more good point was raised about mid-day meal. Let me tell you this is the world's biggest successful scheme. वह पहली सरकार ने शुरू की थी और वह आज भी चल रही है। हम उसमें 17 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और दस करोड़ बच्चों को रोज़ खिला रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल कार्यक्रम है। इसको और सफल बनाने के लिए उसमें भी कुछ नई योजना हम ला रहे हैं। इसकी भी घोषणा हम समय पर करेंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार कहूँगा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय आज हमने किया है। क्योंकि इस निर्णय से परीक्षा और जवाबदेही आएगी। शिक्षा भी होगी, सीखना भी होगा, सिखाना भी होगा, पढ़ना भी होगा और यह सब मिल कर शिक्षा समृद्ध होगी क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। धन्यवाद।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That the Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1

Short title, extent and commencement

Amendment made:

Page 1, line 3,-

for “(Second Amendment) Act, 2017”

substitute “(Amendment) Act, 2018” (2)

(Shri Prakash Javadekar)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

“That clause 1, as amended, stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Sixty-eighth"

substitute "Sixty-ninth". (1)

(Shri Prakash Javadekar)

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Long Title was added to the Bill.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
THE FUGITIVE ECONOMIC OFFENDERS ORDINANCE, 2018
AND
THE FUGITIVE ECONOMIC OFFENDERS BILL, 2018**

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, Item Nos. 13 and 14 to be taken up together.
Shri Adhir Ranjan Chowdhury – not present.

Shri N.K. Premachandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move the following resolution: -

“That this House disapproves of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018) promulgated by the President on 21st April, 2018.”

THE MINISTER OF RAILWAYS, MINISTER OF COAL, MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to move:

“That the Bill to provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected thereto or incidental thereto, be taken into consideration.”

Sir, in the Budget 2017-18, the hon. Finance Minister had announced that the Government was considering to introduce legislative changes or probably even a new law to confiscate the assets of absconders who do not submit to the rule of law in India but actually go abroad leaving the country. There have been many instances of such economic offenders fleeing the jurisdiction of Indian courts anticipating the commencement or during the pendency of such criminal proceedings. When these economic offenders leave the Indian jurisdiction, it causes several problems. On the one hand, the existing civil and criminal provisions of law are not entirely adequate to deal with the severity of the problem and, on the other hand, there is no effective, expeditious and Constitutionally valid deterrent to ensure such people do not run away from the law.

This Bill makes provisions, after 70 years of Independence, for a Special Court where such fugitive economic offenders will be declared as such and against whom an arrest warrant can be issued. They can be brought back to India and they can be tried for the criminal prosecution, whatever offences they have committed in India. Such people who do not submit to the rule of law, all the properties of such people, whether they are proceeds of crime or even otherwise, they can all be confiscated by the Government so that we do not overburden the courts. We have initially

brought it for all such cases where the amount involved is more than Rs. 100 crore. This Bill also provides attachment of property of these fugitive economic offenders, confiscation and disentitlement of such fugitive economic offenders from defending any civil claims for this property.

I believe, this is the first time a Government has brought in a law to effectively bring back to India such economic fugitives who are evading the process of law. I do hope the hon. Members and this House will support the efforts of this Government to bring about not only deterrence but also the highest level of punishment to such economic offenders.

In view of the above, I commend this august House to consider and pass this Bill.

HON. DEPUTY SPEAKER: Motions moved:

“That this House disapproves of the Fugitive Economic Offenders Ordinance, 2018 (No. 1 of 2018) promulgated by the President on 21st April, 2018.”

“That the Bill to provide for measures to deter fugitive economic offenders from evading the process of law in India by staying outside the jurisdiction of Indian Courts, to preserve the sanctity of the rule of law in India and for matters connected thereto or incidental thereto, be taken into consideration.”

... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Yesterday, in all-Party meeting, we had requested the Minister of Parliamentary Affairs to refer the Bills which are coming before the House to the Standing Committees. He said, every Bill is going to the Standing Committee and without sending them to the Standing Committees we have not passed them. That is what he openly told.

Today, you are introducing and you are not keeping your own words. What is this?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, this is an Ordinance. He very well knows, he is a very seasoned Parliamentarian, that all the Ordinances will directly come to the House and they will not go to the Standing Committees. ... (*Interruptions*)

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Ordinances are there to bypass the Parliament. ... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Just to avoid all these things, you are doing it. You have brought all the six Ordinances in our absence just not to discuss here, not to send to the Standing Committees, not to send to the Joint Committees. ... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN(KOLLAM): As Leader Shri Mallikarjun Kharge has rightly stated, during this gap of three months, you have issued six ordinances. The second half of the Budget session was washed out. The session was washed out not because of the Opposition. Most of the Oppositions parties were ready to have debate and discussion in the House but unfortunately those political parties which are supporting either directly or indirectly this NDA Government, were disturbing the House. ... (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Premachandran, you can continue tomorrow.

The House stands adjourned to meet on Thursday, the 19th July, 2018 at 11.a.m.

18 00 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, July 19, 2018/ Ashadha 28, 1940(Saka).*
